अनुबंध-1.1
भारत सरकार, राज्य तथा लाभार्थियों द्वारा निधियों के घटक-वार अंश का विवरण
(पैराग्राफ-1.4 के संदर्भ में)

<table>
<tr><th>घटक</th><th>निधियों का अंश</th></tr>
<tr><td>गतिविधियों का आरंभ</td><td>• पू.स्व.अ. के अन्तर्गत, नि.भा.अ. अंतर्गत परियोजना के कुल लागत के 5 प्रतिशत तक कीमत को सीमित किया जाना था, जो सू.शि.सं. निधि से ₹0.10 करोड़ की सीमा सहित प्रदान की जाती है, व इससे अधिक की कोई राशि राज्य द्वारा व्यय की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>सू.शि.सं. गतिविधियॉं</td><td>• सू.शि.सं. लागत तथा गतिविधियों के आरंभ करने की लागत शामिल करते हुए परियोजना की कुल लागत का 15% तक सीमित होगा।
• केन्द्र: राज्य सरकार के बीच अंशदान :: 80:20</td></tr>
<tr><td>व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण (व्य. घ. शौ.)</td><td>पू.स्व.अ. दिशानिर्देश 2007
<table>
<tr><th>शौचालय का प्रकार</th><th>शौचालय की लागत (₹ में)</th><th>केन्द्र, राज्य तथा लाभार्थियों का अंश</th></tr>
<tr><td>मॉडल 1</td><td>1,500 तक</td><td>60:20:20</td></tr>
<tr><td>मॉडल 2</td><td>1,500-2,000</td><td>30:30:40</td></tr>
<tr><td>मॉडल 3</td><td>2,000 से अधिक</td><td>0:0:100</td></tr>
</table>
पू.स्व.अ. दिशानिर्देश 2010
<table>
<tr><th>क्षेत्र</th><th>केन्द्र अंश</th><th>राज्य अंश</th><th>लाभार्थी अंश</th></tr>
<tr><td>साधारण</td><td>1,500</td><td>700</td><td>300</td></tr>
<tr><td>पहाड़ी एवं कठिन[1]</td><td>2,000</td><td>700</td><td>300</td></tr>
</table>
पू.स्व.अ. दिशानिर्देश 2011
<table>
<tr><th>क्षेत्र</th><th>केन्द्र अंश</th><th>राज्य अंश</th><th>लाभार्थी अंश</th></tr>
<tr><td>साधारण</td><td>2,200</td><td>1,000</td><td>300</td></tr>
<tr><td>पहाड़ी एवं कठिन</td><td>2,700</td><td>1,000</td><td>300</td></tr>
</table>
नि.भा.अ. दिशानिर्देश 2012
<table>
<tr><th>क्षेत्र</th><th>केन्द्र अंश (₹ में)</th><th>राज्य अंश (₹ में)</th><th>लाभार्थी अंश (₹ में)</th><th>म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.यो. (₹ में)</th></tr>
<tr><td>साधारण</td><td>3,200</td><td>1,400</td><td>900</td><td>4,500</td></tr>
<tr><td>पहाड़ी एवं कठिन</td><td>3,700</td><td>1,400</td><td>900</td><td>4,500</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर</td><td>• अधिकतम इकाई लागत: ₹2.00 लाख साझेदारी पद्धति
<table>
<tr><th>दिशानिर्देश वर्ष</th><th>केन्द्र</th><th>राज्य</th><th>समुदाय</th></tr>
<tr><td>2007</td><td>60%</td><td>20%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>2010</td><td>60%</td><td>30%</td><td>10%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>संस्थानिक शौचालय</td><td>
<table>
<tr><th>शौचालय के प्रकार</th><th>इकाई की लागत (₹ में)</th></tr>
<tr><td>स्कूल (सामान्य)</td><td>35,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[1] पहाड़ी एवं जटिल क्षेत्र: आठ उत्तर पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड एवं एकीकृत कार्य योजना जिले (88 जिले जो शेष पक्ष अतिवाद से प्रभावित है तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के योग्य हैं)

	स्कूल (पहाड़ी एवं कठिन)	38,500
	आं.के. (सामान्य)	8,000
	आं.के. (पहाड़ी एवं कठिन)	10,000
	अंश पद्धति- केन्द्र:राज्य :: 70:30	
ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन	• **पू.स्व.अ. के अंतर्गत:** पूंजीगत लागत के लिए परियोजना लागत का 10% तक। लागत साझेदारी-केन्द्र:राज्य:समुदाय:: 60:20:20 • **नि.भा.अ. के अंतर्गत:** प्रति ग्रा.पं. में 150 परिवारों तक ₹7 लाख तक, 300 परिवारों तक ₹12 लाख, 500 परिवारों तक ₹15 लाख तथा 500 परिवारों से अधिक ₹20 लाख तक (लागत साझेदारी-केन्द्र:राज्य :: 70:30)	
परिक्रमी निधी	• जिला परियोजना लागत का 5% जो ₹50 लाख से अधिक न हो (2007 के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹35 लाख तक सीमित थी, जिसे 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹50 लाख कर दिया गया)। लागत साझेदारी केन्द्र:राज्य :: 80:20	
ग्रामीण शौचालय मार्ट एवं उत्पादन केन्द्र (ग्रा.शौ.मा. एवं उ.के.)	• वित्तीय सहायता के रूप में परिक्रमी निधि से ₹3.5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण (जो स्थिरता आने के पश्चात वसूलनीय योग्य होगा। (पू.स्व.अ. दिशानिर्देशानुसार) • नि.भा.अ. के दिशानिर्देशानुसार, ऋण प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष पश्चात ऋण 12-18 किस्तों में वसूलनीय होगा।	
प्रशासनिक प्रभार	• **पू.स्व.अ. के अंतर्गत:** लागत का 5**%** प्रतिशत तक, **नि.भा.अ. के अंतर्गत:** लागत का 4% प्रतिशत तक (लागत साझेदारी, केन्द्र:राज्य :: 80:20)	
निर्मल ग्राम पुरस्कार (नि.ग्रा.पु.)	नि.ग्रा.पु. के दिशानिर्देश 2010, 2012 के अनुसार ग्रा.पं., ब्लॉकों एवं जिलों की जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।	
क्षमता निर्माण	• सू.शि.सं. बजट का 2**%** (साझेदारी केन्द्र:राज्य **::** 80:20)	

[स्रोत: पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-1.2
कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक उपलब्धि
(पैराग्राफ -1.6 के संदर्भ में)

(कुल जनसंख्या के आंकड़े प्रतिशत में)

नाम	वर्ष	उन्नत स्वच्छता		खुला शौच	
		ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	कुल
भारत	1990	7	18	90	74
	2000	14	25	79	63
	2012	25	36	65	48
पाकिस्तान	1990	7	27	72	52
	2000	20	37	53	37
	2012	34	48	34	23
चीन	1990	15	24	9	7
	2000	35	45	5	4
	2012	56	65	2	1
बांग्लादेश	1990	30	33	40	34
	2000	43	45	23	19
	2012	58	57	3	3
श्रीलंका	1990	65	68	15	14
	2000	78	79	8	7
	2012	94	92	0	0
विकाशशील देशों	1990	21	36	42	31
	2000	32	47	37	25
	2012	43	57	29	17
दक्षिणी एशिया भारत के बिना	1990	25	38	50	38
	2000	36	47	35	25
	2012	49	57	19	12
विश्व	1990	28	49	38	24
	2000	38	56	33	20
	2012	47	64	27	14

खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या

देश	लोगों की संख्या	*प्रतिशत*
भारत	59,36,09,760	60.09
बांग्लादेश	46,40,850	0.47
चीन	1,37,70,650	1.39
पाकिस्तान	4,12,06,800	4.17
श्रीलंका	---	0
इंडोनेशिया	5,43,10,080	5.50
शेष विश्व	28,04,09,520	28.38
कुल	98,79,47,660	100.00

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता की प्रगति: 2012 अद्यतन यूनिसेफ एवं वि.स्वा.सं. द्वारा संयुक्त रूप से जारी।]

अनुबंध-1.3
नमूना परियोजना जिलों की सूची
(पैराग्राफ 1.7.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे का नाम	परियोजना जिलों का नाम
1.	आन्ध्रप्रदेश (तेलंगाना सहित)	1.विशाखापत्तनम, 2.श्रीकाकुलम, 3.चित्चूर, 4.करीमनगर, 5.अदिलाबाद, 6.खम्माम
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.पश्चिमी कामेंग, 8.चांगलांग, 9.पश्चिमी सियांग, 10.पूर्वी सियांग
3.	असम	11.नागाँव, 12.उदालगिरी, 13.तिनसुकिया, 14.नालबाड़ी, 15.ग्वालपाड़ा
4.	बिहार	16.भोजपुर, 17.दरभंगा, 18.गया, 19.कैमूर, 20.कटिहार, 21.मुंगेर, 22.मुजफ्फरपुर, 23.नवादा, 24.पटना, 25.पश्चिमी चंपारण
5.	छत्तीसगढ़	26.रायपुर, 27.कबीरधाम, 28.बस्तर, 29.सुरगुजा
6.	दादर एंव नागर हवेली	30.दादर & नागर हवेली
7.	गुजरात	31.अमरेली, 32.वल्साड़, 33.खेड़ा, 34.भरौच
8.	हरियाणा	35.फतेहाबाद, 36.यमुना नगर, 37.करनाल, 38.हिसार, 39.सिरसा
9.	हिमाचल प्रदेश	40.हमीरपुर, 41. मंडी, 42. सिरमौर
10.	जम्मू एंव कश्मीर	43.लेह, 44.कुपवाड़ा, 45.पुँछ, 46.रामबन, 47.बड़गाम
11.	झारखंड	48.धनबाद, 49.दुमका, 50.गढ़वा, 51.गुमला, 52.रामगढ़, 53.रांची
12.	कर्नाटक	54.तुमकुर, 55.दावनगिरी, 56.चित्तरदुर्ग, 57.रायचुर, 58.बेलगाम, 59.उत्तर कन्नड़, 60.मांड्या, 61.चिकबल्लापुर
13.	केरल	62.अलापुज्झा, 63.कोटयम, 64.त्रिशूर, 65.पलक्कड़
14.	मध्य प्रदेश	66.अनुपपुर, 67.बालाघाट, 68.बरवानी, 69.छिंदवाड़ा, 70.देवास, 71.धार, 72.खांडवा, 73.रतलाम, 74.सागर, 75.सतना, 76.शाहडोल, 77.उज्जैन, 78.विदिशा
15.	महाराष्ट्र	79. बुलधाना, 80.जलगांव, 81.नांदेड़, 82.हिंगोली, 83.परभानी, 84.रायगढ़, 85.सतारा, 86.नागपुर
16.	मणिपुर	87.इंफाल पूर्वी, 88.सेनापति
17.	मेघालय	89.पश्चिमी गारो हिल्स, 90.पूर्वी खासी हिल्स
18.	मिजोरम	91.चेम्फई, 92.लुन्ग्लेई
19.	नागालैण्ड	93.दिमापुर, 94.तुन्सेंग, 95.जुन्हेबोतो
20.	ओडिशा	96.सुन्दरगढ़, 97.मयूरभंज, 98.कोरापुट, 99.अंगुल, 100.पुरी, 101.जाजपुर, 102.बारगढ़, 103.केन्द्रपारा
21.	पंजाब	104.तरणतारण, 105.लुधियाना, 106.रुपनगर, 107.कपूरथला, 108.फतेहगढ़ साहिब
22.	राजस्थान	109.बांसवाड़ा, 110.भिलवाड़ा, 111.चुरू, 112.श्रीगंगानगर, 113.जलौर, 114.करौली, 115.सीकर, 116.उदयपुर

24.	तमिलनाडु	117.तंजावुर, 118.कृष्णागिरि, 119.तिरूवन्नामलई, 120.मदुरई, 121.कोयम्बुटर, 122.तिरूनेवेली, 123.तिरूवुरर
25.	त्रिपुरा	124.दक्षिण त्रिपुरा, 125.पश्चिम त्रिपुरा
26.	उत्तराखण्ड	126.अलमोड़ा, 127.देहरादून, 128.पौड़ी, 129.उघम सिहं नगर
27.	उत्तर प्रदेश	130.आजमगढ़, 131.गोरखपुर, 132.हरदोई, 133.सीतापुर, 134.प्रतापगढ़, 135.देवरिया, 136.लखीमपुर खीरी, 137.कुशीनगर, 138.मिर्जापुर, 139.बिजनौर, 140.जलौन, 141.कौशाम्बी, 142.वाराणसी, 143.औरेया, 144.पिलिभित
28.	पश्चिम बंगाल	145.जलपाइगुड़ी, 146.पूर्बे मेदिनीपुर, 147.बर्द्धमान, 148.मुर्शिदाबाद, 149.उत्तर दिनाजपुर

अनुलग्नक -2.1
प.का.यो. के अनुमोदन/तैयारी में कमियां
(पैराग्राफ 2.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	ग्रा.प. योजना जिला परियोजना कार्यान्वयन योजना (पं.का.यो.) में प्रत्यक्ष रूप से संगठित थी, जबकि ब्लॉक स्तर पर चार जिलों में गैर-संगठित थी। पश्चिम श्यांग जिले की प.का.यो. 2009-10 में संशोधित की गई थी तथा पश्चिम कामेंग, चांगलांग एंव पूर्व शियांग जिलो की प.का.यो 2012-13 में संशोधित की गई थी, जो मार्च 2014 तक रा.यो.म.स. एवं रा.यो.मं.स. से अनुमोदित नहीं थी।
2.	असम	मार्च 2014 तक राज्य स्तर पर प.का.यो. तैयार नहीं थी। जिला स्तर पर प.का.यो. तैयार थी, जिसे संशोधित करते समय ग्रा.पं. तथा ब्लॉक स्तर पर प.का.यो तैयार नहीं किया गया था। नमूना जांच किए गए जिलों की प.का.यो. सभी घटकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए बिना तैयार की गई थी, जिससे निर्धारित समय में प्रत्येक ग्रा.पं. द्वारा निर्मल स्थान प्राप्त किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनसंख्या की आवधिक बढ़त के संदर्भ में प.का.यो. के आधार पर निर्धारित लक्ष्यों की आवधिक तौर पर समीक्षा नहीं की गई थी, जिसके कारण पिछले वर्ष के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई, परंतु यह निश्चय नहीं हो पाया कि 2022 तक 'निर्मल भारत' के उदेश्यों कि प्राप्ति के लिए प.का.यो. के लिए निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त थे।
3.	गुजरात	वर्ष 2012 में आधार रेखा सर्वे किया गया था, तथा इसके पश्चात आ.रे.स. के आधार पर जिलों द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार किए तथा इन्हे रा.स्वा.बा. को अग्रेषित किया, परंतु इन परियोजना प्रस्तावों को अभी तक अनुमोदित नहीं कराया गया था।
4.	झारखण्ड	नमूना जांचित जिलो की प.का.यो. को बिना ग्रा.पं. योजना अथवा ब्लॉक प.का.यो. को संग्रहित किए 2013-14 में जिला स्तर पर संशोधित किया गया था। प.मा.इ. को प्रस्तुत करने से पूर्व संशोधित प.का.यो. को नमूना जांचित जिलों में सशोधित प.का.यो. हेतु वांछित डी.डब्ल्यू.एस.ए. का अनुमोदन जि.ज.स्व.स. द्वारा नहीं प्राप्त किया गया था। रा.यो.मं.स. ने इन प.का.यो को अनुमोदित किया (जुलाई 2014) तथा भारत सरकार को प्रस्तुत किया। संशोधित प.का.यो. की भारत सरकार से संस्वीकृति अभी तक अपेक्षित थी।
5.	कर्नाटक	2009-14 के दौरान पाँच जिलों (चिकबल्लापुर, चित्रदुर्गा, देवनागरी, तुमकुर एवं मान्ड्रया) की प.का.यो. को केवल एक बार संशोधित किया गया था तथा उत्तर कन्नड जिले की प.का.यो

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियां
		दो बार संशोधित की थी। 2009-14 के दौरान बेलगाम की प.का.यो. संशोधित नहीं की थी। जिला परिषद, रायचूर ने योजना के लिए प.का.यो. की तैयारी/संशोधन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।
6.	मणिपुर	यद्यपि 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के निधिकरण के मानदंड बदल दिए गए थे, फिर भी चने हुए जिलों ने प.का.यो. को संशोधित नही किया था। ऐसा 2013-14 में चुने गए जिलों द्वारा तैयार ड्राफ्ट प.का.यो. में सूचित किया गया था कि ग.रे.उ./ग.रे.नी. घरों की संख्या प.का.यो. के अनुसार तथा राज्य सूची से मेल[1] नहीं खाती है, जो यह दर्शाती है कि प.का.यो. के तैयार करने में निचले स्तर पर निविष्टियों को शामिल नहीं किया गया था।
7.	ओडिशा	मार्च 2014 तक न ही ओ.रा.ज.स्व.मि. और न ही जि.ज.स्व.मि. द्वारा जिला-वार संशोधित प.का.यो. को तैयार किया गया था।
8.	पंजाब	वर्ष 2012-17 के लिए ₹1826.49 करोड़ की संशोधित प.का.यो मंत्रालय को प्रस्तुत (अगस्त 2013) की गई थी, परंतु मार्च 2014 तक मंत्रालय से अनुमोदन प्रतीक्षित था। परंतु मार्च 2014 तक मंत्रालय से अनुमोदन प्रतीक्षित था। आगे प.का.यो. ग्राम पंचायतों की निर्मल स्थिति की स्थिरता का मुद्दा शामिल नही था तथा वास्तविक धन उपलब्धता के अनुसार वर्ष के मध्य में कोई भौतिक लक्ष्य को संशोधित नहीं किया गया था।
9.	तमिलनाडु	अगस्त 2010 में अनुमोदित परियोजना कार्यान्वयन योजना का सर्वे वर्ष 2009 (जनगणना 2001) से पूर्व आधार रेखा पर आधारित था। इसके पश्चात किसी घटक की अनुमोदित इकाई लागत में परिवर्तन होने अथवा किसी अन्य कारण से प.का.यो. में कोई संशोधन नहीं हुआ था। 2012 में सशोधित प.का.यो. जनगणना 2011 पर आधारित थी तथा इसे ग्रामीण विकास आयुक्तालय (ग्रा.वि.अ.) (2013) में प्रस्तुत किया गया था, जो अभी तक राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति से अनुमोदित नहीं हुई थी।
10.	त्रिपुरा	आधार रेखा सर्वे के आधार पर राज्य ने सभी लक्ष्यों को वास्तविक रूप से संशोधित किया तथा भारत सरकार को संशोधित परियोजना कार्यान्वयन योजना (प.का.यो.) प्रस्तुत की। यद्यपि ये संशोधित लक्ष्य भारत सरकार द्वारा अभी संस्वीकृत/अनुमोदित होने थे (अगस्त 2014)।

[1] राज्य सूची के समक्ष प.का.यो. में दर्शाए गए ग.रे.उ. घरों की संख्या 80,947 अधिक थी, जबकि प.का.यो. के समक्ष राज्य सूची 55,174 अधिक थी।

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियां
11.	उत्तराखण्ड	नमूना जांच किए गए जिलो में आधार रेखा सर्वे (2013) से प्राप्त डाटा को संग्रहण के समय डी.पी.एम.यू. स्तर पर परिवर्तित कर दिया था तथा उसी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
12.	पश्चिम बंगाल	बर्धमान एवं मुर्शिदाबाद जि.प.: वित्तीय मानको में परिवर्तन के अनुसार संशोधन करने का पालन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने भी गैर-संशोधन के तथ्यों की पुष्टि की है। जि.पं. ने योजना का कार्यान्वयन नहीं किया। प.का.यों. में सम्मिलित करने के लिए पंचायत समिति ने कोई योजना नहीं बनाई थी। अत: पंचायत समिति की योजना जिला प.का.यो. में समाहित नहीं हो पायी थी।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संग्राहित आँकड़ा]

अनुबंध-2.2

ब्लॉक योजना और आगे जिला योजना में ग्रा.प. योजना का गैर समेकन

(पैराग्राफ 2.3.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	नमूना जाँच जिलें	जिलों में ब्लॉकों की कुल संख्या	ब्लॉकों की संख्या जिनकी योजना का वा.का.यो. में समेकन नहीं हुआ	ब्लॉकों में ग्रा.प. की संख्या	ग्रा.प. की संख्या जिनकी योजना का वा.का.यो. में समेकन नहीं हुआ
1	असम	5	52	52	582	582
2	बिहार	10	163	163	2,586	2,586
3	छत्तीसगढ़	4	52	52	3,290	3,290
4	हिमाचल प्रदेश	3	22	22	930	930
5	जम्मू & कश्मीर	3	29	29	732	732
6	झारखंड	6	64	64	1,255	1,255
7	कर्नाटक	8	61	61	1,976	1,976
8	केरल	4	51	51	325	325
9	पंजाब	5	35	35	3,012	3,012
10	राजस्थान	6	50	50	1,971	1,971
11	उत्तराखंड	4	39	39	3,066	3,066
12	उत्तर प्रदेश	15	42	42	289	289
	कुल:	**73**	**660**	**660**	**20014**	**20014**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ो को संकलित किया गया]

अनुबंध-2.3
योजना: अन्य कमियाँ
(पैराग्राफ 2.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	कमियाँ
1.	आन्ध्र प्रदेश	वा.का.यो. में निर्धारित लक्ष्य निर्धारित समय अर्थात 2022 तक निर्मल स्तर का प्राप्त करने को प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। छः नमूना जाँच किए गए जिलों मे से तीन[2] में वा.का.यो. में निर्धारित विभिन्न घटकों के भौतिक लक्ष्य उपलब्ध निधियों के अनुपात में नहीं थे। इसके अतिरिक्त इन तीनों जिलों ने निधियों की उपलब्धता के आधार पर वर्षों के मध्य में भौतिक लक्ष्यों को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। राज्य की वा.का.यों 2009-14 की अवधि में मंत्रालय को अग्रेषित कर दी थी, तथापि, यो.स्वी.स. को अनुशंसाएं इन वा.का.यो. पर नहीं की गई थी।
2.	असम	यद्यपि वा.का.यो. ने पिछले वर्ष में प्रगति[3] की, परंतु उपलब्धियों में भारी कमी के कारण दर्ज नहीं थे। इसके अतिरिक्त, वा.का.यो. में त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित थे मासिक लक्ष्य नहीं।
3.	बिहार	नौ नमूना जांच किए गए जिलो[4] में, वा.का.यो. 2011-14 में सफलता संदेश, उत्तम प्रथायें, नव विचारों तथा उपयोग की जाने वाली नई तकनीकियों को शामिल नहीं किया गया था
4.	गुजरात	चार नमूना जांच किए गए जिलों में से खेड़ा एवं वलसाड़ जिलों ने वर्ष 2010-11 की वा.का.यो. तैयार नहीं की थी। 2010-14 की अवधि के दौरान राज्य में परिपूर्ण दृष्टिकोण हेतु किसी ग्रा.पं. का चयन नहीं किया गया था।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य द्वारा पूर्व वर्ष नि.भा.अ. के उदेश्यों को प्राप्त करने मे वा.का.यों के उद्देश्यों की प्रगति में कमी का कारण एवं टिप्पणियां दर्ज नहीं की गई थी। 2009-10 से 2013-14 की अवधि में वा.का.यो. में न मासिक तथा त्रैमासिक लक्ष्य रखे गए थे और न ही वास्तविक निधियों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष के मध्य में लक्ष्य संशोधित किए गए थे। कोई भी प्रगति संदेश, उत्तम प्रथाएं, नव विचारों एवं नई तकनीकियों के उपयोग के संबंध में अपलेखन दर्ज नहीं थे।
6.	झारखण्ड	जांच किए गए जिलों ने मध्य में वास्तविक उपलब्धि अथवा उनके पास अव्ययित निधि की उपलब्धता के आधार पर वा.का.यो. संशोधित नहीं की थी। इस प्रकार, वा.का.यो. को एक ग्रा.पं. के लिए परिकल्पित निर्मल स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं किया गया था तथा इस प्रकार वर्ष 2011-14 के दौरान नमूना जाँचित जिले का कोई गाँव निर्मल स्तर के नही प्राप्त कर सका था।

[2] आदिलाबाद, चित्तर एवं विशाखापटनम

[3] व्य.घ.शौ. ग.रे.नी. की प्रगति 5,03,109 के लक्ष्य के विरूध्ध 1,53,867 अर्थात 2012-13 में 30.58 प्रतिशत

[4] वर्ष 2012-13 की वा.का.यो. कायमूर जिला द्वारा प्रदान नहीं की गई।

क्र.सं.	राज्य	कमियाँ
7.	कर्नाटक	आठ जिलों की 129 जांच की गई किसी भी ग्रा.पं. ने 2010-11 से 2013-14 के चार वर्षों में वांछित वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार नहीं की। 2010-11 से 2013-14 में तालुका स्तर पर भी कोई वा.का.यो तैयार नहीं की गई थी। वर्ष के दौरान/आने वाले वर्षों में ग्रा.पं. जिन्हे निर्मल बनाया जा सके की पहचान करने की बजाय स्थिर रूप से संभी ग्रा.पं. मे पू.स्व.अ./नि.भा.अ. क्रियान्वित की गई, बिना स्वच्छता स्तर को ध्यान में रखते हुए।
8.	मध्य प्रदेश	वा.क.यो. को सामुदायिक परिपूर्णता दृष्टिकोण जो समग्र स्वच्छता एवं जल आवृत्ति को सम्मिलित करते हुए तैयार नहीं की गई थी, जिसके आधार पर ग्रा.पं. की पहचान की जानी थी, जिससे वर्ष के दौरान/आने वाले वर्षों में उन्हे निर्मल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि नौ[5] नमूना जाँचित जिलों मे, वा.का.यो. मे जो भौतिक लक्ष्य स्थापित किए गए थे वे निधि की वास्तविक उपलब्धता के अनुसार वर्ष के मध्य में संशोधित नही किए गए थे इसलिए योजना के क्रियान्यवन मे कमियों को पहचाना जाए एवं सुधारात्मक उपाय किए जाए।
9.	मणिपुर	नमूना जिलो का जि.ज.स्व. नि. द्वारा जिला कार्यान्वय योजना (जि.क.यो.) तैयार नहीं की थी। इस प्रकार राज्य द्वारा वा.का.यो बिना जिलों से निविष्टियां प्राप्त किए तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य ने वा.का.यो भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्यो के आवंटन को जिला/ब्लॉक/ग्रा.प.-वार नहीं दर्शाया था इस प्राकर ऐसे विशेष आवंटन के अभाव में योजना के कार्यान्वयन में गड़ीबड़ी तथा निधि का निर्गम बहुत अधिक था। राज्य के वार्षिक कार्यान्वयन योजना का गहन अध्ययन दिखाता है कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि में 2009-10 के वित्तीय लक्ष्य में ₹ 11.94 करोड़ निधि की कमी थी, जबकि 2012-13 में ₹ 14.05 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य से अधिक निधि उपलब्ध थी।
10.	नागालैण्ड	ज.स्व.स.स ने गाँवों की आवश्यकता को बिना आंके अथवा जि.ज.स्व.मि. को शामिल किए बिना ही जिला-वार वा.का.प. तैयार की थी।
11.	ओडिशा	वर्ष 2009-12 की वा.का.प. को बिना जिला वा.का.यो. प्राप्त किए तैयार किया गया था। वर्ष 2012-14 की वा.का.प. को जिलों की वा.का.यो. को सम्मिलित किए बिना बनाया गया था। 2012-13 के लिए सात[6] जिलों तथा 2013-14 के लिए 21 जिलों की वा.का.प. ओ.रा.ज.स्व.मि. से प्राप्त नहीं की गई थी। यह दर्शाता है कि राज्य के वा.का.प. में इन जिलों के काल्पनिक आंकड़ो को शामिल किया गया था। जांच किए गए जिलों में 2009-14 के लिए वा.का.प. को बिना ब्लॉक वा.का.प. को प्राप्त करके तैयार किया गया था, जिसे ब्लॉको/ग्रा.पं. द्वारा तैयार नहीं किया गया था, जो चयनित जिलों की ग्रा.प. तथा नमूना ब्लॉकों की जांच में संज्ञान में आया। 2013-14 के लिए जिलों के लिए लक्ष्य विभागीय स्तर पर निर्धारित किए गए थे तथा उन्हे जिलों को

[5] अनुपपुर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, खांडवा, रतलाम, सागर, शध्डोल एवं उज्जैन

[6] कोरापुर, गंजम, बौध, भद्रक, केन्द्रपारा एवं बारगढ़ जिले

क्र.सं.	राज्य	कमियाँ
		भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ना ही ग्रा.प. का निर्मल अवस्था की स्थिरता का मुद्दा और ना ही पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंर्तगत सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव की नीति को राज्य/जिलों की वा.का.प. में सम्मिलित किया गया था।
12.	पंजाब	वा.का.प. में ग्राम पंचायतों का निर्मल अवस्था की स्थिरता के मुद्दे को शामिल नहीं किया तथा निधि की वास्तविक उपलब्लता के आधार पर वर्ष के मध्य में भौतिक लक्ष्य शंशोधित नहीं किए गए थे।
13.	तमिलनाडु	2010-11 एवं 2011-12 के लिए वार्षिक कार्यान्वयन भोजना को राज्य स्तर पर स्वंय तैयार किया गया था तथा निचले स्तर को आवृत्त करने का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था। 2012-13 तथा 2013-14 की वार्षिक कार्यान्वयन योजना में जिला स्तर योजनाओं को समाहित किया गया था। कार्यान्वयन के दौरान क्षेत्रीय स्तर कार्यालयों में विभिन्न घटकों के लिए वा.का.यो. के आधार पर प्रस्ताव/लक्ष्य का अनुसरण सख्ती से नहीं किया जा रहा था।
14.	त्रिपुरा	योजना प्रक्रिया में वा.का.प. को पंचायत एवं ब्लॉक के निचले स्तर के दृष्टिकोण के अनुपालन में तैयार नहीं किया गया था। वा.का.प. जिला स्तर पर तैयार की गई थी परंतु लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ब्लॉक/ग्रा.पं.स्तर पर योजना बनाने के संबंध में रिकॉर्ड नहीं थे। वा.का.प. में मुख्यत: भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत कुल इकाई, संचयी निष्पादन तथा संबंधित वर्षों के लिए लक्ष्य एवं उन प्रस्तावित लक्ष्यों को प्राप्त करने में निधि की आवश्यकता शामिल थे। इसके अतिरिक्त वा.का.प. में दर्शाया गया निष्पादन डाटा ग्रा.पं./ब्लॉकों की वास्तविक निष्पादनता पर आधारित नहीं था, चूंकि ये इकाइयाँ नियमित आधार पर जानकारी प्रस्तुत नहीं करती थी।
15.	उत्तर प्रदेश	समस्त जांच किए गए जिलों द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का वा.का.प. तैयार की, जिसमें वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों की आनुपातिक मात्रा (प.का.यो.का 1/10) नहीं थी तथा निर्मल भारत अभियान के विभिन्न घटकों में 2012-14 की अवधि में कमी शून्य से 100 प्रतिशत के बीच थी। प्रलेख एवं सफलता संदेश भी वा.का.प. में शामिल नहीं थे।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संग्राहित आँकड़ा]

अनुच्छेद-2.4
(पैराग्राफ 2.4.1 के संदर्भ में)
(ग.रे.नी. के लाभार्थियों का चयन)

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रेदश	चयनित जिलों में ग.रे.नी के परिवार की आवृत्ति प्रतिशतता 12 से 57 प्रतिशत थी। विशाखापटनम में आधार रेखा सर्वे के अनुसार ग.रे.नी. के परिवार की सूची 25,005 थी, जबकि वेबसाइट पर अपलोड राज्य सूची के अनुसार 31,112 थी।
2.	छत्तीसगढ़	ग.रे.नी. के परिवार द्वारा न ही शौचालय का निर्माण किया गया और न ही उन्हे प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी थी। वास्तव में, शौचालयों का निर्माण ग्रा.ज.स्व.स. द्वारा संस्वीकृत राशि के उपयोग से किया गया था।
3.	हिमाचल प्रदेश	तीन जांच किए गए जिलों में 2009-14 के दौरान ग.रे.नी. के परिवारों के लिए लक्षित 43,493 व्य.घ.शौ. के प्रति 43,057 (99 प्रतिशत) व्य.घ.शौ. का निर्माण किया गया था तथा ₹ 10.05 करोड़ की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको जारी की गई थी। छः जांच किए गए ब्लॉकों में ग.रे.नी के परिवारों के लिए 13994 व्य.घ.शौ. के निर्माण के प्रति 12685 (91 प्रतिशत) व्य.घ.शौ. का निर्माण 2009-14 के दौरान किया गया था तथा ₹ 2.19 करोड़ की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको जारी की गई थी। सिरमौर जिलों के जांच किए गए 18 ग्रा.प. में से नाहन तथा पोन्टा साहिब में 205 ग.रे.नी. के परिवारों को ₹0.15 करोड़ की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित नहीं की गई थी। संबंधित पंचायत सचिवों ने कहा (जून-जुलाई 2014) कि लाभार्थी व्य.घ.शौ. का निर्माण करने में रूचि नहीं ले रहे थे क्यों कि उनकों प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि व्य.घ.शौ के निर्माण लागत के एवज में काफी कम थी।
4.	जम्मू एवं कश्मीर	ग.रे.नी. के परिवारों की ग्रा.पं. द्वारा पहचान नहीं की गई थी, क्यों कि विभाग द्वारा 2009-14 की अवधि के दौरान कोई प्रारंभिक सर्वे नहीं किया था। मार्च2014 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि के दौरान ग.रे.नी. की श्रेणी के लाभार्थियों में लक्ष्य की प्राप्ति में 48 प्रतिशत तक की कमी थी।
5.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग एवं देवनगरी जि.प. के आठ जांच किए गए ग्रा.प. में ₹37,200 का प्रोत्साहन 11 परिवारों को दिया गया, जिनका ग.रे.नी. की स्थिति का दावा संदेहास्पद था, क्योंकि इनके दावों के संबंध में वांछित दस्तावेजी सबूत (राशन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र आदि) का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
6.	मेघालय	दो चयनित जिलों (पूर्वी खासी हिल्स एवं पश्चिमी गैरो हिल्स) में योजना के उद्देश्य से समस्त ग.रे.नी. के परिवारों के पहचान एवं सूची नहीं बनाई गई थी।
7.	मिजोरम	31 मार्च 2014 को ग.रे.नी. के परिवारों की श्रेणी के लिए व्य.घ.शौ. के निर्माण में कमी 15 प्रतिशत तक थी।
8.	नागालैण्ड	जांच किए गए सभी तीनों जिलों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य.घ.शौ.) के कार्यान्वयन के लिए जि.ज.स्व.मि. द्वारा योग्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान नहीं की थी। इसके बजाय डब्ल्यू.ए.टी.एस.ए.एन/ग्राम समिति द्वारा यादृच्छिक लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत की थी।
9	त्रिपुरा	जि.ज.स्व.स., पश्चिम त्रिपुरा ने ₹0.16 करोड़ की निधियां 2011-12 के दौरान 470

		ग.रे.नी. व्य.घ.शौ. ₹3426 प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए जारी की। परंतु ब्लॉ.वि.अ. (खोवई ब्लॉक) ने केवल 161 परिवारों के प्रोत्साहन राशि @₹10,000 प्रदान की जो परिणामत: प्रत्येक परिवार को ₹6574 अदेय लाभ के रूप में ₹0.11 करोड़ अधिक थी। इसलिए, उसके स्वौच्छिक निर्णय से ब्लॉ.वि.अ. ने न केवल 161 ग.रे.नी. के परिवारों के अदेय प्रोत्साहन राशि प्रदान की, बल्कि व्यक्तिग शौचालयों से 309 परिवारों का भी वंचित किया। इसके अतिरिक्त, ब्लॉ.वि.अ. ने जि.ज.स्व.स. को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इसलिए वास्तविक 161 परिवारों के प्रति 470 की उपलब्धि की संख्या हेर फेर की संभावना को बल देती है।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संग्राहित आँकड़ा]

अनुबंध-2.5
(पैराग्राफ 2.4.2 के संदर्भ मे)
(ग.रे.उ. के लाभार्थियों का चयन)

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम् एवं चित्तूर जिलों में क्रमश: केवल 21 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत ग.रे.उ. के परिवार आवृत थे। खामाम जि.ज.स्व.मि. ने इस संबंध में कोई डाटा प्रदान नहीं किया।
2.	बिहार	सितम्बर 2012 से जनवरी 2014 के दौरान ₹119.87[7] करोड़ 260506 ग.रे.उ. के परिवारों हेतु राज्य को प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, जांच किए गए जिलों में जि.ज.स्व.स. के रिकॉर्ड की जांच में यह पाया कि जि.ज.स्व.स. ऐसे योग्य ग.रे.उ के परिवार हेतु व्य.घ.शौ. को आवृत करने के लिए कोई डाटा नहीं रख रहा था। ग.रे.उ. परिवारों का चयन जिले की ग.रे.नी.की सूची से किया जा रहा था, जो नि.भा.अ. के दिशानिर्देशों में निर्धारित ग.रे.उ के परिवारों को वर्गीकृत नहीं कर रहा था। इसलिए ₹119.83 करोड़ की पूर्ण राशि का भुगतान निर्धारित ग.रे.उ की श्रेणी के बिना किया जा रहा था, तथा लाभार्थियों में अयोग्य ग.रे.उ. परिवारों के शामिल होने को नकारा नहीं जा सकता।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	ग्रा.पं. द्वारा योग्य ग.रे.उ. के परिवारों के नहीं पहचाना चूंकि विभाग द्वारा 2009-14 की अवधि में प्रारंभिक सर्वे नहीं किया था। योजना के उद्देश्य के लिए लाभार्थियों की सूची का चयन पंचायत सचिवों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता था तथा यह संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नहीं थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया कि राज्य में अ.जा./अ.ज.जा/अन्य अल्प संख्यकों के लिए व्य.घ.शौ. के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधान/ विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा यह सत्यापन नहीं कर सका कि भारत सरकार द्वारा समाज के पिछडे वर्गों के उपयोग के लिए व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु जारी ₹18.57 करोड़ (अ.जा. ₹9.79 करोड़, अ.ज.जा ₹8.78 करोड़) की राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य पर किया गया। मार्च 2014 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान ग.रे.उ. की श्रेणी के लाभार्थियों के लिए लक्षित उपलब्धियों में 80 प्रतिशत की कमी थी।
4.	झारखण्ड	2012-13 तक जि.ज.स्व.मि. हेतु लक्षित ग.रे.उ. के परिवारों की कोई सूची नहीं थी। नि.भा.अ. के बाद ग.रे.उ. के परिवारों के लिए 2012-13 में आधार रेखा सर्वे किया गया था तथा ग.रे.उ. के परिवारों की सूची ग्रा.ज.स्व.स. द्वारा जि.ज.स्व.मि. को अग्रेषित की थी, परंतु ब्लॉक अथवा ग्रा.पं. वार सूची जि.ज.स्व.मि. द्वारा संकलित नहीं की गई थी।
5.	कर्नाटक	तीन जांच की गई ग्रा.पं. तथा जि.प. में चित्रदुर्ग एव देवनगरी में नि.भा.ऊ. के आंरभ से पूर्व ही ₹12,000/ का कुल प्रोत्साहन चार ग.रे.उ के लाभार्थियों को प्रदान किया गया था।
6.	मेघालय	दो चयनित जिलों (पूर्व खासी हिल्स तथा पश्चिमी गारों हिल्स) में योजना के उद्देश्य से ग.रे.उ. के परिवारों की पहचान नहीं की गई थी तथा सूची नहीं बनाई गई थी।

[7] भारत सरकार का अंश ₹.83.36 करोड़ तथा राज्य का अशं -₹36.47 करोड़

		समस्त गरीबी रेखा से ऊपर (ग.रे.उ.) के परिवारों जो अ.जा./अ.ज.जा. छोटे तथा मझोले किसान, भूमिहीन मजदूर, विक्लांग तथा महिला मुखिया परिवार से संबंधित थे की पहचान करने के संबंध में कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया के आधार के संबंध में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।
7.	नागालैण्ड	जांच किए गए सभी तीन जिलों में, योग्य गरीबी रेखा से ऊपर (ग.रे.उ.) के परिवारों की सूची की पहचान व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य.घ.शौ.) के कार्यान्वयन के लिए जि.ज.स्व.मि. द्वारा नहीं की गई थी। इसके बजाय डब्ल्यू ए.टी.एस.ए.एन/ग्राम समिति द्वारा लाभार्थी सूची प्रस्तुत की गई थी।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ा का संकलन किया गया]

अनुबंध-2.6
(पैराग्राफ-2.4.4.1 के संदर्भ में))
(परिपूर्णता हेतु ग्रा.प. का गैर चयन)

		2012-13		2013-14	
क्र.सं.	राज्य	खु.शौ.मु.करने के लिए लक्षित ग्रा.प. की सं.	खु.शौ.मु. बने वास्तविक ग्रा.प. की सं.	खु.शौ.मु.करने के लिए लक्षित ग्रा.प. की सं.	खु.शौ.मु. बने वास्तविक ग्रा.पं. की सं.
1.	आंध्र प्रेदश (तेलंगाना सम्मिलित)	3,350	1,311	550	0
2.	अरूणांचल प्रदेश	161	124	123	0
3.	असम	93	42	111	0
4.	बिहार	634	55	599	0
5.	छत्तीसगढ़	498	210	560	17
6.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	24	0
8.	गुजरात	1,406	837	2,415	92
9.	हरियाणा	1,721	1,311	1,845	0
10.	हिमाचल प्रदेश	2,129	1,619	350	649
11.	जम्मू एवं कश्मीर	17	15	480	0
12.	झारखंड़	171	19	285	0
13.	कर्नाटक	748	484	521	4
14.	केरल	20	19	0	0
15.	मध्य प्रदेश	5,332	2,200	5,332	58
16.	महाराष्ट्र	5,149	2,906	3,695	65
17.	मणिपुर	149	7	100	0
18.	मेघालय	1,989	886	800	95
19.	मिजोरम	249	98	0	0
20.	नागालैंड़	142	127	142	0
21.	ओड़िशा	1,127	400	900	62
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0
23.	पंजाब	6,738	568	500	0
24.	राजस्थान	1,057	424	487	10
25.	सिक्किम	0	0	0	0
26.	तमिलनाड़ु	1,698	1,389	2,167	218

27.	त्रिपुरा	63	0	63	0
28.	उत्तराखंड़	3,350	1,870	3,350	3
29.	उत्तर प्रदेश	729	317	145	0
30.	पश्चिम बंगाल	221	108	621	1
	कुल	**38941**	**17346**	**26165**	**1274**

[स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-2.7.1

(पैराग्राफ-2.5.1 के संबंध में)

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के बैठकों का विवरण

		2012-13		2013-14	
क्र. सं.	राज्य	बैठकों की आवश्यक्ता	बैठकें आयोजित	बैठकों की आवश्यक्ता	बैठकें आयोजित
1.	असम	2	0	2	1
2.	बिहार	2	1	2	2
3.	छत्तीसगढ़	2	0	2	0
4.	गुजरात	2	0	2	0
5.	जम्मू & कश्मीर	2	1	2	1
6.	कर्नाटक	2	0	2	0
7.	मध्य प्रेदश	2	1	2	0
8.	महाराष्ट	2	1	2	0
9.	मेघालय	2	0	2	0
10.	ओड़िशा	2	0	2	1
11.	पंजाब	2	1	2	1
12.	राजस्थान	2	0	2	0
13.	त्रिपुरा	2	0	2	0
14.	उत्तराखंड	2	1	2	0
15.	उत्तर प्रदेश	2	0	2	0
	कुल:	**30**	**6**	**30**	**6**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ों को संकलित किया गया]

अनुबंध-2.7.2

(पैराग्राफ-2.5.2 के संबंध में)

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के बैठकों का विवरण

			2012-13		2013-14	
Sl. No.	राज्य	जिलों की संख्या	बैठकों की आवश्यक्ता	बैठकें आयोजित	बैठकों की आवश्यक्ता	बैठकें आयोजित
1.	असम	5	20	2	20	0
2.	गुजरात	4	16	8	16	7
3.	जम्मू कश्मीर	5	20	2	20	2
4.	झारखंड	6	24	2	24	1
5.	मध्य प्रदेश	13	52	20	52	9
6.	कर्नाटक	8	32	शून्य	32	शून्य
7.	महाराष्ट्र	1	4	2	4	2
8.	मेघालय	2	8	6	8	5
9.	नागालैण्ड	3	12	0	12	0
10.	पंजाब	5	20	शून्य	20	शून्य
11.	उत्तराखंड	4	16	5	16	3
12.	उत्तर प्रदेश	15	60	43	60	22
	कुल	**71**	**284**	**90**	**284**	**51**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ों का संकलन किया गया]

अनुबंध-2.8
(पैराग्राफ-2.5.3)
(ग्रा.ज.स्व.स. का गैर गठन)

	राज्य	परियोजना जिलों की संख्या	ब्लॉकों की सं. जहाँ पू.स्व.अ. का कार्यान्वयन किया जा रहा है।	ग्रामों की सं. जहाँ पू.स्व.अ. का कार्यान्वयन किया जा रहा है।	ग्रामों की सं. जहाँ ग्रा.ज.स्व.स. नहीं स्थापित किए गए हैं।
1.	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सम्मिलित)	22	1099	29705	5274
2.	अरूणांचल प्रदेश	16	100	5458	1
3.	असम	26	240	25660	190
4.	बिहार	38	534	38242	6288
5.	छत्तीसगढ़	27	146	19441	1968
6.	दा.एवं ना. हवेली	1	1	3	0
7.	गोवा	2	11	347	0
8.	गुजरात	25	223	17484	1294
9.	हरियाणा	21	119	6740	884
10.	हिमाचल प्रदेश	12	77	18369	128
11.	जम्मू एवं कश्मीर	21	144	5937	3093
12.	झारखंड	24	215	28498	13
13.	कर्नाटक	29	176	27479	608
14.	केरल	14	152	1777	2
15.	मध्य प्रदेश	50	313	51428	1457
16.	महाराष्ट्र	33	351	41174	1150
17.	मणिपुर	9	41	2299	1532
18.	मेघालय	7	39	6690	1829
19.	मिजोरम	8	26	700	41
20.	नागालैंड़	11	52	1165	100
21.	ओड़िशा	30	314	47119	602
22.	पुदुचेरी	1	10	22	0
23.	पंजाब	20	142	11805	8022
24.	राजस्थान	32	237	41178	1882
25.	सिक्किम	4	25	443	0
26.	तमिलनाडु	29	385	12539	1329
27.	त्रिपुरा	8	45	1061	144
28.	उत्तर प्रदेश	75	819	95817	5925
29.	उत्तराखंड	13	95	15373	4713
30.	पश्चिम बंगाल	19	341	40557	2545
	कुल:	**627**	**6472**	**594510**	**51014**

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-2.9
(पैराग्राफ-2.5.5 के संबंध में)
प्रखंड संसाधन केन्द्र जो जिले में स्थापित नहीं किए गए।

क्र. सं.	राज्य का नाम	टेस्ट जाँच किए गए जिलों की सं.	जिलों की सं. जहाँ ब.अ.के. नहीं स्थापित किए गए हैं।	जिलें जहाँ ब.अ.के. नहीं स्थापित हैं।
1.	आंध्र प्रदेश	6	2	चित्रू और श्रीकाकुलम
2.	अरूणाचल प्रेदश	4	3	पश्चिमी कमांग, चांगलांग और पश्चिमी सियांग
3.	असम	5	5	नगॉव, उदालगिरी, तिनसुकिया, नालबाड़ी और ग्वालपाड़ा
4.	जम्मू-कश्मीर	5	5	लेह, कुपवाड़ा, पुँछ, रामबन तथा बडगांव
5.	कर्नाटक	8	8	तुमकुर, दावनगिरी, चित्रदुर्ग, रायचुर, बेलगाम, उत्तर कन्नड़, मंदिया तथा चिकबल्लापुर
6.	मणिपुर	2	2	इंफाल पूर्वी तथा सेनापति
7.	मेघालय	2	2	पश्चिमी गारो हिल्स तथा पूर्वी खासी हिल्स
8.	पंजाब	5	5	तरणतारण, लुधियाना, रुपनगर, कपूरथला तथा फतेहगढ साहिब
9.	तमिलनाडु	7	7	तंजाबुर, कृष्णागिरि, तिरूवन्नामलई, मदुरई, कोयम्बटू, तिरूनेवेली तथा तिरूवरूर
10.	उत्तराखंड	4	4	अलमोड़ा, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा उधम सिहं नगर
11.	उत्तर प्रदेश	15	15	आजमगढ़, गोरखपुर, हरदोई, सीतापुर, प्रतापगढ़, देवरिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मिर्जापुर, बिजनौर, जलौन, कौशाम्बी, वाराणसी, औरैया तथा पिलिभित
	कुल	**63**	**58**	

[स्रोत: नमूना प्रयोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध-3.1
(पैराग्राफ 3.1.1 के संदर्भ में)
उपलब्धियों में कमी
व्.घ.शौ. (ग.रे.नी./ग.रे.उ) के निर्माण हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	ग.रे.नी-व्.घ.शौ			ग.रे.उ.-व्.घ.शौ		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलबधि की प्रतिशतता
2009-10	113.52	58.69	51.70	115.26	65.38	56.73
2010-11	121.89	61.56	50.50	147.23	60.88	41.35
2011-12	83.78	47.35	56.51	90.14	40.64	45.09
2012-13	62.70	29.19	46.57	61.04	16.39	26.85
2013-14	44.43	25.53	57.47	56.09	24.26	43.25
कुल:	**426.32**	**222.32**	**52.54**	**469.76**	**207.55**	**44.18**

विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशतता
2009-10	3,02,601	1,44,480	47.75
2010-11	2,65,542	1,05,509	39.73
2011-12	1,23,413	1,22,471	99.24
2012-13	1,62,376	76,396	47.05
2013-14	73,610	37,822	51.38
कुल:	**9,27,542**	**4,86,678**	**52.47**

आंगनबाड़ी शौचालयों के निर्माण के लिए प्राप्त लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशतता
2009-10	1,45,112	66,227	49.02
2010-11	1,20,933	50,823	42.03
2011-12	50,887	28,409	55.83
2012-13	79,763	36,677	45.98
2013-14	61,983	22,318	36.01
कुल:	**4,58,678**	**2,04,454**	**45.57**

सा.स्वा.प. के निर्माण हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशतता
2009-10	12,949	2,230	17.22
2010-11	11,799	3,377	28.62
2011-12	7274	2,547	35.02
2012-13	5952	1,995	33.52
2013-14	4,502	1,530	33.98
कुल:	**42,476**	**11,679**	**27.50**

ठो.त.व्य.प्र. के निर्माण हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
2009-10	उ.न.	3813	उ.न.
2010-11	उ.न.	9733	उ.न.
2011-12	उ.न.	2729	उ.न.
2012-13	उ.न.	1624	उ.न.
2013-14	उ.न.	1250	उ.न.
		19149	

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-3.2
(पैराग्राफ 3.2.1.1 के संदर्भ में)
मृत शौचालये

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रा.प.सं. द्वारा की गयी प्रविष्टि	कुल एच.एच.				एच.एच.की सं. शौचालय के शाथ			
			शौचालय के साथ	शौचालय के साथ की प्रतिशतता	शौचालय के बिना	शौचालय के बिना की प्रतिशतता	कार्यात्मक शौचालय	कार्यात्मक शौचालय की प्रतिशतता	मृत शौचालयें	मृत शौचालयों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5 =4/(4+6)*100	6	7 =6/(4+6)*100	8	9 =(8/4)*100	10	11 =(10/4)*100
1	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	69	24542	53.77	21104	46.23	23741	96.74	801	3.26
2	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	21620	3712718	30.86	8319104	69.14	3462547	93.26	250171	6.74
3	अरूणाचल प्रदेश	1761	72993	41.49	102931	58.51	51102	70.01	21891	29.99
4	असम	2691	2300990	40.66	3358772	59.34	1678323	72.94	622666	27.06
5	बिहार	8404	4581024	21.41	16816311	78.59	2826747	61.71	1754253	38.29
6	छत्तीसगढ़	9726	1752468	39.57	2676670	60.43	720708	41.13	1031760	58.87
7	गोवा	190	113168	60.72	73224	39.28	113168	100.00	0	0.00
8	गुजरात	13879	3708132	52.75	3321047	47.25	3142755	84.75	565377	15.25
9	हरियाणा	6081	2303961	75.10	763946	24.90	2284176	99.14	19785	0.86
10	हिमाचल प्रदेश	3243	1276405	86.04	207164	13.96	1217466	95.38	58939	4.62
11	जम्मू एवं कश्मीर	4126	412948	24.55	1268792	75.45	372149	90.12	40799	9.88
12	झारखंड	4436	1445672	28.03	3712585	71.97	486650	33.66	959022	66.34
13	कर्नाटक	5630	3015284	35.41	5499270	64.59	2887981	95.78	127303	4.22
14	केरल	977	4921674	94.68	276793	5.32	4731832	96.14	189842	3.86
15	मध्य प्रदेश	22975	3204566	26.17	9039497	73.83	2369422	73.94	835144	26.06
16	महाराष्ट्र	27885	6024352	48.04	6515718	51.96	5308359	88.12	715982	11.88
17	मणिपुर	2935	221232	51.28	210146	48.72	163465	73.89	57767	26.11
18	मेघालय	5564	214925	52.22	196685	47.78	194421	90.46	20504	9.54
19	मिजोरम	680	96513	75.92	30606	24.08	94046	97.44	2467	2.56

20	नागालैंण्ड	1110	130892	49.78	132047	50.22	127613	97.49	3278	2.50
21	ओड़िशा	6235	1038127	11.51	7981973	88.49	564064	54.33	474063	45.67
22	पुदुचेरी	98	45425	50.01	45403	49.99	45315	99.76	110	0.24
23	पंजाब	12826	2399641	75.17	792450	24.83	2373200	98.90	26441	1.10
24	राजस्थान	9176	3136072	27.26	8369638	72.74	2368356	75.52	767716	24.48
25	सिक्किम	176	47593	81.55	10768	18.45	47593	100.00	0	0.00
26	तमिलनाडु	12524	4272829	44.79	5267470	55.21	2970931	69.53	1301898	30.47
27	त्रिपुरा	1038	511174	62.60	305457	37.40	394417	77.16	116757	22.84
28	उत्तर प्रदेश	51893	10122500	35.24	18598344	64.76	6862812	67.80	3259070	32.20
29	उत्तराखंड़	7518	1041586	67.14	509830	32.86	931085	89.39	110501	10.61
30	पश्चिम बंगाल	3349	8389983	55.31	6777830	44.69	7235473	86.24	1154448	13.76
कुल :-		**248815**	**70539389**	**38.81**	**111201575**	**61.19**	**56049917**	**79.46**	**14488755**	**20.54**

[स्रोत: मंत्रालय का स.प्र.सू.प्र.]

अनुबंध-3.3
(पैराग्राफ 3.2.1.3 के संदर्भ में)
अस्वास्थ्यकर शौचालय

क्षेत्र नाम	शौचालय सुविधा का प्रकार: घरेलू खुले नाली में रात्री विष्ठा प्रवृत्त	शौचालय सुविधा का प्रकार: सेवा शौच-विष्ठा को मानव घरों द्वारा हटाया गया	शौचालय सुविधा का प्रकार: विष्ठा को जानवर घरों द्वारा सेवित किया गया।	कुल
आन्ध्र प्रदेश	25,523	3,246	26,338	55,107
अरूणाचल प्रदेश	1,635	959	9,440	12,034
असम	47,345	15,961	32,034	95,340
बिहार	28,899	9,765	29,779	68,443
छत्तीसगढ़	1,504	552	2,213	4,269
दादर एवं नागर हवेली	50	55	26	131
गुजरात	7,586	1,408	2,593	11,587
हरियाणा	6,252	658	2,591	9,501
हिमाचल प्रदेश	1,029	310	453	1792
जम्मू एवं कश्मीर	10,312	1,60,770	9,178	1,80,260
झारखंड	3,615	1,061	2,879	7,555
कर्नाटक	9,328	2,052	13,388	24,768
केरल	4,506	1,358	1,311	7,175
मध्य प्रदेश	10,896	2,947	7,770	21,613
महाराष्ट्र	20,875	4,291	12,528	37,694
मणिपुर	17,025	6,097	2,516	25,638
मेघालय	1,577	1,657	3,986	7,220
मिजोरम	77	107	547	731
नागालैण्ड	804	678	2,420	3,902
ओडिशा	17,691	18,949	17,426	54,066
पंजाब	11,563	2,625	6,870	21,058
राजस्थान	10,069	772	4,663	15,504
तमिलनाडु	15,920	10,245	12,605	38,770
त्रिपुरा	1,948	712	3,444	6,104
उत्तर प्रदेश	56,663	2,19,401	58,752	3,34,816
उत्तराखण्ड	1,870	3,451	2,094	7,415
पश्चिम बंगाल	56,105	1,15,928	48,960	2,20,993
कुल	3,70,667	5,86,015	3,16,804	12,73,486

[स्रोत: भारत 2011 का जनगणना 2011]

अनुबंध-3.4
(पैराग्राफ 3.2.2.1 का संदर्भ)
सा.स्वा.प. का गैर-रखरखाव

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणीयाँ
1.	अरूणाचल प्रदेश	जाँच किए गए जिलों में, ना ही समुदाय ने ना ही विभाग ने रखरखाव की जिम्मेदारी ली, रखरखाव पर किए गए व्यय का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। भौतिक सत्यापन के दौरान, शौचालयों को बंद, खराब रखरखाव अथवा स्टोर के रूप में उपयोग छोटा पाया गया। इसके अतिरिक्त स.प्र.सू.प्र. के डाटा के अनुसार, चांगलांग जिले में कोई भी समुदाय सा.स्वा.प. का उपयोग नहीं कर रहा था, जिससे सा.स्वा.प. पर किया गया पूर्ण व्यय व्यर्थ हुआ।
2.	बिहार	सभी जांच किए गए जिलों में सा.स्वा.प. में जल उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। इसके अतिरिक्त, चार[1] जांच किए गए जिलों में निर्माण किए गए सा.स्वा.प. के रखरखाव एवं मरम्मत से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। मुजफ्फरपुर जिले में, 53 में से केवल पांच सा.स्वा.प. कार्यशील थे।
3.	गुजरात	दो जांच किए जिलों अर्थात भरूच तथा खेड़ा में, 2005-09 के दौरान 141 निर्मित सा.स्वा.प. में से कोई भी मार्च 2014 तक क्रियाशील नहीं था। अमरेली एवं वलनाड जिलों में क्रमश 2006-09 के दौरान निर्माण किए गए 49 एवं 100 सा.स्वा.प. में से क्रमश: 17 एवं 71 सा.स्वा.प. गैर-क्रियाशील पाए गए।
4.	हिमाचल प्रदेश	ग्रा.प. नरचौक जो ब्लॉ.वि.अ., बाल्ह के अधीन था, क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान यह पाया कि ₹2.50 लाख की लागत पर निर्मित किए गए सा.स्वा.प. (सं.एवं.अ.: ₹1.00 लाख तथा अन्य योजनाएँ: ₹1.50 लाख) अनुपयोगी पड़े हुए थे ब्लॉ.वि.अ. ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि सा.एवं.प. के अनुरक्षण में त्रुटि के कारण ये वे जुलाई 2014 तक क्रियाशील नहीं हो सके।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	दो जिलों (रामबन, बडगाम) के तीन ब्लॉकों में ₹0.22 करोड़ की लागत पर सा.स्वा.प. का निर्माण किया गया जो गैर-प्रयोग में थे, जिससे उन पर किया पूर्ण व्यय व्यर्थ था। यह इंगित करने पर ब्लॉ.वि.अ. ने कहा कि सा.स्वा.प. के निर्माण के रखरखाव की जिम्मेदारी लेने वाली एजेन्सी का चयन होने के बाद इनका उपयोग किया जाएगा।
6.	झारखंड	जि.जल.स्व.मि., रांची निर्माण किए गए सा.स्वा.प. के क्रियाशील होने तथा रखरखाव की स्थिति के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, गढ़वा ब्लॉक के तीन स्कूलों का भौतिक सत्यापन यह दर्शाता है कि स्कूल द्वारा स्वंय सा.स्वा.प. का उपयोग स्कूल द्वारा भी नहीं किया जा रहा था।
7.	कर्नाटक	यद्यपि योजना में परिकल्पित था कि सा.स्वा.प. को क्रियाशील एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायित्व के लिए समूह/समिति का गठन किया जाए, परंतु ऐसा प्रयास ग्रा.पं. में नहीं किया गया था। किसी भी ग्रा.पं. द्वारा रखरखाव हेतु अन्य योजनाओं में से निधियों के उपयोग/अभिसरण हेतु प्रावधान नहीं किए थे। ग्रा.पं. द्वारा सा.स्वा.प. की स्वच्छता एवं रखरखाव हेतु कोई उपयोग प्रभार नहीं लिए थे।

[1] कैमूर, कटिहार, मुंगेर और नवादा

		बालोबल ग्रा.पं. के सा.स्वा.प. का निर्माण ₹1.75 लाख की लागत पर 2012-13 में निर्माण किया गया, जो घनी झाडियों से घिरा हुआ था तथा लोगों के लिए प्रवेश योग्य नहीं था। इसे फरवरी 2013 से बिना तैयार किए ही बीच में छोड़ दिया था, जिससे इस पर किया गया व्यय व्यर्थ हुआ।
8.	केरल	जांच किए गए जिलों में, लेखापरीक्षा अवधि में ₹3.38 करोड़ की लागत पर 130 सा.स्वा.प. का निर्माण किया गया था। जांच किए गए ग्रा.पं. में किसी भी सा.स्वा.प. में घटक जैसे नहाने का केबिन धुलाई स्थल, वॉशबेसिन आदि नहीं थे। अट्टापदी ब्लॉ.प. में निर्माण किए गए सात सा.स्वा.प. स्कूल प्रि-मेट्रिक हॉस्टल आदि स्थलों पर थे जो भारत सरकार के दिशानिर्देश के अंतर्गत आवृत नहीं थे। सभी संस्थानों में इनके उपयोग एवं समय की पाबंदी थी, जिससे इनके उपयोग हेतु जनता को सुगमता नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया कि कुछ सा.स्वा.स. क्षतिग्रस्त अथवा अनुचित अनुरक्षण था। थिरूविलवामाला ग्रा.प. (त्रिशूर जिला) ने मार्च 2010 में शमशान में दो सा.स्वा.प. ₹3.89 लाख के व्यय पर निर्माण किया। जनता को सा.स्वा.प. से लाभ नहीं हुआ क्योंकि पानी, वॉश बेसिन, ओररहेड टैंक तथा विद्युत की अनुपलब्धता के कारण बन्द पड़े थे। पाझयन्नूर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.) ने अक्टूबर 2010 में ₹3.89 लाख की लागत पर एक सा.स्वा.प. के निर्माण का कार्य पूरा किया था। यद्दपि, सा.स्वा.प. इसके पूर्ण होने के बाद से ही बन्द पड़ा था। अगस्त 2011 में ₹0.90 लाख की लागत पर पी.एच.सी. पुदुप्पारिसरम में मालमपुझा ब्लॉक पंचायत ने एक सा.स्वा.प. का निर्माण किया था। सा.स्वा.प. बिना उचित अनुरक्षण के कारण बुरी स्थिति में थी।
9.	मणिपुर	जि.ज.स्व.मि. के पास सा.स्वा.प. को क्रियाशील व अनुरक्षण के लिए समिति/वर्ग बनाने तथा उपयोग प्रभार वसूली संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।
10.	नागलैण्ड	तीनों जांच किए गए जिलों में निर्माण किए गए सभी सा.स्वा.प. का वित्तपोषण पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा किया गया था। यह पाया गया कि निर्माण किए गए दो-सीट वाले सा.स्वा.प. (दीमापुर जिले के अंतर्गत निहोखू गॉव तथा मेद्जीफेमा शहर प्रत्येक में एक) अनुमोदित नक्शे के अनुसार नहीं थे। यह भी पाया गया कि इनमें पानी का प्रावधान नहीं किया गया था। मेद्जीफेमा शहर में सा.स्वा.प. में केवल दो शौचालय तथा निहोखू गॉव में सा.स्वा.प. में केवल एक सामान्य शौचालय तथा दो पेशाबघर थे।
11.	उत्तराखंड	अल्मोड़ा एवं पौड़ी जिलों के नमूना ब्लॉकों में छः सा.स्वा.प[2]. में से तीन का मंदिर परिसर में, दो का संबंधित गाँवों में तथा एक का बाजार में निर्माण कराया गया था। सा.स्वा.प. के निर्माण के निर्णय में पाया कि घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए उन गॉवों में जगह की कमी, भूमिहीन परिवारों की संख्या आदि के संबंध में निर्धारण नहीं किया गया था। रियालकोट (अल्मोड़ा) में पाया कि सा.स्वा.प. बन्द है तथा ग्रा.प. के 15 परिवारों की जनसंख्या (बिना व्य.घ.शौ.) ने बताया कि सा.स्वा.प. गॉव से बहुत दूर है तथा इसका उपयोग तभी संभव था जब इसका निर्माण रहने वालों के स्थान पर किया होता।

[2] ग्रा.प. 1.सैंज 2.सरकार-की-आली 3.रियालकोट 4.नौला 5.अल्मोड़ा का तथा 6.पौरी के पौरी ब्लॉक का उफाल्दा

		सरकार-की-आली (अल्मोड़ा) के सा.स्वा.प. में दो शौचालय सीट के स्थान पर केवल एक सीट का निर्माण किया गया था, तथा पेशाबघर भी टूटा हुआ था। वहाँ पानी निकास नहीं था। शौचालय गंदा था, तथा बहुत समय से उपयोग में नहीं था। सैंज (अल्मोड़ा) के सा.स्वा.प. में पाया गया कि इसका कभी-कभार ही उपयोग होता था, परंतु बहुत गंदी स्थिति में था। पौड़ी जिले के उफाल्दा में सा.स्वा.प. बहुत गन्दी स्थिति में पाया गया तथा यह अन्दर-बाहर दोनों तरफ से गन्दा था। इसमे से गन्दी बदबू आ रही थी। नौला तथा लिंगुआंता (अल्मोड़ा) में निर्मित सा.स्वा.प. अच्छी स्थिति में था। यद्यपि, वहाँ पानी का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
12.	उत्तर प्रदेश	सा.स्वा.प. के अनुरक्षण का प्रावधान नहीं किया था।
13.	पश्चिम बंगाल	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सा.स्वा.प. की मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी। यद्यपि, जलपाइगुडी जि.प. में ₹.1.09 करोड़ राशि के शौचालय कॉम्पलेक्स के निर्माण का प्रस्ताव जिले के विभिन्न थानों एवं ग्रा.प. में किया गया था। परंतु भौतिक एवं वित्तीय तिष्पादन रिपोर्ट लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसलिए लेखापरीक्षा जि.प. के प्राधिकार के मुद्दों के संबंध में वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगा पाया। सा.स्वा.प. के निर्माण के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय योजना मंजूरीदाता समिति (रा.यो.म.स.) से अनुमोदित नहीं कराया गया था। माधवपुर की मोहम्मदपुर ग्रा.प. की बाजार समिति को में पूर्वी मेदिनीपुर जि.प. ने ₹1.80 लाख भुगतान एवं उपयोग करो शौचालय के निर्माण के लिए आंवटित किए। निर्माण की स्थिति को जांचने के लिए एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें पाया कि शौचालय कॉम्पलैक्स अस्तित्व में नहीं था। बहुत सारे दुकानदार एवं ग्रा.प. के स्थानीय सदस्यों एवं ग्रा.प. के प्रधान वहाँ उपस्थित थे, और माना कि वहाँ कोई शौचालय कॉम्प्लैक्स का निर्माण नहीं हुआ था। पांच चयनित जिलों में यह पाया गया कि शौचालय सुविधा के अनुरक्षण हेतु समुदाय एवं परिवार के सदस्यों को शिक्षित नहीं किया गया था चयनित 82 पं.रा.सं. में से कोई भी सा.स्वा.प. के अनुरक्षण लागत हेतु उचित तंत्र जैसे उपयोग प्रभार तथा बाद के आवधिक उपयोग के खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण सा.स्वा.प. बन्द थे। चयनित पांच जि.पं., 21 थानों एवं 56 ग्रा.पं. द्वारा सा.स्वा.प. की वर्तमान स्थिति एवं डाटा बेस अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़े संकलित]

अनुबंध- 3.5
(पैराग्राफ 3.2.3.2 के संदर्भ में)
स्कूल शौचालय: अन्य अनियमितताएं

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणियाँ
1.	आंध्र प्रदेश	तीन जांच-परीक्षित जिलों में आवश्यकता के विरूद्ध महिलाओं के लिए अलग से शौचालयों का प्रावधान शून्य से 31 प्रतिशत[3] तक के बीच था। चित्तूर में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण का प्रतिशत शतप्रतिशत था, विशाखापटनम में यह बहुत निम्न था।
2.	अरूणाचल प्रदेश	भौतिक जांच किए गए 26 स्कूल शौचालयों में से 23 बन्द थे, परिणामत: ₹4.60 लाख (@ ₹20,000 प्रति इकाई) का व्यर्थ व्यय हुआ।
3.	असम	स्कूल शौचालयों का निर्माण स्व.से.सं./गै.स.सं. द्वारा कराया गया था। तीन जांच-परीक्षित जिलों के रिकार्ड के दोहरे सत्यापन (जून-अगस्त 2014) में उजागर हुआ कि तिनसुकिया जिले में ₹1.31 लाख की लागत पर 10 स्कूल शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया था, जबकि पू.स्व.अ. के अंतर्गत इन्हे निर्मित दिखाया हुआ था।
4.	बिहार	स्कूल शौचालयों के निर्माण की उपलब्धि 94 प्रतिशत से ज्यादा थी। किसी भी जांच-परीक्षित जिले ने स्कूल शौचालय की आवश्यकता हेतु स्कूल में बच्चों की संख्या को आधार नहीं बनाया था तथा स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्वास्थ्यकर शिक्षा में पारंगत शिक्षक नहीं थे। इसके अतिरिक्त, बच्चों के लिए शौचालय के प्रावधान को विशेष आवश्यकता के रूप में शामिल नहीं किया गया था। स्कूलों के पास स्कूल शौचालयों के अनुरक्षण हेतु कोई निधि उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप चार शौचालय गन्दे एवं गैर-अनुरक्षित थे।
5.	गुजरात	मार्च 2012 तक सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय के निर्माण के संबंध में सितम्बर 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा लेखापरीक्षित जिलों[4] में 2011-14 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान को 2,712 अतिरिक्त शौचालय इकाईयाँ निर्मित करने के लिए ₹8.32 करोड़ जारी करने के बावजूद केवल 1,505 शौचालय इकाईयाँ (55 प्रतिशत) मार्च 2014 तक पूर्ण हुई थी।
6.	जम्मू एवं कश्मीर	चयनित जिलों में लड़कियों के लिए शौचालय निर्माण में कमी 40 प्रतिशत एवं 86 प्रतिशत के बीच थी, जिसके कारण मार्च 2014 तक लड़कियों के लिए अलग शौचालयों के बिना 2196 सह-शिक्षा स्कूल वंचित थे।
7.	झारखण्ड	स्कूलों में एक इकाई[5] अथवा दो इकाई[6] शौचालयों का एकरूप निर्माण किया गया था, जिसमें वास्तविक आवश्यकता हेतु स्कूलों में भर्ती छात्रों की संख्या को शामिल नहीं किया गया था। छात्रों के लिए निर्माण किए गए शौचालयों/पेशाबघरों की पर्याप्तता को लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि जांच-परीक्षित जि.ज.स्व.मि. के पास शौचालय के निर्माण के समय संबंधित स्कूल में छात्रों की संख्या के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं था।
8.	कर्नाटक	संस्थानिक शौचालय के संदर्भ में पाया गया कि आवश्यकता से संबंधित मूल डाटा विश्वसनीय

[3] आदिलाबाद (31 प्रतिशत), चित्तूर (0 प्रतिशत), करीमनगर (100 प्रतिशत), श्रीकाकुलम (5 प्रतिशत) तथा विशाखापटनम (2 प्रतिशत), खम्माम (जानकारी नहीं प्रदान की गई)

[4] अमेरीली जिले के लिए लक्ष्य संशोधित नहीं किए गए थे।

[5] 2010-11 तक लड़के एवं लड़कियों के लिए साझा एक शौचालय तथा दो मूत्रालय शामिल थे।

[6] 2011-12 से लड़के एवं लड़कियों के लिये अलग से दो शौचालय तथा चार मूत्रालय शामिल थे।

		नहीं था। कुछ मामलों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण दर्शाता है कि निर्माण निम्न स्तर का था।
9.	केरल	चार जांच परीक्षित जिलों में से तीन में ₹1.21 करोड़ की लागत पर 323 विद्यालय शौचालयों का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा में आवृत्त अवधि में निधियों के आवंटन न होने के कारण अलप्पुझा जिले में किसी विद्यालय शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था। पलक्कड़ एवं त्रिशूर जिले में पाया गया कि 209 सरकारी स्कूलों में 1455 शौचालयों की कमी थी।
10.	मध्य प्रेदश	जि.ज.स्व.मि. एवं जांच परीक्षित शाहदोल जिले की ग्रा.पं. के बरहर जि.पं. के स्कूल शौचालयों में 18 फोर्स लिफ्ट पम्प (फो.लि.प.) स्थापित की थी तथा पांच[7] ग्रा.प. के सोहागपुर तथा बियोहरि जि.प. में 25 फो.लि.प. स्थापित किये गए थे। जो गैर-क्रियाशील थे, जिसके कारण इन फो.लि.प. पर किया गया ₹2.91[8] लाख का व्यर्थ व्यय हुआ। बियोहारी जि.पं. के पांच स्कूलों के भौतिक सत्यापन में यह पाया कि फो.लि.प. अस्तित्व में नहीं थी तथा स्कूल शौचालय उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे।
11.	महाराष्ट्र	विद्यालय शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा अनुरक्षित एकल जिला सूचना प्रणाली में स्थित 66,444 सरकारी एवं स्थानीय प्राधिकृत विद्यालयों के आंकड़े के विश्लेषण से उद्घटित (सितम्बर 2013) होता है कि 84 विद्यालयों में शौचालय नहीं थे तथा आठ जांच परीक्षित जिलों के 55 सरकारी विद्यालयों में शौचालय नहीं थे।
12.	मेघालय	जि.ज.स्व.मि. ने सह-शिक्षा स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान नहीं की थी (चयन की प्रतिशतता 2 से 4 प्रतिशत के बीच थी) तथा निष्पादन निकृष्ट था (2011-12 में 55 प्रतिशत को छोड़कर 0 से 15 प्रतिशत)।
13.	राजस्थान	सीकर, चुरू तथा श्रीगंगानगर जिलों में यह पाया गया कि 1605 विद्यालय शौचालय उपयोग में नहीं थे, क्योंकि ये जल आपूर्ति से जुडे नहीं थे।
14.	तमिलनाडु	तीन जिलों में 12 विद्यालयें बिना शौचालय के थे तथा दो जिलों में 156 विद्यालयें बिना पानी की सुविधा के थे।
15.	उत्तर प्रदेश	स्कूल में उपस्थित हो रहे छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शौचालय इकाइयों का निर्माण नहीं किया गया था। संबंधित विभागों से स्कूल शौचालयों के अनुरक्षण का आश्वासन प्राप्त नहीं किया गया था तथा ग्रा.प. द्वारा शौचालयों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
16.	उत्तराखण्ड	सह-शिक्षा स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय के निर्माण तथा स्कूल में उपस्थित हो रहे छात्रों की संख्या के विरूद्ध शौचालयों की आवश्यकता के संबंध में डी.पी.एम.यू. ने कोई निर्धारण/विश्लेषण नहीं किया गया था। शिक्षा विभाग द्वारा डी.पी.एम.यू. से बिना शौचालय के स्कूलों की सूची मांगी थी तथा उसी सूची के आधार पर शिक्षा विभाग को शौचालयों हेतु विद्यालय-वार निधि का अंतरण किया गया था।
17.	पश्चिम बंगाल	2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान शौचालयों के निर्माण हेतु हल्दिया थाने ने ठेकेदार लगाए थे तथा ₹0.15 करोड़ का व्यय किया था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

[7] ग्रा.प. चुनियां (ज.पं. सोहागपुर), ग्रा.पं. बनासी, कल्हारी, कुआ तथा समन (ज.पं. बियोहारी)

[8] जि.पं. बुरहर की ग्रा.पं. में ₹8000-₹1.44 लाख के 18 फो.लि.प. स्थापित किए तथा ₹1.47 लाख के फो.लि.प. ज.पं. सोहागपुर तथा बियोहारी ग्रा.प. में स्थापित किए थे।

अनुलग्न- 3.6
(पैराग्राफ 3.2.4.2 का संदर्भ)
आंगनवाड़ीशौचालय: अन्य अनियमितताएँ

राज्य	टिप्पणियाँ
ऑंध्र प्रदेश	आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने के पानी एवं स्वरूछता से संबंधित बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की गई थीं, जो संचालन एवं अनुरक्षण की कमी के कारण बेकार हो गई थी। इसके अतिरिक्त, आदिलाबाद, करीमनगर तथा खम्माम जिलों में सरकारी भवन में सभी आंगनवाड़ी में शि.अ.शौ. था, किन्तु आदिलाबाद में 2834 में से 1803 आंगनवाड़ियॉ केवल निजी भवन में थी जिनमें शि.अ.शौ. थे। चित्तूर में (अगस्त 2014 तक) सरकारी भवन में स्थित कुल 745 आंगनवाड़ियों में से 61 बिना शि.अ.शौ. के थी। श्रीकाकुलम में 374 आंगनवाड़ियों में से 210 बिना शि.अ.शौ. के थीं। विशाखापत्तन में 1086 आंगनवाड़ियों में से 562 में शि.अ.शौ. नहीं था।
अरूणाचल प्रदेश	आंगनवाड़ी केन्द्रों में शि.अ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया।
असम	जॉच परीक्षित जिलों में 2833 आ.वा.के. में 2833 शि.अ.शौ. की आवश्यकता थी। यद्यपि मार्च 2014 तक कोई भी शि.अ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था। उदलगुड़ी, नलबाड़ी तथा गोलपाड़ा जिलों में निजी भवन में कार्यशील 412 आ.वां.के. बिना शि.अ.शौ. के पाए गए थे।
बिहार	निजी भवन में चल रही आंगनवाड़ी केन्द्रों में कोई शौचालय का निर्माण नहीं किया गया था।
गुजरात	चार जिलों के आठ जांच परीक्षित तालुकाओं में 1602 आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण किया गया था, जिसमें से 462 शौचालयों (29 प्रतिशत) का उपयोग नहीं हो रहा था। जिससे ये गैर क्रियाशील थे।
केरल	जांच परीक्षित जिलों में निर्माण किए 849 शौचालयों में से केवल 332 शौचालय शि.अ.शौ. थे। यह बतलाया गया था कि शि.अ.शौ. के निर्माण में बाधा शि.अ.शौ. के लिए प्रति इकाई कम लागत प्रदान करना था।
महाराष्ट्र	चयनित आठ जिलों में, 10568 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय नहीं थे।
मणिपुर	यद्यपि सरकारी भवनों में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय बने हुए थे, परंतु ये शि.अ.शौ. को नहीं दर्शाते थे।
नागालैंड	तीन जॉच परीक्षित जिलों में निर्माण किए गए सभी आंगनवाड़ी शौचालय इकाई पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थे। 23 गॉवों की 26 आंगनवाड़ियों का संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह उजागर हुआ कि 21 आंगनवाड़ियों में शौचालय थे, जिनमें से केवल 10 क्रियाशील शौचालय थे तथा शेष निष्क्रिय अथवा टूटे हुए थे। आंगनवाड़ी में सभी शौचालय "सामान्य शौचालय" थे तथा शि.अ.शौ. नहीं थे।

पंजाब	आंगनवाड़ी केन्द्रों में शि.अ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था।
राजस्थान	तीन ब्लॉकों (24-ब्लॉक रानीवाड़ा, जिला जालौर तथा 22-ब्लॉक घाटोल, 40-ब्लॉक बागीडोरा, जिला बांसवाड़ा) में निजी भवनों में कार्यशील 86 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शि.अ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था।
तमिलनाडु	निजी भवन में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों में कोई शौचालय का निर्मित नहीं था।
उत्तराखंड	यू.एस.नगर एवं देहरादून में कोई आंगनवाड़ी का निर्माण नहीं किया गया था। तथापि पौड़ी अल्मोड़ा में क्रमश: 23 और दो शौचालय का निर्माण किया गया था।
उत्तर प्रदेश	निजी भवन में चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों में कोई शौचालय का निर्मित नहीं था।

[स्रोत:- नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़े संकलित]

अनुबंध - 3.7
(पैराग्राफ 3.2.5.1 के संदर्भ में)
ठो.त.व्य.प्र. गतिविधियों को प्रारंभ न करना

क्र. सं.	राज्य	टिप्पणियाँ
1.	अरूणाचल प्रदेश	पे.ज.स्व.म. द्वारा टिकाऊ, कम लागत की व्य.घ.शौ./सा.स्वा.प./संस्थानिक शौचालयों के निर्माण में लाभार्थियों की सहायता करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी, सामग्री, अभिकल्पना और पद्धतियों के विषय में विशेषज्ञता/सूचना प्राप्त करने के लिए किसी संगठन/संस्थान के संपर्क नहीं किया गया। तथापि, राज्य सरकार द्वारा व्य.घ.शौ./सा.स्वा.प./संस्थानिक शौचालयों के आरेख/अभिकल्पना को अधिसूचित किया गया। जि.ज.स्व.स., चांगलौंग द्वारा भी चार कक्षों वाले विद्यालयी शौचालयों (लड़कियों एवं बालकों प्रत्येक के लिए दो कक्ष) की आरेख/अभिकल्पना तैयार की गई परंतु केवल दो कमरों वाले विद्यालयी शौचालयों, कन्याओं व बालकों में से प्रत्येक के लिए एक का निर्माण किया गया। पश्चिमी सिमांग जिलें में कुछ मामलों में केवल एक कक्ष वाले विद्यालयी शौचालयों का निर्माण किया गया जिससे विद्यार्थी आवश्यक स्वच्छता/स्वास्थय सुविधाओं से वंचित रहे। निर्वाहक अभिकरणों द्वारा लाभार्थियों को निर्माण के लिए सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होने के पश्चात उपलब्ध करायी गयी।
2.	बिहार	बिहार राज्य जल व स्वच्छता मिशन के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के विभिन्न संघटकों के लिए निधियों के आवंटन का निर्धारण किए बिना जि.ज.स्व.स. को एकमुश्त निधियाँ निर्मुक्त की गयी तथा ठो.त.व्य.प्र. के विभिन्न संघटकों के तहत वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। तथापि मार्च 2014 तक राज्य के 8404 ग्रा.प. में से 154 में ही ठो.त.व्य.प्र. का कार्य किया गया।
3.	केरल	चार नमूना-परीक्षित जिलों में ठो.त.व्य.प्र. के लिए निर्धारित ₹5.26 करोड़ रूपयों में से ₹5.23 करोड़ रूपयों का उपयोग किया गया (मार्च 2014)। त्रिशूर जिले के कोडाकारा और कोराट्टी ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए ठोस कूड़ा प्रशोधन सयंत्र रखरखाव के अभाव में कार्य नहीं कर रहे थे। ग्राम पंचायतों द्वारा इन्हें क्रियाशील बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका परिणाम सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े-करकट के क्षेपण में हुआ। और ग्राम पंचायतों सामान्य स्वच्छता बनाए रखने में असफल रहीं।
4.	महाराष्ट्र	207 चयनित ग्राम पंचायतों में से केवल 10 ग्राम पंचायतों में ही ठो.त.व्य.प्र. का कार्य पूर्ण किया गया। आठ नमूना-परीक्षित जिलों में, 2009-14 के दौरान 472 ग्राम पंचायतों में से जिन 353 ग्रा.प. को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया उनमें ठो.त.व्य.प्र. नहीं था।
5.	उत्तर प्रदेश	ठो.त.व्य.प्र. को परियोजना प्रणाली के रूप में प्रारम्भ किया गया था परंतु सभी ग्रा.प. में ऐसा नहीं किया गया। सभी ग्राम पंचायतों में दीर्घकालिक ठो.त.व्य.प्र. परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता परिवारों की संख्या व घटती बढ़ती लागत सहभाजन प्रतिमान पर निर्धारित की गई थी। वानस्पतिक पिट, कृषि-खाद, सामूहिक/सार्वजनिक और निजी बायोगैस प्लांट, कम लागत की जल-निकासी, सोकेज चैनल/पिट्स, बेकार जल का पुर्नप्रयोग व संग्रहण व्यवस्था, घरेलू कूड़े का पृथक्करण व निपटान जैसी गतिविधियों को ठो.त.व्य.प्र. के अंतर्गत नहीं लिया गया। ठो.त.व्य.प्र. की परियोजनाओं के विकास/जाँच/कार्यान्वयन के लिए वृत्तिक/अनुभवी अभिकरणों की सहायता नहीं ली गई। योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शौचालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा व्य.घ.शौ./सा.स्वा.स./संस्थागत शौचालयों के अभिकल्प और अनुमान का नमूना अभिकल्प अधिसूचित किया गया (नवम्बर 2005)। तथापि कम लागत की प्रौद्योगिकी और उत्पादों

		का मानकीकरण और उनको लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। शौचालयों के निर्माण में लाभार्थियों को सहायता करने के लिए एस.एस.एम./डी.एस.एम. द्वारा नवीन प्रौद्योगिकीयों, सामग्रियों, अभिकल्पों और पद्धतियों के विषय में सूचना व विशेषज्ञता हासिल करने के लिए संगठनों/संस्थाओं से संपर्क नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नमूना अभिकल्प के अनुसार निर्माण के लिए आवश्यक औजारों और सामग्रियों को सुनिश्चित नहीं किया। लागत में मितव्ययिता और निर्माण की गुणवत्तता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण में समन्वय के लिए समिति का निर्माण नहीं किया गया।
6.	उत्तराखंड़	देहरादून में ठो.त.व्य.प्र. गतिविधि नहीं की गई। दे.प.प्र.यू., अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि सारे निर्माण कार्य (केवल अल्मोड़ा जिले में ₹34,500 की राशि से ग्राम पंचायत, सारसू में एक कूड़ागर्त के निर्माण को छोड़कर) केवल निजी परिवारों के लिए गए जो दिशानिर्देशों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त जैसा कि नि.भा.अ. के दिशानिर्देशों में उल्लेखित था राज्य की किसी भी ग्राम पंचायत में ठो.त.व्य.प्र. गतिविधियाँ प्रारम्भ नहीं की गई।
7.	पश्चिम बंगाल	पूर्बा मेदिनीपुर जिला पंचायत में ठो.त.व्य.प्र. की 17 परियोजनाएँ प्रारम्भ की गईं और बताया गया कि केवल एक परियोजना पूरी की गयी है परंतु लेखापरीक्षा को सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए। कॉन्टाई-I पी.एस.के. चयनित सबाजपूत ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि परियोजना अभी भी प्रगति पर है और विशेषज्ञता के अभाव में परियोजना की निगरानी नहीं की जा रही थी। बताया गया कि बर्द्धवान जिले में एक क्षे.प्र.व्य.प्र. परियोजना पूरी कर ली गयी थी परंतु उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद जिलों में कोई भी परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई। यह देखा गया कि ग्राम पंचायत का अधिकत्तर अपशिष्ट जल का निपटान जलाशयों, कृषियोग्य भूमि और सिंचाई के लिए निर्मित नहरों में किया जाता था और समुचित जल निकासी व्यवस्था के अभाव में अपशिष्ट जल ट्यूबवेलों के आसपास एकत्र हो जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ घरों के सैप्टिक टैंक का अपशिष्ट जल का निपटान सीधे पोखरों/तालाबों या सड़कों में किया जाता था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलोखों से संकलित आंकड़े]

अनुबंध- 4.1
योजना पर व्यय
(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12		
		कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय		कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय		कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	
			राशि	*प्रतिशत*		राशि	*प्रतिशत*		राशि	*प्रतिशत*
1	आंध्र प्रदेश	254.68	64.71	25.41	342.64	101.89	29.74	354.35	114.95	32.44
2	अरूणाचल प्रदेश	19.32	6.90	35.72	15.35	6.78	44.16	14.22	6.43	45.23
3	असम	211.20	126.14	59.72	209.47	94.37	45.05	248.14	138.03	55.63
4	बिहार	253.53	126.10	49.74	311.63	178.91	57.41	380.98	242.06	63.54
5	छत्तीसगढ़	138.21	94.69	68.51	114.31	34.15	29.88	125.27	47.63	38.02
6	दा. एवं ना. हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
7	गोवा	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
8	गुजरात	130.50	75.10	57.55	108.87	53.37	49.02	110.41	44.78	40.56
9	हरियाणा	43.91	16.32	37.17	55.73	19.08	34.23	46.21	22.87	49.49
10	हिमाचल प्रदेश	31.13	18.76	60.27	49.38	28.33	57.38	34.04	18.66	54.82
11	जम्मू व कश्मीर	31.87	20.86	65.45	45.58	16.64	36.51	43.33	30.44	70.25
12	झारखण्ड	210.70	76.41	36.26	193.73	53.59	27.66	226.15	33.14	14.65
13	कर्नाटक	122.37	64.95	53.08	123.82	78.62	63.49	154.87	68.13	43.99
14	केरल	30.95	18.75	60.59	46.29	11.68	25.23	38.52	14.17	36.78
15	मध्य प्रदेश	260.96	176.62	67.68	289.43	174.90	60.43	324.29	228.56	70.48
16	महाराष्ट्र	239.93	162.41	67.69	246.50	98.70	40.04	230.82	110.31	47.79
17	मणिपुर	18.73	5.13	27.39	18.00	11.51	63.94	19.41	9.80	50.49
18	मेघालय	22.68	11.56	50.97	54.67	23.13	42.31	47.83	39.57	82.73
19	मिजोरम	10.17	4.44	43.67	13.55	3.66	27.01	11.08	7.76	70.06
20	नागालैण्ड	12.94	9.72	75.13	17.29	6.14	35.52	13.34	14.16	106.15
21	ओडिशा	244.27	71.88	29.43	256.44	74.76	29.15	322.11	66.63	20.69
22	पुदुचेरी	0.31	0.05	15.95	0.26	0.03	11.39	0.23	0.00	0.00
23	पंजाब	17.24	4.44	25.75	26.32	5.49	20.86	24.06	1.46	6.07
24	राजस्थान	114.19	43.63	38.21	139.33	51.76	37.15	154.91	40.77	26.32
25	सिक्किम	4.76	4.68	98.31	1.21	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00
26	तमिलनाडु	151.73	76.65	50.52	183.95	74.40	40.44	223.41	150.07	67.17
27	त्रिपुरा	18.85	7.73	41.01	22.54	8.50	37.72	17.90	10.17	56.82
28	उत्तर प्रदेश	892.85	611.65	68.51	576.40	328.33	56.96	469.14	190.75	40.66
29	उत्तराखंड	22.62	13.36	59.06	29.83	15.91	53.33	30.41	20.10	66.10
30	पश्चिम बंगाल	185.21	109.34	59.04	181.89	105.53	58.02	285.92	153.49	53.68
	कुल जोड़	**3696.40**	**2022.96**	54.73	**3676.55**	**1660.17**	45.16	**3954.71**	**1824.90**	46.14

(व्यय केन्द्र एवं राज्य के अंश सहित)

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.1 (क्रमवत)
योजना पर व्यय
(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2012-13			2013-14		
		कुल उपलब्ध निधियॉ	व्यय		कुल उपलब्ध निधियॉ	व्यय	
			राशि	*प्रतिशत*		राशि	*प्रतिशत*
1	आंध्र प्रदेश	389.74	99.81	25.61	448.86	275.97	61.48
2	अरूणाचल प्रदेश	21.23	4.35	20.49	26.39	15.26	57.83
3	असम	237.80	106.38	44.74	189.69	74.69	39.37
4	बिहार	678.30	282.92	41.71	503.77	156.19	31.00
5	छत्तीसगढ़	146.39	23.13	15.80	125.06	43.28	34.61
6	दा. एवं ना. हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
7	गोवा	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
8	गुजरात	121.56	48.62	40.00	144.22	68.47	47.48
9	हरियाणा	25.13	10.11	40.22	190.26	50.79	26.69
10	हिमाचल प्रदेश	37.29	22.17	59.45	57.72	30.45	52.75
11	जम्मू व कश्मीर	62.49	50.02	80.04	64.17	42.84	66.76
12	झारखण्ड	241.15	25.75	10.68	229.05	58.21	25.41
13	कर्नाटक	298.36	96.68	32.40	296.56	193.77	65.34
14	केरल	24.87	13.23	53.19	74.21	33.96	45.76
15	मध्य प्रदेश	427.95	240.71	56.25	962.08	401.29	41.71
16	महाराष्ट्र	274.05	90.45	33.00	285.59	156.87	54.93
17	मणिपुर	45.27	17.88	39.50	29.46	13.18	44.74
18	मेघालय	43.53	19.80	45.49	126.86	47.51	37.45
19	मिजोरम	9.25	2.82	30.50	17.23	5.12	29.72
20	नागालैण्ड	26.26	7.94	30.24	18.32	17.81	97.23
21	ओड़िशा	276.30	44.12	15.97	235.48	24.56	10.43
22	पुदुचेरी	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
23	पंजाब	22.63	5.65	24.96	18.39	3.56	19.35
24	राजस्थान	269.19	106.43	39.54	188.89	88.52	46.86
25	सिक्किम	2.80	0.00	0.00	11.30	5.03	44.50
26	तमिलनाडु	240.78	122.37	50.82	508.84	285.08	56.02
27	त्रिपुरा	12.93	4.79	37.04	25.95	6.23	24.01
28	उत्तर प्रदेश	579.99	237.65	40.97	770.41	310.60	40.32
29	उत्तराखंड	45.62	19.11	41.89	36.40	24.11	66.24
30	पश्चिम बंगाल	498.72	258.78	51.89	437.39	254.84	58.26
	कुल जोड़	**5061.97**	**1961.71**	**38.75**	**6024.89**	**2688.19**	**44.62**

(व्यय केन्द्र एवं राज्य के अंश सहित)

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध 4.2

वित्तीय प्रगति में कमी के लिए राज्य-वार कारण

(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

क्रम सं.	राज्य	अभ्युक्ति
1	आंध्र प्रदेश	2009-14 के दौरान जांचे गए छ: जिलों में ₹ 425.76 करोड़ की प्राप्ति के प्रति ₹ 343.49 करोड़ का व्यय किया गया, जो कुल उपलब्ध निधि का 81 प्रतिशत था।
2	अरुणाचल प्रदेश	2009-14 के दौरान जांचे गए चार जिलों में ₹ 22.21 करोड़ की प्राप्ति के प्रति ₹ 11.43 करोड़ का व्यय किया गया, जो कुल उपलब्ध निधि का 48.55 प्रतिशत था।
3	दा. एवं ना. हवेली	2009-14 के दौरान, निधियों की प्राप्ति और उनका उपयोग नहीं हुआ । वित्तीय वर्ष 2009-10 के आरम्भ में ₹ 1.24 लाख का प्रारंभिक शेष परियोजना लागू करने वाली इकाई के पास पड़ा था । विभाग ने बताया कि वर्ष 2002-03 के दौरान ₹3.13 लाख प्राप्त हुए थे, जिसमें से मार्च 2014 तक अंत शेष ₹ 1.24 लाख था । लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की राशि नगण्य होने के कारण कोई लाभार्थी योजना का लाभ उठाने नहीं आया; अत: उसके बाद कोई निधि नहीं मांगी गयी ।
4	हरियाणा	यहाँ ₹131.48 करोड़ का भारी अव्ययित शेष (मार्च 2014) था, जिसमें से जांचे गए जिलों में ₹37.78 करोड़ अव्ययित पड़े थे (करनाल: ₹8.76 करोड़, यमुना नगर: ₹10.25 करोड़, हिसार: ₹5.86 करोड़, फतेहाबाद: ₹4.55 करोड़, सिरसा: ₹8.36 करोड़) । ज़ि.ग्रा.वि.अ, करनाल ने बताया (जुलाई 2014) कि ठो.त.व्य.प्र. की 60 परियोजनाएं प्रक्रिया में थीं और अव्ययित निधि का उपयोग 2014-15 के दौरान होगा । ज़ि.ग्रा.वि.अ, हिसार, फतेहाबाद व सिरसा ने बताया (अगस्त-सितम्बर 2014) कि वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही के बीतने के बाद ₹ 10.48 करोड़, ₹ 7.76 करोड़, व ₹ 9.65 करोड़ तक की निधियां प्राप्त हुईं थीं जिनका लोकसभा चुनावों की घोषणा के कारण उपयोग नहीं किया जा सका था । उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि योजना के कार्यान्वयन के लिए उचित आयोजन नहीं किया गया था ।
5	हिमाचल प्रदेश	2009-14 के दौरान जांचे गए तीन जिलों (हमीरपुर, मंडी, सिरमौर) में ₹ 54.06 करोड़ की मौजूद निधियों में से ₹40.48 करोड़ का व्यय किया गया था जिससे मार्च 2014 तक ₹ 13.57 करोड़ अव्ययित रहे । जांचे गए खण्डों में निधियों का उपयोग भी असंतोषजनक था जो 32 से 73 प्रतिशत तक था ।
6	जम्मू एवं कश्मीर	2009-14 की अवधि के दौरान, निधियों के उपयोग में 22 प्रतिशत से 46 प्रतिशत की कमी रही थी । यह लघु-उपयोग निधियों को जारी करने या निधियों की अवधारण में विलम्ब के कारण हुआ था ।
7	झारखण्ड	2009-14 की अवधि के दौरान, रा.ज.स्व.मि. उपलब्ध ₹449.25 करोड़ की निधि में से केवल ₹262.65 करोड़ (58 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सका । तथापि, अव्ययित शेष के लगातार संचय के कारण वर्ष वार निधियों का उपयोग बहुत कम था जो 10 से 32

		प्रतिशत के बीच था	उसी प्रकार 2009-14 की अवधि के दौरान जांचे गए जिले ₹ 153.33 करोड़ की उपलब्ध निधियों में से केवल ₹76.82 करोड़ (50 प्रतिशत) का उपयोग कर सके	जांचे गए पांच जिलों (रामगढ़ को छोड़कर) में उपलब्ध निधियों का उपयोग 23 से 55 प्रतिशत के बीच था	लक्षित स्वच्छता हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण न होना, सू.शि.सं./माँ.सं.वि. क्रियाकलापों पर कम व्यय, शौचालय सुविधाओं के निर्माण हेतु अपेक्षित हार्डवेयर की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए निचले स्तर पर ग्रा.स्व.बा./ उ.के की कमी तथा निगरानी का अभाव निधियों के लघु-उपयोग जैसा की जांचे गए जिलों में देखा गया था, के मुख्य कारण थे	

क्रम स॰	राज्य	अभियुक्ति
8	मणिपुर	अव्ययित रोकड़-शेष ₹4.88 करोड़ (2010-11) से ₹32.15 करोड़ (2012-13) था	एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, स.क्ष.वि.इ. निदेशक ने निधियों के धीमे उपयोग की बात मानी और बताया कि जिला अधिकारीयों को निधियों के उपयोग को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है	
9	मेघालय	2009-14 की अवधि के दौरान, रा.ज.स्व.मि के पास कुल ₹ 5.08 करोड़ से ₹ 78.55 करोड़ अव्ययित शेष पड़े थे (अथार्त 11 प्रतिशत से 62 प्रतिशत के बीच)| अव्ययित निधियों की उच्च प्रतिशतता निम्न कार्यान्वयन को दर्शाता है, जिससे योग्य लाभार्थी पू.स्व.अ./नि.भा.अ. योजना के लाभ से वंचित रहे| पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के राज्य नोडल अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2014) कि निधियां वित्तीय वर्ष के अंतिम समय मिली थीं| इसके अतिरिक्त, ब्लॉक/जिला स्तर से लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने में बहुत समय लगता है| अव्ययित निधियों का उपयोग 2014-15 में किया जा रहा था, तथा संचित निधियां कम हुई थीं| उत्तर वा.क.यो. की दृष्टि से, जिसे खंड तथा जिला स्तर पर तथा अंतत: राज्य वा.क.यो. के रूप में समेकित करते हुए लक्ष्यों की स्थापना के लिए तैयार किया गया, तर्कसंगत नहीं था। लिहाजा, लाभार्थियों के चयन में विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता|
10	ओडिशा	मंत्रालय ने 2009-12 के दौरान ₹ 230.41 करोड़ निर्गत किए जिसके विपरीत राज्य ने ₹91.10 करोड़ निर्गत किए| 2009-12 के दौरान उपलब्ध ₹ 484.77 करोड़ में से ₹184.63 करोड़ का काम हुआ तथा ₹ 300.14 करोड़ (62 प्रतिशत) अव्ययित रहे| मंत्रालय ने नगण्य व्यय के कारण 2012-14 के दौरान निधियां निर्गत नहीं की थीं|
11	राजस्थान	ज़ि.ज.स्व.स. ने 2009-14 के दौरान केवल 28.87 प्रतिशत का उपयोग किया जो 1.45 प्रतिशत (2011-12 के दौरान श्रीगंगानगर) से 86.26 प्रतिशत (2009-10 के दौरान भीलवाड़ा) के मध्य था	हालांकि यह देखा गया था कि जाँच किए आठ जिलों में ज़ि.ज.स्व.स. ने कार्यकारी अभिकरणों को निधियां जारी नहीं कीं, और ज़ि.ज.स्व.स. के बैंक अकाउंट में भारी कोष पड़ा था (मार्च 2010- ₹ 11.48 करोड़, मार्च 2011- ₹15.60 करोड़, मार्च 2012- ₹ 25.27 करोड़, मार्च 2013- ₹ 29.61करोड़, व मार्च 2014- ₹27.27

		करोड़)	ज़ि.ज.स्व.स. सीकर व चुरू ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून-जुलाई 2014) कि ब्लॉक/ग्राम पंचायतों द्वारा मांग में कमी होने से निधियां नहीं दी गयीं	
12	उत्तराखंड	2009-14 के दौरान चुने हुए जिलों में दी गयी निधियों के प्रति व्यय निधियों का प्रतिशत 31 से 68 प्रतिशत तक था	यह पाया गया कि अव्ययित शेष विभिन्न ज़ि.ज.स्व.मि. के पास पड़े थे	इसके बावजूद भी रा.ज.स्व.मि. कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों को निधियां जारी करता रहा	एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि भौगोलिक इलाके और पहाड़ों पर पहुंचने की समस्या के कारण लक्ष्य के भौतिक सत्यापन की गति बहुत कम थी, इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि को केवल सत्यापन के बाद जारी किया गया| यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं थे क्योंकि एग्जिट कांफ्रेंस में बताए तथ्यों पर विचार के बिना ही रा.ज.स्व.मि. ने ज़ि.ज.स्व.मि. को वा.क.यो. के आधार पर निधियां उपलब्ध कराना जारी रखा था|

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

अनुबंध 4.3
राज्य अंश की निर्मुक्ति
(4.4 पैराग्राफ के संदर्भ में)

क्रम सं.	राज्य	राज्य अंश के निर्मुक्त नहीं होने पर अभ्युक्तियॉ
1	आन्ध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने 2012-14 के दौरान रा.ज.स्व.मि. को निधियां जारी नहीं कीं ।
2	असम	राज्य सरकार ने 2009-14 के दौरान ₹ 68.27 करोड़ का अपना राज्यांश जारी नहीं किया ।
3	हरियाणा	2009-10 तथा 2012-13 के दौरान राज्य के अंश जारी नहीं हुए ।
4	कर्नाटक	राज्य सरकार ने 2009-10 के दौरान केन्द्रीय अंश की द्वितीय किस्त के प्रति अपना राज्यांश जारी नहीं किया
5	केरल	राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं कीं ।
6	मेघालय	राज्य सरकार ने 2009-10 तथा 2013-14 के दौरान अपना राज्यांश (प्रथम किस्त) जारी नहीं किया ।
7	नागालैंड	राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं कीं ।
8	पंजाब	राज्य सरकार ने 2012-14 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं कीं ।
9	आन्ध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने 2013-14 के दौरान रा.ज.स्व.मि. को ₹100.23 करोड़ राज्यांश से केवल ₹24.61 करोड़ जारी किए ।
10	अरुणाचल प्रदेश	चुने हुए चार जिलों में, ग्रा.ज.स्व.स. को जिला क्रियान्वयन अभिकरण से योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई निधि जारी नहीं हुई ।
11	बिहार	2009-14 के दौरान ₹390.66 करोड़ के अपेक्षित राज्यांश के प्रति राज्य ने ₹349.17 करोड़ उपलब्ध कराए जिनमे ₹41.49 करोड़ कम थे । 2009-13 के दौरान निधियां उपलब्ध होते हुए भी जि.ज.स्व.स. द्वारा जांच किए जिलों में (कटिहार को छोड़) ग्राम पंचायतों को निधियां हस्तांतरित नहीं की गयीं ।
12	मणिपुर	राज्य के सभी नौ परियोजना जिले के लिए स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 112.74 करोड़ (केन्द्रीय: ₹ 79.09 करोड़; राज्य: ₹ 25.80 करोड़ तथा लाभार्थी अंश ₹ 7.86 करोड़) थी । स.क्ष.वि.इ. के निदेशक के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच ने दर्शाया कि केंद्र ने अपने अंश ₹69.46 करोड़ (₹ 79.09 करोड़ का 87.82%) जारी किए थे, तथापि, राज्य ने केवल ₹15.50 करोड़ जारी किए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.15 करोड़ कम जारी हुए ।
13	मिजोरम	2009-14 के दौरान जारी हुए राज्यांश में ₹ 1.43 करोड़ की कमी थी । राज्य द्वारा जारी कम अंश के कारण SLW&SM इस अवधि में विभिन्न परियोजनाओं के प्रति 3 से 100 प्रतिशत के बीच का अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका ।
14	नगालैंड	राज्य सरकार ने 2012-14 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं कीं ।

15	ओडिशा	2011-12 के दौरान ₹ 33.58 करोड़ की कुल प्राप्य अंश के प्रति केवल ₹20 करोड़ जारी किए गए, परिणामस्वरूप ₹13.58 करोड़ की कमी हुई ।
16	पंजाब	लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान ज़ि.ज.स्व.मि. द्वारा चयनित परियोजना जिलों में ग्राम पंचायतों को कोई निधियां हस्तांतरित नहीं की गयीं । 2012-14 की अवधि के लिए, रा.ज.स्व.मि. द्वारा तैयार ₹ 89.72 करोड़ का वा.का.यो. अनुमोदन हेतु रा.यो.म.स. को भेजा गया लेकिन पिछली देय का उपयोग नहीं होने के कारण मंत्रालय द्वारा कोई निधियां जारी नहीं हुईं इसके परिणामस्वरूप योजना का निम्न कार्यान्वयन हुआ ।
17	तमिलनाडु	2013-14 के दौरान ₹ 181 करोड़ के देय राज्यांश के प्रति राज्य सरकार ने केवल ₹ 90.58 करोड़ जारी किए । योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों को निर्धारित समय के बाद तक, ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण किए बिना सात चयनित जिलों (तिरुवरुर, तंजौर, कोयम्बटूर, कृष्णगिरी, मदुरै, तिरुवन्नामलाई व तिरुनेलवेली) द्वारा अपने पास रोक कर रखा गया । इसके परिणामस्वरूप जिला अभिकरणों के पास प्रति वर्ष मार्च के अंत तक ₹ 31.62 करोड़ (मार्च 2012), ₹ 62.32 करोड़ (मार्च 2013), तथा ₹65.55 करोड़ (मार्च 2014) अव्ययित अनुदान पड़ा रहा ।
18	उत्तर प्रदेश	2009-14 के दौरान आठ जांच किए गए जिलों (आजमगढ़, बिजनोर, देवरी, हरदोई, जालौन, कुशीनगर, लखीमपुर, खेरी और सीतापुर) में राज्यांश ₹ 19.04 करोड़ कम था ।
19	पश्चिम बंगाल	2011-14 के राज्य स्तरीय वा.क.यो. की संवीक्षा से पता चला कि राज्य को जारी केन्द्रीय अंश हमेशा वा.क.यो. की मांग से भिन्न रहता था । वर्ष 2011-12 और 2013-14 में, केंद्र द्वारा क्रमश: ₹ 92.73 करोड़ तथा ₹ 805.47 करोड़ कम जारी किए गए थे जबकि 2012-13 में ₹ 152.88 वा.क.यो. की मांग से करोड़ अधिक जारी हुए थे ।

[**स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े**]

अनुबंध 4.4
निधियों के हस्तांतरण में विलम्ब
(4.5 पैराग्राफ के संदर्भ में)

क्रम सं.	राज्य	राज्य स्तर पर देरी पर अभ्युक्तियॉ	विलंब (दिवसों में)
1	अरुणाचल प्रदेश	रा.ज.स्व.मि ने जिला कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियां देने में 30 महीनों तक का विलम्ब किया ।	30–900
2	हरियाणा	2010-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश जारी करने में 4 से 45 दिनों तक का विलम्ब था ।	4-45
3	हिमाचल प्रदेश	2009-14 के दौरान ₹45.99 करोड़ की निधियां जारी करने में 6 से 20 दिनों तक का विलम्ब हुआ	6-20
4	झारखण्ड	2009-14 के दौरान राज्य सरकार ने अपना ₹130 करोड़ का राज्यांश प.मा.इ. को 235 से 302 दिनों के विलम्ब से जारी किया । देरी का जिम्मेदार प.मा.इ. था जिसमें जि.ज.स्व.मि. द्वारा प्रस्तुत उ.प्र.प. की समीक्षा में समय लगने, निधियों के हस्तांतरण के लिए विभिन्न स्तर पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में देरी तथा वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली से मंजूरी में विलम्ब था । उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उ.प्र.प. की समीक्षा/धन के हस्तांतरण करने के लिए स्वीकृति 2 से 9 महीने का विलम्ब नहीं हो सकता था ।	235-302
5	कर्नाटक	2009-14 के दौरान रा.ज.स्व.मि ने केन्द्रीय अंश जारी करने में 21 से 61 दिनों तक का विलम्ब किया । 2010-11 के दौरान, केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त जारी करने में 162 दिनों का विलम्ब हुआ । राज्य के राज्यांश की दूसरी किस्त ज.पं. बेलगरी को 612 दिनों के विलम्ब से जारी किया गया ।	21-612
6	केरल	2009-14 के दौरान कार्यान्वयन अभिकरण को राज्यांश जारी करने में 4 से 180 दिनों तक का विलम्ब नोट किया गया ।	4-180
7	मध्य प्रदेश	2009-14 के दौरान, जि.ज.स्व.मि. को राज्यांश जारी होने में 6 से 81 दिनों तक का विलम्ब हुआ । एस.पी.ओ., नि.भा.अ. ने बताया कि जि.ज.स्व.मि. को राज्यांश बजट उपलब्ध होने पर जारी किया गया । उत्तर के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि केन्द्रीय अनुदान मिलने के 15 दिनों के भीतर उसे राज्य के राज्यांश के साथ जि.ज.स्व.मि. को जारी करना होता है ।	6-81
8	मणिपुर	2009-14 के दौरान, राज्य को केन्द्रीय अंश मिलने के बाद निदेशक स.क्ष.वि.इ. द्वारा जि.ज.स्व.मि. को जारी करने में 14 से 400 दिनों तक का विलम्ब हुआ ।	14-400

9	मेघालय	दो चुने हुए जिलों जैसे पूर्वी खासी पर्वत तथा पश्चिमी गारो पर्वत को राज्य के राज्यांश जारी होने में 70 से 269 दिनों तक का विलम्ब हुआ। राज्य नोडल अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2014) कि राज्य के अंश को राज्य सरकार से प्राप्त होने पर ही जारी कर दिया गया था।	70-269
10	मिजोरम	2010-12 के दौरान, एस.एल.डब्ल्यू एवं एस.एम. द्वारा ₹6.84 करोड़ के केन्द्रीय अंश को जि.ज.स्व.मि को देने में 9 से 393 दिनों का विलम्ब हुआ।	9-393
11	नागालैंड	केन्द्रीय अनुदान की प्राप्ति के बाद राज्य सरकार द्वारा रा.ज.स्व.मि को राज्य का राज्यांश जारी होने में 6 से 14.5 महीनों तक का विलम्ब हुआ।	180-435
12	पंजाब	केन्द्रीय अंश जारी होने के बाद राज्य का राज्यांश समय पर जारी नहीं किया गया।	
13	राजस्थान	2011-13 के दौरान ₹60.85 करोड़ के राज्यांश जारी करने में 68 से 345 दिनों तक का विलम्ब हुआ। निदेशक स.क्ष.वि.इ. ने बताया (जुलाई 2014) कि वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति में देरी के कारण राज्यांश जारी करने में विलम्ब हुआ।	68-345
14	तमिलनाडु	राज्य स्तर पर 3 से 150 दिनों का विलम्ब हुआ।	3-150
15	त्रिपुरा	रा.ज.स्व.मि. द्वारा जि.ज.स्व.स को निधियां जारी करने में 5 महीनों तक का अत्यंत विलम्ब हुआ। तथापि अभिलेखों में विलम्ब के कारण उपलब्ध नहीं थे।	150 दिनों तक
16	उत्तर प्रदेश	2012-14 के दौरान, राज्यों के राज्यांश जारी होने में 1 से 4 महीनों तक का विलम्ब हुआ। लेखा परीक्षा ने पाया कि सभी जांचे गए जिलों में जारी किए केन्द्रीय अंश जिलों को 2 से 20 दिनों के विलम्ब से हस्तांतरित किए गए।	30-120
17	उत्तराखंड	प.मा.इ. ने ज़िलों को राज्यांश जारी करने में 1 से 8 महीनों तक का विलम्ब किया।	30-240
18	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय अंश के भुगतान में 3 से 117 दिनों तक का विलम्ब हुआ तथा राज्य के सम्बन्ध में यह 52 से 195 दिनों तक का विलम्ब था। यह भी देखा गया कि संस्वीकृति आदेश जारी किए जाने की तिथि के 66 दिनों तक के विलम्ब से केन्द्रीय अंश प्राप्त हुआ था।	3-195
		रा.ज.स्व.मि. स्तर पर निधियां जारी करने में विलम्ब	
19	असम	एक को छोड़ कर रा.ज.स्व.मि स्तर पर मंत्रालय से प्राप्त निधियों को ज़िला स्तर पर जारी करने में 2 से 208 दिनों तक का विलम्ब हुआ।	2-208

20	बिहार	2009-13 के दौरान, बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन द्वारा केन्द्रीय अंश को 6 से 55 दिन के विलम्ब से जि.ज.स्व.स. को जारी किया गया तथा 2009-12 के दौरान, राज्यांश को 68 से 184 दिनों के विलम्ब से जारी किया गया।	6-184
21	गुजरात	ज़िला क्रियान्वयन अभिकरण को 6 से 86 दिनों के विलम्ब से अनुदान जारी हुए । विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हुआ।	6-85
22	जम्मू एवं कश्मीर	निधियां जारी करने में 6 से 584 दिनों तक का विलम्ब हुआ।	6-584
23	झारखण्ड	प.मा.इ. ने जि.ज.स्व.मि. को निधियां जारी करने में 31 से 226 दिनों का विलम्ब किया ।	31-226
24	नागालैंड	रा.ज.स्व.मि ने ज़िला जल स्वच्छता मिशन को निधियां जारी करने में 22 दिनों से 8 महीनों तक का विलम्ब किया ।	22-240
		जिला स्तर पर निधियां जारी होने में विलम्ब	
25	असम	उदलगुरी जिले में जि.ज.स्व.स ने ग्रा.ज.स्व.स. को राज्यांश हस्तांतरित करने में 1 से 349 दिनों तक का विलम्ब किया ।	1-349
26	जम्मू एवं कश्मीर	चुने हुए जि.ज.स्व.मि. द्वारा चुनी हुई जिला पंचायतों को निधियां जारी करने में 1 से 153 दिनों तक का विलम्ब किया ।	1-153
27	झारखण्ड	चुने हुए जिलों के जि.ज.स्व.स ने प.मा.इ. से निधियां प्राप्त होने के बाद ग्रा.ज.स्व.स. को अग्रिम स्वीकृत करने में 4 से 6 माह का विलम्ब किया । निधियों के न्यून उपयोग तथा ग्रा.ज.स्व.स. द्वारा आगामी मांग के साथ उ.प्र.प. का गैर प्रस्तुतिकरण, ग्रा.ज.स्व.स. को निधियां जारी करने में विलम्ब का कारण हो सकता था ।	120-180
28	ओडिशा	2009-14 के दौरान ग्रा.पं. को निधियां समय पर जारी नहीं की गयीं ।	-
29	कर्णाटक	ज़.पं. ने किस्तों के आधार पर निधियों को जारी करने हेतु दिशा-निर्देशों की शर्त का पालन नहीं किया ।	-
30	केरल	जिला स्वच्छता मिशन ने इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियों जारी नहीं की । इसने तथापि ब्लॉ.प./ग्रा.पं. द्वारा मांग करने पर उन्हें निधियां जारी कीं।	-
31	तमिलनाडु	परियोजना जिलों में जिला स्तर से क्रियान्वयन कार्यालयों को निधियों के स्थानान्तरण में विलम्ब की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि कार्य हेतु ब्लॉ./पंचायतों द्वारा मांग के आधार पर बहु-किश्तों में निधियां स्थानांतरित की गई थी ।	-

32	त्रिपुरा	यहाँ निधियों की मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं है कि कितनी प्राप्त हुईं और कितनी जि.ज.स्व.स द्वारा वितरित हुआ	जारी करने में 7 से 273 दिनों का विलम्ब हुआ		7-273
33	उत्तराखंड	निधियों की प्राप्ति के पश्चात् 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर डी.पी.एम.यू. स्तर पर ग्रा.पं. को निधियां जारी नहीं की जा रही थीं	नमूना जांच वाले खण्ड (पौड़ी, अल्मोड़ा तथा उधमसिंह नगर) के चयनित 70 ग्रा.पं. को जारी किए गए निधियों के विवरण से यह पाया गया कि 2009-14 की अच्छादित अवधि हेतु जारी किए गए कुल 0.88 करोड़ में से केवल 6.91 लाख ही निर्धारित समय सीमा के अन्दर सम्बंधित डी.पी.एम.यू. द्वारा जारी किए गए थे	ग्रा.पं. को समय से जारी की जाने वाली निधियां कुल निर्मुक्ति की मात्रा 7.8 प्रतिशत थी	एग्जिट कांफ्रेंस (नवम्बर 2014) के दौरान, सरकार ने बताया कि ऐसा निधियों को जारी करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण था		
34	उत्तर प्रदेश	नमूना जांच वाले जिलों ने 15 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर ग्रा.पं. को निधियां जारी नहीं कीं		
35	पश्चिम बंगाल	2010-14 के दौरान, वर्धमान जि.पं. ने 18 से 495 दिनों के विलम्ब से पं.स. को 8.64 करोड़ निर्गत किए	2009-14 के दौरान, पुरवा मेदिनीपुर जि.पं. ने 11 से 263 करोड़ की निधियां जारी की	जुलाई 2011 में रघुनाथगंज-II पं.स. के कार्यकारी अधिकारी ने अति प्रवृत्त ग्रसित चार क्षेत्र में व.घ.शौ. तथा स्कूल शौचालय के निर्माण हेतु विशिष्ट निधियों की मांग की थी लेकिन 20 महीने के विलम्ब के बाद अप्रैल 2013 में निधियां जारी की गईं		18-600

अनुबंध 4.5
निधियों की हेराफेरी
(पैराग्राफ 4.6 के संदर्भ में)

क्रम सं.	राज्य	निधियों की हेराफेरी पर अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम में नि.भा.अ. के तहत एम.पी.डी.ओ., कोयम्बटूर मण्डल को निर्गत की गयी ₹0.12 करोड़ की राशि का दुरूपयोग हुआ और छान-बीन के लिए एक जाँच अधिकारी की नियुक्ति की गयी । अगस्त 2014 तक रिपोर्ट लम्बित था ।	12.00
2	गुजरात	वलसाड जिला के वलसाड तालुका के ओजर ग्रा.प. में, सरपंच ने शौचालय के निर्माण के लिए 336 ग.रे.नि. लाभार्थियों को ₹1200 प्रति शौचालय तथा 32 ग.र.उ. लाभार्थियों को ₹100 प्रति शौचालय की दर से प्रोत्साहन का भुगतान करने के लिए सं.स्व.अ. अनुदान से ₹4.35 लाख की राशि का आहरण किया (मई 2008) । लक्ष्यित लाभार्थियों को भुगतान करने की जगह पर, सरपंच ने 2.85 लाख मूल्य सीमेंट बैग तथा सैनिटरी सामग्रियों का क्रय किया तथा ₹1.50 लाख अपने पास रखा। शिकायत प्राप्त होने तथा प्रारंभिक जांच के पश्चात् जिला विकास अधिकारी (जि.व.अ.) वलसाड ने आदेश किया (जून 2010) कि सरपंच ने ₹1.50 लाख की सरकारी राशि का दुरूपयोग किया था और उससे इस राशि की वसूली की जाए । इस तरह का आदेश जारी करते समय जि.व.अ. ने सरपंच द्वारा सीमेंट बैग तथा अन्य सैनिटरी सामग्रियों के क्रय पर किए गए व्यय को सही माना । जबकि यह पाया गया कि ये सामग्री शौचालय के निर्माण के लिए उपयोगी नहीं थे और इस प्रकार ये सभी 368 लाभार्थी शौचालय का निर्माण नहीं कर सके और इस तरह वे पांच वर्ष से अधिक समय तक शौचालय की सुविधा से वंचित रहे । जून 2010 में जि.व.अ. द्वारा सरपंच से वसूली का आदेश जारी किए जाने के बावजूद, वसूली अभी तक (अगस्त 2014) लंबित था ।	1.50
3	कर्नाटक	(1) नमूना जांच किए गए चार ग्रा.पं. जैसे कनुकोवा, साई कडाडाकट्टी, टी गोपागोंडानहल्ली, पालवनहली (देवनगिरी जिला के) तथा नमूना जांच किए गए दो ग्रा.पं. जैसे गौड़ानहली, कुनीडेरे (चित्रदुर्ग जिले) में, 2009-14 के दौरान बिना किसी विशिष्ट/दर्ज कारण या प्राधिकरण के ही पू.स्व.अ. / नि.भा.अ. खातों में से	11.60

क्रम सं.	राज्य	निधियों की हेराफेरी पर अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
		₹11.60 लाख की राशि आहरित की गयी थी । राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि जांच कराए जाने के बाद कार्यवाई की जाएगी ।	
		(2) कर्नाटक वित्तीय कोड के प्रावधानों के अनुसार, स्वयं के चेक से निधियों का आहरण की अनुमति नहीं थी, तथापि, ग्रा.पं. में सं.स्व.अ./ नि.भा.अ. से संबंधित बैंक खातों के सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-14 के दौरान नमूना जांच किए गए चार ग्रा.पं. जैसे कोकानौर राजनहाली, येलेहोल तथा बेवीनहाली (हरिहर तालुका के); दो ग्रा.पं. जैसे पांडवपुरा तालुका के अरलाकुप्पी नारायणपुरा; चित्रदुर्ग तालुका का जानुकोंडा ग्रा.पं. तथा होनावारा तालुका का कसरकोड ग्रा.पं. में 60 अवसरों पर ₹2.88 लाख की राशि स्वयं के चेक पर आहरित की गई थी । किसी भी ग्रा.पं. ने स्वयं के चेक पर आहरण के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया ।	2.88
		(3) जि.प., चित्रदुर्गा अंतर्गत ग्रा.पं., जानुकोंड़ा अंतर्गत सं.स्व.अ./नि.भा.अ. से संबंधित बैंक पत्र के सत्यापन पर, यह पाया गया कि 2012-13 के दौरान व्य.घ.शौ. के निर्माण के लिए ₹4700/- की देय राशि के प्रति ₹14500/- 10 लाभार्थियों को तथा ₹24500/- एक लाभार्थी को दिया गया था। इसी प्रकार ₹51700/- देय राशि के प्रति 169500/- का भुगतान किया गया था के कारण ₹1.18 लाख का अधिक भुगतान हुआ। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि अधिक भुगतान के कारणों का पता लगाया जाएगा तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।	1.88
4	महाराष्ट्र	गलवाड़े ग्रा.पं. (जिला जलगाँव ; तालुका चोपड़) ने 1 जून 2011 तथा 26 जुलाई 2011 क्रमश: निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए ₹0.50 लाख तथा व.ढ.शौ. प्रोत्साहन के भुगतान हेतु ₹0.35 लाख की राशि पंचायत समिति से प्राप्त की । यद्यपि गलवाड़े ग्रा.पं. ने बैंक से ₹0.50 लाख (3 जून 2011) तथा ₹0.50 लाख (26 जुलाई 2011) का आहरण किया लेकिन अभिलेख में वाउचर उपलब्ध नहीं थे ।	0.85
5	ओडिशा	दस्तावेजों की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कुछ शरारती तत्वों ने 6 नवम्बर 2012 को जि.ज.स्व.मि., अंगुल के पू.स्व.अ. खाते से ₹0.06 लाख का गबन किया था। सी.ई., ओ.रा.ज.स्व.मि. को प्रस्तुत पुलिस अंतरिम जांच रिपोर्ट (30 जनवरी 2014) में दर्शाया गया	9.06

क्रम सं.	राज्य	निधियों की हेराफेरी पर अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
		था कि जि.ज.स्व.मि. का संविदात्मक सफाई कर्मचारी - सह-चौकीदार एम.एस. जि. ज.स्व.मि., आंगुल की जानकारी के बिना बैंक से एक चेक बुक प्राप्त कर लिया था तथा एम.एस. के जाली हस्ताक्षर से 6 चेकों से राशि का आहरण किया था । अंतिम जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014) । यद्यपि इस घटना के होने की तिथि से लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सितम्बर 2014 तक इस प्रवरण की जानकारी न तो सरकार को दी गई और न ही कोई विभागीय जांच/छान-बीन प्रारम्भ की गयी थी। सी.ई. ओ.रा. ज.स्व.मि. ने बताया (सितम्बर 2014) कि जांच के प्रभारी अधिकारी से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाई की जाएगी ।	
कुल			39.07
		हेराफेरी के संदिग्ध मामले	
	आंध्र प्रदेश	खम्मम में 2009-10 के दौरान जि.ज.स्व.मि., खम्माम के अग्रिम पंजीकरण के तहत एम.पी.डी.ओ. को ₹3 लाख जारी किए गए थे तेकुलापल्ली (₹1.35 लाख) व सत्तुपल्ली (₹1.65 लाख) । हालाँकि एम.पी.डी.ओ. ने चिंतित बताया कि ऐसी कोई राशि नहीं आई ।	**3.00**
	झारखण्ड	2009-14 के दौरान राँची जिले में निर्मित व्य.घ.शौ. के बिल जो ₹25 करोड़ के खर्च का है (मा.प्र.रि. के अनुसार) उन्हें संवितरण अधिकारी (जि.ज.स्व.मि. का सदस्य सचिव) ने पारित नहीं किया, तथा फाइलों में आदेश के बाद ही भुगतान किया गया । इसी प्रकार अन्य पांच जांचे गए जिलों में संवितरण अधिकारी द्वारा बिल/वाउचर पारित किए गए, लेकिन गुमला को छोड़ पारित बिलों के वाउचर संख्या नहीं दिए गए । लेनदेन को बिना वाउचर संख्या दिखाए नकद खाते में दर्ज किया गया ।	**2500.00**
	मणिपुर	मणिपुर सरकार ने ₹0.15 करोड़ के पू.स्व.अ. फण्ड (मार्च 2010) सदस्य सचिव जि.ज.स्व.मि. (कंगपोकपी) को जारी किए, लेकिन जि.ज.स्व.मि. (कंगपोकपी) की रसीद में राशि को प्रतिबिम्बित नहीं किया गया । इसी प्रकार मणिपुर के स.क्ष.वि.इ. निदेशक के कार्यालय में बने नकद खाते से पता चलता है कि अक्तूबर 2012 के दौरान निदेशक ने सू.शि.सं. गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जि.ज.स्व.मि. (पूर्वी इम्फाल, कंगपोकपी और सेनापति) प्रत्येक को ₹5 लाख दिए थे। तथापि जारी किए ₹0.15 करोड़ तीनों जि.ज.स्व.मि. के नकद खातों में प्रतिबिम्बित नहीं हुए । आगे तीनों	**30.00**

क्रम सं.	राज्य	निधियों की हेराफेरी पर अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
		जि.ज.स्व.मि. द्वारा सू.शि.सं. गतिविधियों के निष्पादन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था । जि.ज.स्व.मि. द्वारा ₹0.15 करोड़ रुपये के गैर लेखा-जोखा के कारण रिकॉर्ड में नहीं थे ।	
कुल			**2533.00**

[**स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े**]

अनुबंध- 4.6
निधि का विपथन
(पैराग्राफ 4.7 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	राशि (₹ लाख में)	उद्देश्य
1	बिहार	2011-12	955.70	कर्मचारी को पेशगी
2	छत्तीसगढ़	2009-10	259.21	कर्मचारी को पेशगी
		2010-11	75.48	कर्मचारी को पेशगी
		2011-12	358.71	कर्मचारी को पेशगी
		2012-13	37.38	कर्मचारी को पेशगी
3	कर्नाटक	2010-11	36.26	कर्मचारी को पेशगी
4	केरल	2011-12	3.77	कर्मचारी को पेशगी
5	मध्य प्रदेश	2009-10	175.30	कर्मचारी को पेशगी
		2010-11	250.51	कर्मचारी को पेशगी
		2011-12	17.81	कर्मचारी को पेशगी
6	महाराष्ट्र	2009-10	52.04	कर्मचारी को पेशगी
		2010-11	60.30	कर्मचारी को पेशगी
7	राजस्थान	2009-10	2.14	कर्मचारी को पेशगी
		2010-11	4.15	कर्मचारी को पेशगी
8	उत्तर प्रदेश	2009-10	1,514.67	कर्मचारी को पेशगी
		2011-12	388.64	कर्मचारी को पेशगी
9	छत्तीसगढ़	2009-10	4.92	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	2.90	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2011-12	14.00	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2012-13	2.41	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
10	गुजरात	2010-11	4,774.90	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
11	हरियाणा	2009-10	134.30	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	48.33	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	राशि (₹ लाख में)	उद्देश्य
12	कर्नाटक	2010-11	1,424.58	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2011-12	190.03	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
13	मध्य प्रदेश	2009-10	14.15	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2011-12	18.11	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
14	महाराष्ट्र	2009-10	15.99	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	2.25	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
15	मणिपुर	2012-13	0.69	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
16	नागालैण्ड	2009-10	1,191.29	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	285.67	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
17	राजस्थान	2009-10	179.77	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2010-11	413.44	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
18	उत्तर प्रदेश	2009-10	2,566.73	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2011-12	3.10	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
		2012-13	10.42	जि.ज.स्व.स/ठो.त.व्य.प्र की परिसम्पत्ति
19	गुजरात	2010-11	2.20	अन्य योजनाओं को ऋण.
			1,873.90	निर्मल गुजरात योजना को स्थानान्तरित
			125.00	अन्य योजनाओं को ऋण.
		2011-12	201.20	निर्मल गुजरात योजना को स्थानान्तरित
			346.60	अन्य जिलों को स्थानान्तरित
			2.50	अन्य योजनाओं को ऋण.

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	राशि (₹ लाख में)	उद्देश्य
		2012-13	128.00	निर्मल गुजरात योजना को स्थानान्तरित
			114.60	अन्य योजनाओं को ऋण.
20	कर्नाटक	2011-12	68.52	अन्य योजनाओं के निधियों का अस्थायी स्थानान्तरण
		2012-13	25.50	अन्य योजनाओं के निधियों का अस्थायी स्थानान्तरण
		2011-12	2.00	मोटर वाहन की खरीद
			2.12	कैमरा की खरीद
		2011-12	75.00	जि.ज.स्व.स को स्थानान्तरण
			48.70	निर्मल को स्थानान्तरण
21	केरल	2011-12	6.93	कार्यालय स्वच्छता
		2012-13	0.57	कार्यालय स्वच्छता
22	नागालैण्ड	2013-14	5776.88	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए पूँजीगत अस्तियों का निर्माण
23	पंजाब	2010-11	221.00	अन्य विभागों को स्थानान्तरण
		2011-12	1,359.58	अन्य विभागों को स्थानान्तरण
		2012-13	1,876.95	राज्य समन्वयक को स्थानान्तरण
24	राजस्थान	2011-12	300.00	अन्य जि.ज.स्व.स को स्थानान्तरण
			29.78	अन्य योजनाओं के निधियों का अस्थायी स्थानान्तरण तुलन पत्र के आधार पर
		2012-13	232.42	अन्य योजनाओं के निधियों का अस्थायी स्थानान्तरण
25	उत्तर प्रदेश	2009-10	1.00	(अवकाश, वेतन एंव पेंशन योगदान)
		2012-13	1.14	मूल्यह्रास
	कुल		**28,312.14**	

[स्रोत: मंत्रालय में लेखाओं के लेखापरीक्षित उक्ति से विवरण लिया गया]

अन्य योजनाओं में निधियों का विपथन

क्र. सं.	राज्य	अन्य योजनाओं को निधियों का विपथन पर अभियुक्ति	राशि (₹ लाख में)
1	गुजरात	वर्ष 2010-14 के दौरान ₹ 28.62[1] करोड़ की राशि को नि.भा.अ./पू.स्व.अ. योजना से निर्मल गुजरात एक राज्य प्रायोजित योजना में अनियमित रूप से अंतरित किया गया था। इसी प्रकार से खेड़ा जि.ग्रा.वि.अ. ने भी वर्ष 2011-12 में ₹ 0.60 करोड़ की राशि तथा वर्ष 2012-13 में ₹ 10.00 लाख की राशि को ऋण रूप में निर्मल गुजरात योजना में अंतरित किया था। जि.ग्रा.वि.अ., वल्साड पू.स्व.अ./नि.भा.अ. तथा राज्य प्रायोजित निर्मल गुजरात योजना के लिए अगस्त 2012 तक एक ही खाता खोल रखा था। सं.स्व.अ./नि.भा.अ. तथा निर्मल गुजरात योजना के नए खाते खोलने के समय जि.ग्रा.वि.अ. वल्साड ने 2012-13 में ₹ 2.56 करोड़ की राशि को राज्य प्रायोजित योजना में अंतरित कर दिया था, जबकि यह राशि पू.स्व.अ./नि.भा.अ. से संबंधित थी। लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए जाने पर सम्बन्धित निदेशकों जि.ग्रा.वि.अ. ने कहा अंतरित राशि वापस लौटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।	2862.00 60.29 10.00 256.00
2	मध्य प्रदेश	जिला देवास के टोंकखुर्द ब्लॉक में पू.स्व.अ. की ₹ 0.19[2] करोड़ की राशि को वर्ष 2011-12 के दौरान अन्य योजनाओं में अंतरित कर दिया गया था। एस.पी.ओ., नि.भा.अ. के कथनानुसार म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.यो. में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने की वजह से इस राशि को अंतरित किया गया था। जिसे आने वाले वर्षों में लौटा दिया जाएगा। उत्तर उचित नहीं था क्योंकि एक योजना से अन्य योजनाओं में पैसा अंतरित करना मान्य नहीं था।	**19.20**
3	पंजाब	मार्च 2014 में नगर के तालाबों के कायाकल्प के लिए ₹ 1.99 करोड़ की राशि नौ जिला अधिकारियों को दी गई थी।	**199.00**
4	तमिलनाडु	2010-13 के दौरान तीन चयनित जिलों अर्थात् तंजाबुर, मदुरई एवं कृष्णागिरी में योजना निधि ₹44.35 करोड़ को 15 दिनों से 13 महीनों तक की अवधि के लिए अन्य योजनाओं के प्रति अस्थाई रूप से विपथित किया गया था। इस प्रकार, नि.भा.अ. योजना लेखे में ₹ 1.00 करोड़ तक के ब्याज की हानि के अलावा योजना की निधियों का अप्राधिकृत विपथन हुआ था।	**4,434.86**
5	उत्तर प्रदेश	निदेशक (पंचायती राज) ने क्षेत्रीय जिलों के लिए एक रोस्टर निर्धारित किया (जून 2011), जिसके द्वारा जिलों में पू.स्व.अ./नि.भा.अ. की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए प्रतिमाह क्षेत्रीय उप-निदेशक (पंचायत) के कार्यालयों को ₹ 30,000/- का भुगतान किया जाए। इसके अनुसार 11 जॉच किए गए जिलों- (औरैया, आजमगढ़, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, कौशाम्बी, लखीमपुर खिरी, प्रतापगढ़, और सीतापुर) के क्षेत्रीय जिला उप-निदेशकों को ₹ 0.13 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। जनवरी 2012 में यह भुगतान रोक दिया गया था परंतु इसे जुलाई 2013 में फिर से चालू कर दिया गया था। जिस तरह क्षेत्रीय कार्यालयों को निगरानी संस्था के रूप में नहीं दर्शाया गया था, उनके प्रशासनिक व्यय पर भुगतान की गई राशि अस्वीकार्य थी। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन पंचायती राज मंत्री के अनुरोध पर पू.स्व.अ. निधि (पू.शि.सं. और ठो.त.व्य.प्र.) राशि ₹ 2.53 करोड़, केन्द्रीय अंश (₹0.99 करोड़) और राज्य अंश से जि.उ.न्या. सीतापुर द्वारा राज्य सरकार के विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत व्य.घ.शौ. को विपथित किया गया (2011-12) था।	**12.60** **253.00**

[1] 2010-11: ₹ 18.74 करोड़, 2011-12: ₹ 2.01 करोड़, 2012-13: ₹ 1.28 करोड़, 2013-14: ₹ 6.59 करोड़,

[2] भावनावम सन्नीरमन कर्मकार मंडल को ₹8.00 लाख, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना को ₹9.30 लाख तथा इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना को ₹1.90 लाख

अन्य योजनाओं में निधियों का विपथन			
क्र. सं.	राज्य	अन्य योजनाओं को निधियों का विपथन पर अभियुक्ति	राशि (₹ लाख में)
6	पश्चिम बंगाल	मार्च 2014 में कटवा-II थाने ने नि.भा.अ. निधि से ₹ 0.20 करोड़ की राशि को सं.स्था.से.वि. के खाते में विपथित किया गया।	20.00
		कुल	8126.95

[स्रोत:- नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आँकड़े]

अनुबंध- 4.7

योजना निधि का अंतर-जिला अंतरण में अनियमितता

(पैराग्राफ 4.8 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणियाँ	राशि (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	दिनांक 3 जुलाई 2009 को ₹ 2 करोड़ की राशि जि.ज.स्व.मि. श्रीकाकुलम द्वारा राज्य वित्त संस्थान के खाते से जि.ज.स्व.स., खम्मम के सदस्य सचिव को अंतरित की गई थी, जिसे प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में दर्शाया नहीं गया था।	**200.00**
2	गुजरात	मंत्रालय ने वर्ष 2010-14 के दौरान ₹33.26[3] की राशि को चार चयनित जिलों - अमरेली, भरूच, खेड़ा तथा वल्साड के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय द्वारा यह राशि प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित की गई थी, फिर भी संचार एवं क्षमता विकास इकाई ने मंत्रालय द्वारा चिन्हित राशि को अंतरित नहीं किया था, परंतु उन्होंने निधियों के अंतर जिला विपथन का सहारा लिया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।	**3,325.62**

(₹ लाख में)

जिले का नाम	वर्ष	भारत सरकार द्वारा चिन्हित राशि	स.क्ष.वि.ई. द्वारा जारी भारत सरकार की निधि	अंतर
अमरेली	2010-11	77.68	187.08	**(+)109.40**
	2011-12	206.18	125.99	**(-) 80.19**
	2012-13	147.56	100.00	**(-) 47.56**
	2013-14	331.08	140.83	**(-)190.25**
कुल		**762.50**	**553.90**	
भरूच	2010-11	177.78	175.33	**(-) 2.45**
	2011-12	269.46	548.16	**(+)278.70**
	2012-13	196.68	0.00	**(-) 196.68**
	2013-14	134.97	60.09	**(-) 74.88**
कुल		**778.89**	**783.58**	
खेड़ा	2010-11	244.44	262.27	**(+)17.83**
	2011-12	522.80	656.26	**(+)133.46**

3 अमरेली - ₹ 762.50 लाख, भारूच- ₹ 778.89 लाख, खेड़ा- ₹ 1356.97 लाख, वल्साड ₹ 427.26 लाख

	2012-13	419.55	0.00	**(-) 419.55**
	2013-14	170.18	65.87	**(-) 104.31**
कुल		**1356.97**	**984.40**	
वल्साद	2010-11	80.46	117.94	**(+)37.48**
	2011-12	114.88	206.23	**(+)91.35**
	2012-13	95.28	0.00	**(-) 95.28**
	2013-14	136.64	57.26	**(-)79.38**
कुल		**427.26**	**381.43**	
कुल योग		3,325.62	2,703.30	

इसके अनुसार संचार एवं क्षमता विकास इकाई ने केन्द्रीय निधि को अस्थाई रूप से अपने क्षेत्रों में अंतरित किया है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने भी लेखापरीक्षा की टिप्पणी को सहमति दी है तथा वर्णित किया है कि जिलों को किए गए अधिक या कम निर्गम के बारे में मंत्रालय को सूचित कर दिया जाएगा।

3 जम्मू एवं कश्मीर

लेखापरीक्षा द्वारा पॉच जिलों का निरीक्षण किया गया तथा प्रत्येक मामले में घटक-वार कम निर्गम को दर्शाते हुए प्रत्येक घटक हेतु निर्धारित आबंटन की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए देय राज्य अंश की मात्रा को निर्धारित किया गया था।

(₹ लाख में)

जिला	देय राज्य अंश	राज्य अंश निर्गम **2009-14**	अधिक/कम निर्गम	रेंज
रामबन	131.82	177.37	-45.55	(-) 28.46 to 13.49
पूंछ	269.91	220.83	49.08	(-)19.65 to 58.17
बड़गाम	323.71	190.03	133.68	(-)18.44 to 92.80
कुपवाड़ा	360.21	325.02	35.19	(-)41.30 to 73.18
लेह	101.96	100.75	1.21	(-)21.29 to 23.92
योग	1187.61	1014.00	173.61	(-)41.30 to 92.80

वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य अंश ₹ 11.88 करोड़ की राशि में से ₹10.14 करोड़ की राशि को खर्च कर दिया गया था। यह अंतर(-) ₹0.41 करोड़ से ₹0.93 करोड़ के बीच में था। यह राज्य का जिलों के प्रति असंतुलित वितरण दर्शाता है। विभाग के कथनानुसार इस राशि का घटक वार आबंटन उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था और राज्य अंश का उपयोग निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता था। राज्य जल स्वच्छता मिशन तथा जिला जल स्वच्छता मिशन द्वारा कारण प्रस्तुत किया गया कि मंत्रालय द्वारा किया गया आबंटन घटक वार आधार पर नहीं किया गया था, यह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि योजना में किए गए आबंटन, योजना में प्रत्येक घटक के लिए निर्धारित तथा तथा योजना में प्रत्येक घटक के लिए निर्धारित प्रतिशत के आधार पर निर्गम किया जाना चाहिए था।

1,188.00

4 कर्नाटक

वर्ष 2009-10 व 2013-14 के दौरान तीन जिला परिषदों के ₹ 29.65 करोड़[4] की राशि को अन्य जिलों में अंतरित कर दिया था।जिला परिषद, उत्तर कन्नड़ ने बताया (सितम्बर 2014) कि राज्य जल स्वच्छता

2,968.60

[4] उत्तर कन्नड़ (2013-14 के दौरान ₹19.35 करोड़) से बंगलौर (ग्रामीण), बेलगाम, कोड़ागु, गड़ग, दक्षिणा कन्नड़, देवनागिरी, कोप्पल, चिक्काबल्लापुर, तथा तुमकुर जिला तक; मांड्या (2013-14 के दौरान ₹8.35 करोड़) से देवनागिरी तथा दक्षिणा कन्नड़ तक; रायचूर (2009-10, ₹1.95 करोड़) से मैसूर जिला तक;

		मिशन के आदेशानुसार यह राशि अंतरित की गई थी। इसी प्रकार उत्तर कन्नड़ जिले के होनावारा ताल्लुक के अंतर्गत तीन जिलों ने ₹ 3.60[5] लाख की राशि, को अन्य जि.प. को अंतरित किया था।	
5	पंजाब	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर जिले ने ₹ 0.20 करोड़ तथा ₹ 0.78 करोड़ की राशि को अन्य संभागों में उपयोग किया गया था लेकिन इसके लिए संबंधित संभागों से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ था। जि.ज.स्व.मि. ने (मई से अगस्त 2014) बताया कि यह राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार किया गया था।	**98.40**
6	उत्तर प्रदेश	वर्ष 2009-10 के दौरान मंत्रालय ने 25 जिलों के लिए ₹ 115.05 करोड़ की राशि को जारी किया था। यद्यपि राज्य सरकार ने 38 जिलों[6] के लिए राशि जारी की थी, जिसमें 9 जिलों, नमूना जॉच जिलों[7] (औरिया और मिर्जापुर) सहित का केन्द्रीय अंश ₹ 33.08 करोड़ घटाते हुए और इसे 13 जिलों[8] (हरदोई, कुशीनगर और लखीमपुर खिरी सहित) को विपथित किया था। जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय अंश जारी नहीं किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है, परंतु मंत्रालय ने उसे स्वीकार नहीं किया था। राज्य सरकार ने (सितम्बर 2012) 13 जिलों को (₹33.08 करोड़) राशि को उन नौ जिलों को वापस लौटाने का निर्देश दिया जहॉ से उस राशि का विपथन हुआ था। इसी प्रकार ₹ 47.43 करोड़ में से ₹ 9.53 करोड़ की राशि को पांच जिलों (सीतापुर, रायबरेली, जौनपुर, हरदोई और आजमगढ़) के स्थान पर अन्य पॉच जिलों (लखीमपुर, रामपुर, आगरा, जालौन तथा औरैया) हेतु विपथित किया गया था (मार्च 2011)। जिसे यह कह कर केन्द्रीय अंश का उपयोग किया गया कि उक्त हेतु केन्द्रीय अंश आने पर इसकी वापसी कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा नि.भा.अ. निधि का अनियमित होने से वर्ष 2012-13 व 2013-14 उपयोगिता प्रमाणपत्र की शुद्धता तथा तुलनपत्र की शुद्धता को प्रभावित किया।	**3,308.00** **953.00**
		कुल	**12,041.62**

[स्रोत:- नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़ा]

5 कासरगोड़ (2009-10 के दौरान ₹1 लाख) से मविनाकुर्वे, केलागीनूर तक; कोड़ानी (2009-10 के दौरान ₹1 लाख) से जल्लावल्ली, करकी तक तथा हदिनाबालु (2010-11 के दौरान ₹1.60 लाख) से केलागीनुर, करकी, मानकी तथा मविनाकुर्वे तक

6 आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बांदा, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, ईटावा, फतेहपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, ज्योतीबा फूले नगर, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खिरी, ललितपुर, लखनऊ, महामाया नगर, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संत रविदास नगर (भदोई) तथा श्रावस्ती

7 इलाहाबाद, औरैया, चंदौली, इटावा, गोंडा, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा संत रविदास नगर (भदोई)।

8 बहराईच, चित्रकूट, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खिरी, ललितपुर, मथुरा तथा श्रावस्ती

अनुबंध- 4.8
निधियों की पार्किंग
(पैराग्राफ 4.9 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)	अवधि (माह में)
1	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम जिले में 2009-11 में प्राप्त ₹20.68 करोड़ रूपये में से अगस्त 2014 तक ₹19.08 करोड (92 प्रतिशत) अप्रयुक्त थे। करीम नगर जिले में 2009-10 के दौरान ₹0.50 करोड़ की राशि अस्थायी रूप से सावधि जमाओं में पार्क की गई। इसी प्रकार से खम्माम जिले में 12 से 24 महीनों की अवधियों से सदस्य सचिव, जि.ज.स्व.स. खम्माम के बैंक खातों में (31 मार्च 2014 को) ₹9.65 करोड़ की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी। रा.ज.स्व.मि. द्वारा (2008-09 तथा 2010-11) ₹8.50 करोड़ की राशि की कार्यक्रम निधि का सावधि जमाओं में निवेश किया गया।	**1908.00** **50.00** **965.00** **850.00**	**29** **12-24**
2	असम	2012-14 के दौरान रा.ज.स्व.मि. द्वारा केन्द्रीय हिस्से की ₹ 54.73 करोड़ की राशि को दो से आठ माह के लिए अवरूद्ध रखा गया।	**5472.76**	**4-17**
3	गुजरात	आयुक्त, ग्रामीण विकास (ग्रा.वि.आ.) द्वारा सभी जि.ग्रा.वि.अ. को (सितम्बर 2011) ग्रा.प. के पास पड़े सं.स्व.अ. अनुदान के अप्रयुक्त शेषों को वापस लेने व भविष्य में लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान त.का.से.स. के द्वारा किए जाने का निर्देश दिया गया। 2012-13 के लिए चयनित जिलों में से तीन जिलों (अमरोली- ₹0.15 करोड़ भरूच-₹0.54 करोड़ तथा वल्साड- ₹0.23 करोड़) में मार्च 2013 को कुल ₹0.93 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों के पास पड़ी थी। जि.ग्रा.वि.अ. के निदेशकों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों व त.का.से.स. के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेषों को वापस लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	**92.81**	**18**
4	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य द्वारा 2009-14 के दौरान ₹0.13 करोड़ तथा ₹6.51 करोड़ के बीच की राशियाँ को बिना किसी औचित्य के अपने पास रोक कर रखा गया। जि.ज.स्व.मि. से एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चला कि 2009-14 के दौरान ₹0.90 करोड़ से ₹3.40 करोड़ की राशियाँ अनावश्यक रूप से उनके द्वारा अपने पास रोककर रखी गई। पुर्नवीक्षा अवधि के दौरान भी जिला पंचायत अधिकारियों द्वारा निधियों को अपने पास रोक कर रखा गया। इसके अतिरिक्त रा.ज.स्व.मि. द्वारा कुछ चयनित जि.ज.स्व.मि. के लिए मंत्रालय से प्राप्त निधियों को आंशिक रूप से जारी किया गया और ₹1.52 करोड़ की राशि (मार्च 2014) बैंक में रोककर रखी गई।	**1,143.00**	-
5	केरल	चार जिलों में नमूना जांच किए गए 11 ब्लाक पंचायतों व 22 ग्राम पंचायतों के पास 2008-11 के दौरान ₹2.70 करोड़ की राशियाँ अप्रयुक्त पड़ी थीं।	**270.00**	-
6	मध्य प्रदेश	निर्मल भारत अभियान के तहत जि.ज.स्व.मि. द्वारा रा.ज.स्व.मि. से प्राप्त निधियों का सीधे ग्राम पंचायतों को अंतरण किया जाना था। जनपद पंचायतों के पास उपलब्ध निधियों को ग्राम पंचायतों को जारी किये जाने के लिए जिला पंचायतों को अभ्यर्पण किया जाना था। नमूना जाँच किए गए 27 जनपद पंचायतों के रोकड़ बही व बैंक पास बुक्स के अनुसार, 22 जनपद पंचायतों के पास ₹6.58 करोड़ की राशि की योजना निधियाँ निष्क्रिय पड़ी	**658.00**	-

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)	अवधि (माह में)
		थीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा बाताया गया कि निधियों को योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा। उत्तर, दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि निर्मल भारत अभियान के प्रारम्भ होने के पश्चात जनपद पंचायतों को योजना की निधियों के उपयोग का अधिकार नहीं था। उज्जैन जिले में बादनगर ज.पं. और बालाघाट जिले में बालाघाट ज.पं. द्वारा क्रमश: मार्च 2013 तथा मार्च 2014 के दौरान ₹0.82 करोड़ की धनराशि को सावधि जमा के रूप में रखा गया।	**82.00**	
7	महाराष्ट्र	वर्ष 2009-14 के दौरान औरंगाबाद जिले में योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹2.00 करोड़ की धनराशि को सावधि जमा में निवेश किया गया।	**200.00**	-
8	मणिपुर	2009-10 के दौरान राज्य द्वारा केन्द्रीय हिस्से के रूप में ₹58.55 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसमें से ₹47.00 करोड़ की धनराशि 9 जिलों को जारी की गई तथा म.रा.ज.स.मि. के पास ₹11.54 करोड़ की धनराशि शेष बची।	**1,154.45**	**½ - 13**
9	पश्चिम बंगाल	31..8.2012 को ₹83.68 करोड़ की अप्रयुक्त धनराशि उपलब्ध थी।	**8,368.00**	**24**
		कुल	**21,214.02**	

अनुबंध- 4.9
कार्यान्वयन अभिकरणों के पास उपलब्ध असमायोजित अग्रिम
(पैराग्राफ 4.10 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	जि.ज.स्व.मि., खम्माम के वर्ष 2012-13 के तुलन पत्र के अनुसार, विभिन्न अभिकरणों को दिए गए अग्रिम की ₹5.21 करोड़ की राशि 31.3.2013 को असमायोजित पड़ी थी।	**521.00**
2	हरियाणा	जि.ग्रा.वि.अ. यमुनानगर के वर्ष 2012-13 के तुलन पत्र के अनुसार जून 2010 में मैसर्स अंबूजा सीमेंट कम्पनी को सीमेंट की आपूर्ति के लिए दिया गया ₹0.16 करोड़ का अग्रिम अप्राप्त/असमायोजित था। जि.ग्रा.वि.अ. फतेहाबाद द्वारा (मार्च 2011) फतेहाबाद ब्लॉक के आठ स्कूलों के 36 शौचालयों के निर्माण के लिए ब्लॉक विकास पंचायत अधिकारी (ब्.वि.पं.अ.) फतेहाबाद को ₹0.13 करोड़ की निधियॉ जारी की गई। ब्.वि.पं.अ. ने छ: विद्यालयों में केवल 25 शौचालयों का निर्माण किया और इसके लिए ₹8.49 लाख की धनराशि खर्च की। ₹ 4.90 लाख की शेष धनराशि तीन वर्षों से भी अधिक समय से ब्.वि.पं.अ. के पास पड़ी थी। जि.ग्रा.स्व.मि. फतेहबाद ने बताया (सितम्बर 2014) कि संबंधित ब्.वि.पं.अ. को शेष शौचालयों का निर्माण करने या अव्वयित राशि ब्याज सहित वापस करने को कह दिया गया है।	**16.10** **4.90**
3	झारखण्ड	नमूना जाँच किये गये जिलों के द्वारा (जून 2004 तथा मार्च 2013) जि.शि.अ., प्र.वि.अ., स.अ./क.अ., बा.वि.प.अ. व गै.स.सं. को निजी शौचालयों के निर्माण, सु.शि.स. गतिविधियों तथा विद्यालयी शौचालयों के निर्माण के लिए ₹4.36 करोड़ के अग्रिम दिए गए। ये अग्रिम 16 से 120 माह तक बकाया रहे। इसी प्रकार, प.मा.इ. की 2012-13 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2013 को विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों पर ₹21.77 करोड़ के अग्रिम बकाया थे। लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अनुसार नमूना जाँच किये गये जिलों में मार्च 2013 को ₹14.42 करोड़ के अग्रिम बकाया थे परंतु रोकड़ बही के अनुसार बकाया अग्रिम केवल ₹3.47 करोड़ था। चार्टड एकाउंटेंटों द्वारा भी अपने प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में अग्रिम भुगतानों को अग्रिम के रूप में नहीं दिखाया गया। अत: जिन जिलों की नमूना जॉच की गई उनके द्वारा अग्रिमों का समुचित लेखांकन नहीं किया गया था व कुछ अग्रिमों को रोकड़ बहियों में खर्चे के रूप में दिखाया गया था।	**436.00** **1,442.00** **2,177.00**
4	केरल	2008-14 के दौरान पझायन्नुर तथा पल्लकड ब्लाक पंचायतों द्वारा सा.स्व.प., विद्यालयी शौचालयों, ग्रामीण स्वच्छता बाजारों के निर्माण के लिए विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹6.8 लाख की राशि के अग्रिम दिए गए। तथापि, वांछित कार्य को अभी भी या तो प्रारम्भ किया जाना था या पूरा नहीं किया गया था या बीच में ही छोड़ दिया गया था व अग्रिमों की वसूली के लिए कोई प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की गई थी।	**6.80**
5	मणिपुर	2010-14 के दौरान म.रा.ज.स.मि. द्वारा कुल ₹4.96 करोड़ के अग्रिम जारी किये गए जिसमें से ₹2.24 करोड़ का समायोजन कर लिया गया व ₹2.73 करोड़ के अग्रिम शेष रह गए।	**272.75**

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
6	ओडिशा	2009-12 के लिए चार्टड एकाउंटेंटस की रिपोर्टों के अनुसार नमूना जाँच किए गए जिलों में जि.ज.स्व.मि. द्वारा विभिन्न अधिकारियों और संगठनों को ₹16.53 करोड़ के अग्रिमों का भुगतान किया गया (अप्रैल 2003-दिसम्बर 2013) जो अगस्त 2014 तक समायोजित नहीं किए गए थे। जि.ज.स्व.मि. द्वारा भुगतान, उपयोग तथा उनके समायोजन की निगरानी के लिए किसी रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया।इस प्रकार के ब्यौरे के अभाव में बकाया अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण नहीं किया जा सका।लम्बी अवधि तक अग्रिमों का समायोजन न किए जाने के कारण इस प्रकार के अग्रिमों के दुरूपयोग/गैरवसूली की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जि.ज.स्व.मि. द्वारा बताया गया कि बकाया अग्रिमों के शीघ्र समायोजन के लिए कार्रवाई की जाएगी। जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि जि.ज.स्व.मि. के कलेक्टर-सह-अध्यक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ₹16.53 करोड़ के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सके।	**20.00**
		कुल	**4896.55**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित आंकड़े]

अनुबंध- 4.10
उपयोगिता प्रमाणपत्रों का गैर प्रस्तुतीकरण
(पैराग्राफ 4.11 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण	राशि (₹ लाख में)
1	असम	वर्ष 2012-13 के लिए ₹21416.42 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे।	**21416.42**
2	बिहार	चार[9] जिलों की नमूना जॉच से पता चला कि शौचालयों के निर्माण के लिए 653 ग्राम पंचायतों को ₹4.41 करोड़ का अंतरण (मार्च 2007 से सितम्बर 2008) किया गया। परंतु लेखापरीक्षा के समय (अगस्त 2014) तक तीन[10] नमूना जांचित जिलों की संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ₹0.41 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए और शेष ₹4 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र सात वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बकाया थे। इसी प्रकार से चार[11] नमूना-जॉचित जिलों में मार्च 2006 से नवम्बर 2012 के दौरान विद्यालयी शौचालयों के निर्माण के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को ₹3.44 करोड़ के अग्रिम दिए गए। तथापि जि.शि.अ. नवादा द्वारा केवल ₹0.81 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए और शेष ₹2.63 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी भी बकाया थे। अत: उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्रस्तुती के कारण स.स्व.अ./नि.भा.अ. निधि में से ₹6.63 करोड़ के अग्रिम असमायोजित रहे।	**663.00**
3	हरियाणा	वर्ष 2012-13 के लिए ₹1132.32 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे।	**1132.32**
4	हिमाचल प्रदेश	2009-14 के दौरान दो[12] नमूना जॉचित जि.ग्रा.वि.अ. में प्र.वि.अ. को ₹26.96 करोड़ की राशियाँ जारी की गई जिसमें से मार्च 2014 तक ₹24.32 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र के उ.प्र. बकाया थे। प.अ., जि.ग्रा.वि.अ., मण्ड़ी ने बताया (अगस्त 2014) कि कार्यान्वयन अभिकरणों को शीघ्रातिशीघ्र उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने के लिए कहा जाएगा। प.अ., जि.ग्रा.वि.अ. हमीरपुर ने बताया (सितम्बर 2014) कि चूंकि नि.भा.अ. मांग आधारित परियोजना है, निधियों का उपयोग जनता की मांग के अनुसार किया जा रहा है।	**264.00**
5	जम्मू एवं कश्मीर	2009-14 के दौरान ₹103.36 करोड़ की केन्द्रीय निधियों के गैर निर्गम दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय को मध्यावधि उपयोगिता प्रमाणपत्रों और ले.ले.वि. का गैर-प्रस्तुतीकरण था।	-

[9] भोजपुर- 213 ग्रा.पं. हेतु ₹1.30 करोड़, दरभंगा- 330 ग्रा.पं. हेतु ₹2.90 करोड़, कटिहार- 104 ग्रा.पं. हेतु ₹0.12 करोड़ तथा नवादा- 6 ग्रा.पं. हेतु ₹0.09 करोड़।

[10] भोजपुर- ₹0.42 लाख, दरभंगा- ₹40.36 लाख तथा कटिहार- ₹0.24 लाख।

[11] कटिहार- ₹1.80 लाख, मुजफ्फरपुर- ₹159.85 लाख, नवादा- ₹123.04 लाख तथा पश्चिमी चंपारण- ₹59.50 लाख।

[12] मंडी तथा हमीरपुर

क्र.सं.	राज्य	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण	राशि (₹ लाख में)
6	झारखण्ड	2009-13 के दौरान मंत्रालय द्वारा प.मा.इ. को ₹208.67 करोड़ जारी किए गए। तथापि प.मा.इ. द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण 2013-14 के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्य अंश जारी नहीं किया गया।	-
7	कर्नाटक	यद्यपि राज्य अभिकरण मंत्रालय को केवल सभी जिलों के समेकित लेखों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे थे, 2009-13 के दौरान राज्य स्तर पर किए गए ₹2.23[13] करोड़ के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किए गए।	**223.00**
8	मेघालय	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण अत्यंत खराब था क्योंकि 2009-14 (वर्ष 2011-12 को छोडकर जहॉ उपलब्धि 88 प्रतशित थी) के दौरान इसकी प्रतिशतता 38 से 42 प्रतिशत के बीच थी। उपयेागिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुती में अनावश्यक विलंब किया गया जो वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात 7 से 10 माह के मध्य में थी। 2013-14 के दौरान प्राप्त निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए (सितम्बर 2014)। राज्य नोडल अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2014) कि लाभार्थियों/विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा आ.के. उपयोगता प्रमाणपत्र/समाप्ति प्रमाणपत्र जि.ज.स्व.मि./ब्लाक को प्रस्तुत करने में काफी समय लगाते हैं। तथापि, जि.ज.स्व.मि./ब्लाक्स से संकलित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने पर उन्हें संकलित करने के पश्चात मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।	-
9	ओडिशा	₹510.10 करोड़ की उपलब्ध निधि में से ओ.रा.ज.स्व.मि. 2009-12 के दौरान ₹257.27 करोड़ खर्च कर सका। परंतु केवल 2009-12 के दौरान खर्च की गई ₹184.63 करोड़ की राशि के ही उपयोगिता प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए। 2012-14 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा ले.ले.वि. अगस्त 2014 तक प्रस्तुत नहीं किए गए गए थे। ओ.रा.ज.स्व.मि. ने बताया (सितम्बर 2014) कि ले.ले.वि. और उ.प्र. के समेकन में विलम्ब का कारण मनरेगा के अभिसरण में वै.पा.शौ. का निर्माण तथा ब्लाक स्तर से उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में आई कठनाई से जि.ज.स्व.मि. स्तर पर संकलन में देरी था। उसने आगे बताया कि जिलों से उ.प्र./ले.ले.वि. प्राप्त होने पर उन्हें मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।	**7264.00**
10	पुदुचेरी	वर्ष 2012-13 के लिए ₹15.77 लाख की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे।	**15.77**
11	पंजाब	2011-12 के दौरान ले.ले.वि. में अन्य मंडलो को ₹12.70 करोड़ की राशि का अंतरण दर्शाया गया है और तदनुसार उपलब्ध केंद्रीय अंश में से शेष राशियों को कम कर दिया गया था। परंतु संबंधित मंडलों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।	**1270.00**

[13] 2009-10 (₹72.92 लाख), 2010-11 (₹54.94 लाख), 2011-12 (₹47.10 लाख) तथा 2012-13 (₹48.62 लाख)।

क्र.सं.	राज्य	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण	राशि (₹ लाख में)
12	राजस्थान	31 मार्च 2013 को रा.ज.स्व.मि. द्वारा ₹207.47 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण लम्बित था। निदेशक, स.क्ष.वि.इ. ने बताया कि अग्रिमों का निर्गम एक सतत् प्रक्रिया है और समय-समय पर निर्देश जारी कर दिये गए थे।	**20746.89**
13	उत्तराखण्ड	जि.प.मा.इ. द्वारा विभिन्न सहायक संगठनों[14] (स.स.) को शौचालयों के निर्माण के लिए निधियों का अंतरण किया गया जिसके लिए स.स. को शौचालयों के निर्माण के पश्चात् इन निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने थे। संबंधित स.स. द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र न किये जाने के कारण राज्य में ₹2.19 करोड़ की राशि असमायोजित पड़ी थी (मई 2014)। इसमें से, ₹1.30 करोड़ की राशि जि.ग्रा.वि.अ. के पास थी और ₹0.72 करोड़ की राशि स.जि.शि.अ./जि.शि.अ. के पास शेष थी। यह बताया गया (नवम्बर 2014) कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखे जा चुके हैं और बकाया मामलों के निपटान के लिए जि.शि.अ. व स.जि.शि.अ. के साथ मु.वि.अ. द्वारा निरंतर निगरानी बैठकें की जा रही है	**219.06**
14	पश्चिम बंगाल	2009-14 के दौरान पूर्बा मेदिनीपुर और मुर्शिदाबद जिला पंचायतों के द्वारा पंचायत समितियों को ₹123.75 करोड़ का आबंटन किया गया। तथापि जिला पंजायतों द्वारा केवल ₹106.43 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र ही प्राप्त हुए जिसके परिणामस्वरूप ₹17.32 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया रहे। जलपाईगुड़ी जिला प्रचायत में 2009-14 के दौरान प्राप्त कुल ₹86.50 करोड़ की निधियों में से केवल ₹62.56 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए। अत: ₹23.94 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया रहे। पूर्वा मेदीनीपुर जिला पंचायत की विभिन्न पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को ₹1.23 करोड़ के निर्मल ग्राम पुरस्कार (नि.ग्रा.पु.) प्रदान किए गए परंतु उपयोगिता प्रमाणपत्र रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार, मुर्शिदाबाद जिला पंचायत में 22 ग्राम पंचायतों को ₹0.55 करोड़ पुरस्कार के रूप में दिए गए परंतु इनमें से किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।	**1732.00** **2394.00** **123.00** **54.50**
		कुल	**57517.9**

[ब्यौरे मंत्रालय में उपलब्ध लेखापरीक्षित लेखा विविरणों से लिए गए है]

[14] जिला शिक्षा अधिकारी (जि.शि.अ.), जिला कार्यक्रम अधिकारी (जि.का.अ.), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.), और गै.स.स. (समितियॉ)

अनुबंध- 4.11
प्रशासनिक गतिविधियों पर व्यय
(पैराग्राफ 4.12 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	वर्ष के दौरान योजना पर कुल व्यय	प्रशासनिक गतिविधियो पर व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1	छत्तीसगढ़	2010-11	3083.86	491.57	16
		2011-12	2123.32	423	19.8
		2012-13	1547.92	262.39	17
2	गुजरात	2011-12	5754.32	326.08	6
		2012-13	7058.36	446.58	6.3
3	हरियाणा	2009-10	1818.63	96.17	5.28
		2010-11	1580.79	97.92	6.1
4	हिमाचल प्रदेश	2009-10	1662.68	1662.68	100
		2010-11	2505.75	2505.75	100
5	कर्नाटक	2010-11	7267.21	764.27	10.5
6	केरल	2009-10	1831.45	120.55	6.6
		2010-11	1365.89	88.32	6.4
		2011-12	1470.8	146.39	10
		2012-13	1429.54	129.48	9
7	मध्य प्रदेश	2009-10	13361.71	1915.86	14
		2010-11	13362.12	1578.98	11.8
8	मणिपुर	2009-10	355.67	20.98	5.9
9	नागालैण्ड	2010-11	304.01	18.33	6
10	पंजाब	2010-11	747.25	314.08	42
		2011-12	1637.68	1392.85	85
11	राजस्थान	2009-10	3514.28	342.69	9.8
		2010-11	4204.48	655.29	15.6
		2011-12	3886.52	335.37	8.6
		2012-13	5808.82	354.69	6.1
12	उत्तर प्रदेश	2011-12	23236.88	1652.21	7.11
		2012-13	31675	1336.53	4.2

[ब्यौरे मंत्रालय के लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण से लिए गए]

अनुबंध- 4.12
बहु बैंक खाते
(पैराग्राफ 4.13(i) के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1	आन्ध्र प्रदेश	नि.म.ले.प. द्वारा एक पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2012-13) में इंगित रा.ज.स्व.मि. द्वारा बहु बैंक खातों के संचालन के प्रति राज्य सरकार ने सुधारात्मक कार्यवाही आश्वासित की थी। तथापि, मामले में सुधार नहीं किया गया था जो कि नि.भा.अ. दिशानिर्देशों के प्रति छः अलग बैंकों[15] में रा.ज.स्व.मि. द्वारा निधियों के संचालन की निरंतरता से स्पष्ट था। आदिलाबाद जिले में दो बैंक खाते (आन्ध्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) दिशानिर्देशों के उल्लंघन में संचालित किए गए थे। उसी प्रकार करीमनगर जिले में जहाँ रा.ज.स्व.मि., करीमनगर ने छः बैंक खाते (स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद-दो खाते, इंडियन ओवरसीज बैंक, आई.एन.जी. वैश्य-दो खाते, आन्ध्रा बैंक), वहीं आर. डब्ल्यू. एस.,पेद्दापल्ली ने चार बैंक खाते (स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इंडियन बैंक, एस.बी.आई. तथा एक्सिस बैंक) वेमूलवाडा ने दस बैंक खाते, विजया बैंक-तीन खाते, आई.डी.बी.आई.- तीन खाते, एक्सिस बैंक-तीन खाते तथा आन्ध्रा बैंक, आर.डब्ल्यू. एस., करीमनगर ने नौ बैंक खाते, आई.डी.बी.आई.-दो खाते, इंडियन ओवरसीज बैंक-दो खाते, आई.एन.जी. वैश्य बैंक, एक्सिस बैंक-तीन खाते तथा आर.डब्ल्यू.एस., हुजुराबाद ने छः खाते- एस.बी.आई. संचालित किए थे।
2	अरूणाचल प्रदेश	चंगलंग जिले में स्वजल धारा एवं सं.क्ष.वि.ई. निधियों के साथ बचत बैंक खाते में योजना की निधियाँ रखी गई थी।
3	बिहार	चार नमूना परीक्षित जिलों के जि.ज.स्व.अ. द्वारा (भोजपुर:2, दरभंगा:2, मुजफ्फरपुर:8 एवं नवादा:4) 2009-14 के दौरान दो से आठ बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे, जो निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में नहीं था।
4	गुजरात	चार चयनित जिलों में से दो अर्थात् खेड़ा एवं वल्साड में, सं.स्व.अ./नि.भा.अ. तथा निर्मल गुजरात योजना (नि.गु.यो.) के लिए एक की खाते को संचालित कया जा रहा था। अलग खाते क्रमश: जून 2011 तथा अगस्त 2012 से संचालित किए गए थे। टी.डी.ओ. अंकलेश्वर (भरूच जिला) ने मार्च 2014 तक सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के लिए अलग खाते का अनुरक्षण नहीं किया था। जबकि खेड़ा जिले के नडयाड एवं कथलाल के टी.डी.ओ. ने क्रमश: जून 2012 तथा सितम्बर 2011 तक सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के लिए अलग खातों को अनुरक्षित नहीं किया था। यह योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था।
5	झारखंड	छः नमूना-परीक्षित जिलों में से, धनबाद एवं गढ़वा क्रमश: दो तथा चार बैंक खाते संचालित कर रहे थे।
6	कर्नाटक	एक बैंक खाते को अनुरक्षित करने की आवश्यकता के प्रति राज्य स्तर पर रा.ज.स्व.मि. द्वारा सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के लिए दो बैंक खाते अनुरक्षित किए जा रहे थे जिसमें से एक खाता 2012-13 के दौरान बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, जि.प., बेलगाम तथा मंडाया तथा साथ ही टी.पी. बेलहोंगल ने भी योजना निधियों को संचालित करने के लिए एक से अधिक बैंक खाते का अनुरक्षण किया था। उसी प्रकार जि.प. के अन्तर्गत 14 ग्रा.पं., बेलगाम (3), चित्रदुर्ग (1), तुमकुर(2), तथा रायचूर(8), ने बहु बैंक खातों को अनुरक्षित किया था।
7	मध्य प्रदेश	13 जिलों के 27 ब्लॉकों के 231 नमूना परीक्षित ग्राम पंचायतों में यह पाया गया कि 13 जिलों में 25 ब्लॉकों के 146 ग्रा.पं. द्वारा सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के लिए रोकड़ बही एवं बैंक

[15] स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, आई.एन.जी. वैश्या बैंक एवं आन्ध्रा बैंक

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		खाता अलग से अनुरक्षित नहीं किए गए थे। सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के लिए अलग बैंक खाते तथा रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किए जाने के कारण सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों पर अर्जित ब्याज का पता नहीं लगाया जा सका था। संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि नि.भा.अ. निधियों के लिए अलग रोकड़ बही तथा बैंक खाते को अनुरक्षित किया जाएगा। 13 नमूना परीक्षित जिलों में से पॉच (अनुपपुर, बालाघाट, देवास, धार, सतना) जिलों के जि.ज.स्व.मि. एक से अधिक बैंक खाते का संचालन कर रहे थे। उसी प्रकार, 27 नमूना परीक्षित ब्लॉकों में से सात ब्लॉक (बालाघाट, निवाली, देवास, सतना, रामनगर, सोहागपुर, ब्योहरी) एक से अधिक बैंक खाते संचालित कर रहे थे। संबंधित जि.प. एवं ज.प. के मु.का.अ. ने बताया कि भविष्य में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के संचालन हेतु एक बैंक खाता ही रखा जाएगा।
8	महाराष्ट्र	राज्य सरकार ने योजना के लिए अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेखों की प्रकृति तथा इसके पृथक लेखांकन पर जिलों को कोई निर्देश जारी नहीं किए थे जिसके कारण लेखाओं में योजना से संबंधित प्राप्तियों एवं भुगतानों से अधिक का समावेश हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि गलत लेखांकन के कारण क्रमश: वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान 12 जिलों (₹17.53 करोड़), नौ जिलों (₹11.40 करोड़) तथा छ: जिलों (₹9.42 करोड़), में निधियों के नकारात्मक अथशेष दर्ज किए गए जो कि अन्य योजनाओं के अनुदानों के अनियमित उपयोग द्वारा संस्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय दर्शाता है। 2009-10 तथा 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सं.स्व.अ. से भिन्न योजनाओं की प्राप्तियों एवं भुगतान के समावेश के कारण ₹0.96 करोड़ तथा ₹0.59 करोड़ के अंतर सूचित किए गए थे जिनका सामंजस्य नहीं किया जा सका था।
9	पंजाब	जून 2012 में, राज्य समन्वयक ने जि.ज.स्व.मि. को उनके पास पड़े हुए अव्ययित शेषों को एक्सिस बैंक के बचत बैंक खाते में जमा करने के निर्देश जारी किए थे। परंतु, नए खोले गए खाते में जि.ज.स्व.मि. द्वारा ₹ 20.18 करोड़ (जून 2012 से सितम्बर 2013 तक) की राशि जमा करने से पूर्व नए बैंक खाते को खोलने की मंत्रालय से अनुमति नहीं ली गई थी।
10	उत्तर प्रदेश	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में राज्य स्तर पर सं.स्व.अ./नि.भा.अ. बचत बैंक खाता खोला गया था (जनवरी 2011)। 2011-12 से अन्य योजना अर्थात् ई.-पंचायत से निधियों को भी इस खाते में क्रेडिट किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अलग से बैंक खाता नहीं रखा जा सका। कुशीनगर एवं जलाऊँ को छोड़कर जिला स्तर पर सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियॉ अलग बचत बैंक खाते रखे गए थे जहॉ सं.स्व.अ./नि.भा.अ हेतु दो बैंक खाते अक्तूबर 2012 से जून 2014 के दौरान समानांतर प्रचालन में रखे गए थे। ग्रा.प. स्तर पर सं.स्वा.अ. हेतु अलग बैंक खाता नहीं खोला गया था तथा निधियों (ग्राम निधि-1) को 12/13वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की निधियों के साथ रखा गया था । सं.स्व.अ. निधियों पर अर्जित ब्याज यद्यपि लेखांकित किया गया था परंतु एक ही बैंक खाते में सं.स्व.अ. निधियों को रखे जाने के कारण उसे निर्धारित नहीं किया जा सका था। इन निधियों का उपयोग भी लेखापरीक्षा द्वारा निश्चित नहीं किया जा सका था। नि.भा.अ. (ग्राम निधि-6) हेतु अलग बैंक खाते अक्तूबर 2012 के पश्चात् खोले गए थे। सं.स्व.अ. हेतु निधियों को निर्धारित न किए जाने के कारण, उचित निधि प्रबंधन आश्वासित नहीं किया जा सका था।
11	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद जि.प. तथा ऑस्ग्राम-।। पं.स. ने दो खाते अनुरक्षित किए थे तथा अलीपुरदुआर-। पं.स. ने अलग-अलग अवधियों में तीन बैंक खाते रखे हुए थे। परंतु उपरोक्त किसी भी मामले में, वित्त विभाग से अपेक्षित संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। तथापि, सं.स्व.अ. निधियों हेतु चयनित जिलों ने अलग बैंक खाते रखे थे।

[विवरण मंत्रालय में उपलब्ध लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणी से लिए गए हैं।]

बचत बैंक खाते में न रखी गयी निधियां
(पैराग्राफ सं. 4.13(ii) के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
1	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिम कामेंग जिले की सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियां सितम्बर 2011 तक बचत बैंक खाते में रखी गयी थीं, जिसके पश्चात् उनका अंतरण चालू बैंक खाते में कर दिया गया जिसके कारण उसके बाद ब्याज अर्जित नहीं किया जा सका था।	-
2	जम्मू एंव कश्मीर	दो चयनित ब्लॉकों (रामहाल एंव त्रेहगम) तथा जिला विकास आयुक्त, रामबाण ने चालू बैंक खातों में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियां जमा की थीं जिसके कारण विभाग को ब्याज के रूप में ₹5.87 लाख की हानि हुई। अन्य इकाइयों में भी ऐसे मामलों के होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता था। विभाग ने बताया कि भविष्य में, सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों के लिए अनुरक्षित चालू खातों को बचत बैंक खातों में बदल दिया जाएगा।	**5.87**
3	नागालैण्ड	ले.ले.वि. से यह पाया गया कि नागालैण्ड में 2011-12 से 2013-14 के दौरान 11 जिलों में से 5 में योजना की निधियों को चालू खाते में रखा गया जिसके कारण ब्याज की हानि हुई। 2011-12 के दौरान संस्वीकृत ₹4.26 करोड़ के राज्य अंश में से वित्त विभाग ने सिविल जमा (सि.ज.) में 88 दिनों के लिए ₹4.05 करोड़ की राशि रखी थी जिसके कारण रा.ज.स्व.मि. को ₹3.90 लाख के ब्याज की हानि हुई थी।	**3.90**
4	राजस्थान	अनुकूल राज्यीय हिस्सेदारी को जिला परिषदों के निजि जमा (नि.ज.) खातों में रखा गया था। चुरू , सिकर, भिलवाड़ा, जालोर, श्रीगंगानगर एंव उदयपुर के छः नमूना परीक्षित जिलों में राज्य अंश की ₹9.59 करोड़ की राशि को 10 से लेकर 365 दिनों तक नि.ज. खातों से जि.प. के सं.स्व.अ. के खातों में अंतरित किया गया था। संबंधित जि.प. के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (जून-सितम्बर 2014) कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निधियों को नि.ज. खातों में प्राप्त किया गया था।	-
5	तमिलनाडु	राज्य अंश को दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से न संचालित कर राज्य वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से किया गया था।	-
6	उत्तर प्रदेश	योजना का केन्द्रीय अंश एस.एस.एम द्वारा सीधे ही डी.एस.एम. के बैंक खातों में जारी किया गया था जबकि राज्य अंश को राज्य राजकोषों में जारी किया गया था। नमूना परीक्षित जिलों ने राजकोषों से निधियां आहरित की थी जिसके कारण 16 से लेकर 348 दिनों तक सं.स्व.अ./नि.भा.अ. बैंक खातों में निधियों को क्रेडिट करने में विलंब हुआ तथा परिणामस्वरूप 2009-14 के दौरान ₹1.12 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।	**112**
	Total		**121.77**

[मंत्रालय के लेखाओं की लेखापरीक्षा विवरणी से लिए गए विवरण]

ब्याज का गैर लेखांकन
(पैराग्राफ सं. 4.13(iii) के संदर्भ में)

आन्ध्र प्रदेश	राज्य	अभ्युक्ति	राशि(₹ लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर जिले में, चार्टड अकाउटेंट के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से पता चला कि 2009-13 की अवधि के दौरान निधि शेष पर अर्जित 15.82 लाख के ब्याज की राशि को नि.भा.अ. खाते में नही लिया गया था।	**15.82**
2	हिमाचल प्रदेश	ज.स्व.स.सं. द्वारा निदेशक, आर.डी.डी. को 2009-14 के दौरान ₹45.99 करोड़ की राशि की निधियों के निर्गम में छ: से लेकर 20 दिनों तक का विलंब हुआ था। इसके कारणवश ज.स्व.स.सं. के बैंक खातों में जून 2014 तक ₹0.18 करोड़ तक की राशि के ब्याज का सचंय हुआ था जिसे मार्च 2014 तक कार्यान्वयन अभिकरणों में अतंरित नहीं किया गया था।	**17.55**
3	जम्मू एंव कश्मीर	रा.ज.स्व.मि. तथा जि.ज.स्व.मि., पुंछ द्वारा अर्जित ₹ 82.05 लाख की राशि को ब्याज के रूप में लेखाओं में लेखांकित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा संकथन को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि भविष्य में ब्याज के लेखाकरण में उचित ध्यान रखा जाएगा।	**82.05**
4	झारखंड	2010-11 के दौरान रा.ज.स्व.मि. खाते में शेषों पर ब्याज के रूप में ₹ 0.38 करोड़ की राशि अर्जित की गयी थी। उसी प्रकार, 2011-12 के दौरान रा.अ.स्व.मि. खाते में रखे हुए शेषों पर ₹ 1.13 करोड़ की राशि को ब्याज के रूप में अर्जित किया गया था।	**37.89** **113.02**
5	मध्य प्रदेश	2009-13 के दौरान, ब्लॉक स्तर पर सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों पर 0.74 करोड़ की राशि को 12 नमूना परीक्षित जिलों के 23 ब्लॉकों में लेखांकित नहीं किया गया था।	**74.00**
6	मणिपुर	2012-13 के दौरान रा.ज.स्व.मि. के खाते में 0.13 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया जो कि दर्शाता है कि खाते में निधियां रखी गयी थी।	**12.86**
7	मेघालय	मेघालय में, क्रमश: 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान रा.ज.स्व.मि. खाते में ₹24.34 लाख तथा ₹47.28 लाख तक की राशि का ब्याज अर्जित हुआ था जोकि यह दर्शाता है कि निधियां खाते में रखी गयी थीं।	**24.34** **47.28**
8	नागालैण्ड	रा.ज.स्व.मि. ने सं.स्व.अ./नि.भा.अ. निधियों को संचालित करने के लिए बचत बैंक खातों से ब्याज के रूप में 0.38 करोड़ की राशि अर्जित की थी। इस राशि को रा.ज.स्व.मि. के खातों में दर्शाया नहीं गया था।	**38.19**
9	पंजाब	रूपनगर में आनन्दपुर साहिब, जि.ज.स्व.मि. द्वारा 522 आंगनवाडी शौचालयो के निर्माण हेतु अपर उपायुक्त (विकास), रूपनगर को 0.21 करोड़ की राशि अंतरित की थी। बिना कोई कार्य को निष्पादित किए बिना निधियों को वापस (सितम्बर 2011) भेज दिया गया था। अपर उपायुक्त (विकास) के पास अनियमित रूप से निधियॉ रखे जाने के परिणामस्वरूप 0.39 लाख की राशि के ब्याज की हानि हुई थी। उत्तर में, रा.ज.स्व.मि. ने बताया (जून 2014) कि ब्याज की हानि से संबंधित मामले को संबंधित विभाग के समक्ष वसूली के लिए रखा जाएगा।	**0.39**
10	राजस्थान	सीकर, भीलवाड़ा एवं श्रीगंगानगर के तीन नमूना परीक्षित जिलों में ग्रामीण स्कूलों में शौचालयों के निर्माण हेतु जिला समन्वयक (जि.स.), सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) को निधियां अंतरित की गई थी। जि.स, स.शि.अ. ने वार्षिक उ.प्र. प्रस्तुत किए थे जिसमें निधियों पर अर्जित 0.17 करोड़ की राशि का ब्याज शामिल नहीं किया गया था। जि.ज.स्व.स, सीकर ने बताया (जून 2014) कि	**16.82** **11.11**

आन्ध्र प्रदेश	राज्य	अभ्युक्ति	राशि(₹ लाख में)
		स.शि.अ. से सूचना की प्राप्ति के पश्चात् ब्याज को लेखांकित किया जाएगा। जबकि जि.ज.स्व.स., श्री गंगानगर ने बताया (अगस्त 2014) कि स.शि.अ को अंतरित निधि से अर्जित ब्याज वापस लिया जाएगा। जि.ज.स्व.अ., भीलवाड़ा ने स्वीकार किया (जून 2014) कि ₹6.83 लाख की राशि स.शि.अ. के बैंक खाते में पड़ी हुई थी। उसी प्रकार, जि.ज.स्व.स., उदयपुर के सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.)/ मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे आवास (मु.मं.ग.रे.नी.आ.) के अंतर्गत 2012-13 के दौरान वै.पा.शौ. के निर्माण हेतु जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जि.प. (ग्रा.वि.प्र.) ने ₹18.33 करोड़ की मांग की (फरवरी 2013) थी। जि.ज.स्व.स., उदयपुर ने जि.प. (ग्रा.वि.स.) को ₹5.00 करोड़ अंतरित (फरवरी 2013) किए। जि.प. (ग्रा.वि.स.) ने 2.50 करोड़ (28.01.2014 को 0.50 करोड़ तथा 31.07.2014 को 2.00 करोड़) की अप्रयुक्त राशि को उस पर ₹0.11 करोड़ के अर्जित (31.07.2014 तक) ब्याज के बिना ही वापिस कर दिया था।	
11	उत्तर प्रदेश	2011-14 के दौरान, प्रतापगढ़ में, सं.स्व.अ./नि.भा.अ. बैंक खाते में शेष निधियों पर जून 2014 तक अर्जित ब्याज (प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर पर निकाले गए ₹67.14 लाख) को क्रेडिट नहीं किया गया था।	**67.14**
		कुल	**558.47**

[मंत्रालय में उपलब्ध लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणी से लिए गए ब्यौरे]

अनुबंध- 4.13
अथशेष और अंतशेष में विसंगतियां
(पैराग्राफ 4.14(i) के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/ सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	के अनुसार अथशेष			के अनुसार अंतशेष		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र (के. + रा.)	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.	उपयोगिता प्रमाणपत्र (के. + रा.)	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.
1	बिहार	2011-12	16,380.42	12,968.78	13,272.65	15,604.76	12,788.60	13,892.19
2	छत्तीसगढ़	2009-10	5,756.06	5,756.06	5,792.42	4,331.18	4,325.30	4,352.49
		2010-11	4,331.18	4,331.18	4,352.49	8,601.10	8,601.10	8,015.94
		2011-12	8,601.10	8,601.10	8,015.87	12,024.39	10,206.62	7,763.78
		2012-13	10,206.62	10,206.62	7,763.78	13,273.77	13,273.77	12,325.63
3	गुजरात	2010-11	10,316.05	10,316.10	5,540.34	8,596.60	8,596.60	5,550.95
		2011-12	8,596.60	8,596.60	5,550.95	10,590.02	10,590.00	6,564.25
		2012-13	10,590.02	10,590.00	6,564.25	13,233.97	13,234.00	7294.52
4	हरियाणा	2009-10	3,166.54	2,977.22	3,512.77	2,459.27	2,245.59	2759.7
		2010-11	2,482.17	2,245.59	3,218.55	3,537.56	3,292.29	4,545.04
		2011-12	3,634.57	3,634.38	3,665.68	2,778.24	2,778.25	2,333.93
5	हिमाचल प्रदेश	2009-10	1,331.73	1,331.66	1,678.35	1,067.00	1,280.51	1,236.69
		2010-11	1,280.50	1280.50	1,236.69	2,020.38	2,020.38	2,104.64
6	जम्मू एवं कश्मीर	2010-11	709.54	709.54	1,100.79	992.00	992.00	2,894.18
		2011-12	992.00	992.00	2,894.18	1,112.10	1,112.1	1,289.54
		2012-13	1,112.10	1,112.1	1,289.54	1,079.11	1,052.41	1,247.20
7	झारखण्ड	2010-11	15,697.69	15697.72	13,428.83	15,611.04	15,611.04	14,013.94
		2011-12	15,611.04	15,611.04	14,013.94	22,765.71	22,765.71	19,301.53
8	कर्नाटक	2010-11	3,854.49	3854.49	5,742.48	4,287.22	4,287.22	4,520.24
		2011-12	6,533.53	6,533.55	4,520.24	9,099.18	6488.09	8,674.52
9	केरल	2009-10	1,965.50	1,994.61	1,585.45	1,929.99	1,969.58	1,220.31
10	मध्य प्रदेश	2009-10	9,679.94	9,679.94	13,109.05	8,210.83	4,994.36	8,433.75
		2010-11	8,210.83	4,994.36	8,433.75	18,233.64	10,510.18	11,452.65
		2011-12	18,233.64	10,510.18	11,452.65	14,839.30	3,895.69	9,572.59
		2012-13	14,839.30	3,895.69	9,572.59	18934.75	8,011.44	18,723.04
11	महाराष्ट्र	2009-10	7,620.33	9,086.09	9,941.93	8,678.64	8,774.41	7,751.98
		2010-11	8,678.64	9,050.95	7,751.98	16,404.71	16,810.51	14,931.34
		2011-12	17,440.36	0.98	14,931.34	17,181.77	1.02	12,201.84
		2012-13	17,181.77	1.02	12,201.84	23,984.25	7.86	18,511.42

क्र.सं.	राज्य/ सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	के अनुसार अथशेष			के अनुसार अंतशेष		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र (के. + रा.)	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.	उपयोगिता प्रमाणपत्र (के. + रा.)	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.
12	मणिपुर	2009-10	228.62	228.62	498.95	1,361.64	1,361.65	1,359.55
		2010-11	1,361.64	1,361.65	1,359.55	487.52	468.3	648.89
		2011-12	487.52	468.30	648.89	500.79	365.68	960.79
		2012-13	500.79	365.68	960.79	1053.49	733.9	2738.88
13	मेघालय	2011-12	3,259.92	3,259.91	3,154.64	627.21	627.21	826.28
		2012-13	627.21	627.21	826.28	2,472.31	2,472.31	2,373.52
14	नागालैंड	2009-10	31.29	30.98	64.29	20.34	26.84	321.6
		2010-11	20.32	26.84	320.88	1101.18	1101.04	1114.63
		2011-12	1,101.17	1,096.68	1,114.63	410.44	0.81	-82.67
15	ओडिशा	2009-10	14,658.82	11,486.00	14,077.71	18,744.14	13,880.82	17,238.98
		2010-11	18,744.14	13,880.82	17,238.98	21,700.75	16,944.31	18,168.19
		2011-12	21,700.75	16,944.31	18,168.19	30,012.15	25,443.85	25,548.53
16	पंजाब	2009-10	1,324.97	1,324.97	1,551.63	1,061.11	1,061.12	1,280.40
		2010-11	1,061.11	1,061.12	1,280.4	1,899.58	1,899.58	2,083.92
		2011-12	1,899.58	1,899.58	2,082.92	1,980.05	1,980.05	2,261.3
17	राजस्थान	2009-10	7,178.31	4,106.91	5,434.45	9,676.78	5,153.23	7,055.70
		2010-11	9,676.78	4,002.40	7,055.70	9,686.55	3,935.79	8,755.98
		2011-12	9,769.73	3,935.79	8,755.98	13,684.74	5,743.85	11,414.34
		2012-13	13,684.73	5,743.85	11,414.34	20,746.89	8,533.25	16,276.02
18	उत्तराखण्ड	2010-11	1,102.89	1,094.22	924.96	2,157.60	2,204.55	1,391.48
19	उत्तर प्रदेश	2009-10	39,335.86	39,335.86	47,202.21	37,890.84	37,890.84	28,120.91
		2010-11	37,890.84	37,890.84	28,120.91	38,962.88	38,962.88	24,807.73
		2012-13	30,073.78	30,086.92	27,839.24	32,989.72	31,286.30	34,234.57

के.-केन्द्रीय; श-राज्य

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.14
व्यय के आंकड़ों में विसंगतियाँ
(पैराग्राफ 4.14(ii) के सम्बन्ध में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	व्यय		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.
1	बिहार	2009-10	12,210.80	उ.न.	12,609.80
		2010-11	18,084.70	उ.न.	17,890.90
		2011-12	24,713.20	24,713.22	24,206.10
		2012-13	15,746.80	उ.न.	28,292.20
2	छत्तीसगढ़	2009-10	6,383.51	6,383.51	9,468.74
		2010-11	3,083.88	3,083.88	3,415.26
		2011-12	2,138.93	2,123.32	4,763.16
		2012-13	3,932.55	1,547.92	2,313.10
3	गुजरात	2009-10	8,608.31	उ.न.	7,509.59
		2010-11	4,774.90	4,774.90	5,336.90
		2011-12	5,197.46	5,754.32	4,478.10
		2012-13	6,931.82	7,058.36	5,862.31
4	हरियाणा	2009-10	1,523.2	1,818.63	1,631.57
		2010-11	1,565.8	1,580.79	1,908.36
		2011-12	2,187.95	1,938.19	2,287.10
5	हिमाचल प्रदेश	2009-10	1,849.06	1,662.68	1,876.04
		2010-11	2,505.75	2,505.75	2,832.91
6	जम्मू एवं कश्मीर	2010-11	1,597.96	1,597.96	1,663.64
		2011-12	3,037.13	3,037.00	3,043.89
		2012-13	4,366.03	4,392.73	5,002.44
7	झारखण्ड	2009-10	5,849.91	उ.न.	7,641.42
		2010-11	7,188.24	7,188.24	5,358.79
		2011-12	2,421.45	2,421.46	3,313.71
8	कर्नाटक	2009-10	8,983.39	उ.न.	6,494.76
		2010-11	7,267.43	7,267.21	7,862.43
		2011-12	6,330.51	6,488.09	6,812.74
		2012-13	9668.41	9,717.26	9,668.48
9	केरल	2009-10	1,608.43	1,831.45	1,874.56
10	मध्य प्रदेश	2009-10	13,361.70	13,361.70	17,662.10
		2010-11	13,362.10	13,362.13	17,489.90
		2011-12	23,381.60	23,381.57	22,856.10

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	व्यय		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र	वार्षिक लेखे	स.प्र.सू.प्र.
		2012-13	29,879.50	29,879.44	20,713.70
11	महाराष्ट्र	2009-10	12,402.30	12,402.30	16,241.30
		2010-11	8,392.06	8,198.99	9,869.72
		2011-12	13,339.90	0	11,031.40
		2012-13	10,610.80	12,409.23	9,044.75
12	मणिपुर	2009-10	351.71	355.67	513.08
		2010-11	1,317.47	1,395.93	1,150.96
		2011-12	846.28	1,602.27	979.97
		2012-13	2,110.84	992.42	1,787.99
13	मेघालय	2011-12	3,946.06	3,947.54	3,957.44
		2012-13	2,114.59	2,113.15	1,979.56
14	नागालैंड	2009-10	1,244.38	1,237.95	972.18
		2010-11	323.26	304.01	614.00
		2011-12	1,273.57	1,273.57	1,416.44
15	ओडिशा	2009-10	6,479.83	6,679.00	5,816.85
		2010-11	6,393.42	6,766.78	7,475.82
		2011-12	5,589.83	5,588.32	6,662.99
16	पंजाब	2009-10	441.4	523.80	443.63
		2010-11	502.98	747.25	549.08
		2011-12	277.34	1,637.71	146.3
17	राजस्थान	2009-10	3,474.46	3,514.28	4,362.88
		2010-11	4,342.94	4,204.48	5,176.27
		2011-12	3,895.57	3886.52	4,076.86
		2012-13	5,359.61	5,808.82	10,643.40
18	उत्तर प्रदेश	2009-10	38,989.20	38,989.19	61,164.50
		2010-11	32,236.10	31,136.63	32,833.20
		2012-13	33,051.80	31,675.00	23,765.30

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.15
ब्याज के आंकड़ों में विसंगतियां
(पैराग्राफ 4.14(iii) के संबंध में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	के अनुसार ब्याज		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र	ले.ले.वि.	स.प्र.सू.प्र.
1	बिहार	2009-10	274.06	उ.न.	301.87
		2010-11	375.61	उ.न.	209.19
		2011-12	621.07	621.07	125.33
		2012-13	0	उ.न.	252.94
2	छत्तीसगढ़	2009-10	238.25	238.24	138.4
		2010-11	222.23	202.23	317.03
		2011-12	203.23	203.23	51.68
		2012-13	387.00	387.00	20.97
3	गुजरात	2009-10	474.13	उ.न.	54.72
		2010-11	326.8	326.80	76.22
		2011-12	453.24	453.23	40.04
		2012-13	484.66	484.68	181.61
4	हरियाणा	2009-10	73.38	82.49	68.32
		2010-11	82.29	83.25	65.38
		2011-12	79.45	79.45	55.91
5	हिमाचल प्रदेश	2009-10	31.93	51.21	16.64
		2010-11	109.46	109.46	49.57
		2012-13	159.37	159.36	22.96
6	जम्मू एवं कश्मीर	2010-11	36.60	36.60	26.64
		2011-12	111.31	111.30	10.17
		2012-13	106.57	106.57	69.06
7	झारखण्ड	2009-10	215.89	उ.न.	94.88
		2010-11	359.59	359.59	110.13
		2011-12	646.2	646.2	112.89
8	कर्नाटक	2009-10	531.76	उ.न.	18.98
		2010-11	265.85	265.63	14.08
		2011-12	432.29	0	92.76
		2012-13	668.7	668.7	137.83
9	केरल	2009-10	86.33	75.62	86.76
10	मध्य प्रदेश	2009-10	725.64	725.65	144.11
		2010-11	514.53	514.53	109.01
		2011-12	388.71	388.38	290.49
		2012-13	460.96	460.97	189.46
11	महाराष्ट्र	2009-10	354.89	354.89	266.23
		2010-11	471.30	471.30	151.31
		2011-12	775.89	0	162.69
		2012-13	767.82	6.84	144.3

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष	के अनुसार ब्याज		
			उपयोगिता प्रमाणपत्र	ले.ले.वि.	स.प्र.सू.प्र.
12	मणिपुर	2009-10	3.78	3.79	0.65
		2010-11	17.66	17.67	0.96
		2011-12	6.56	6.56	46
		2012-13	27.53	27.53	0
13	मेघालय	2011-12	80.93	80.94	16.31
		2012-13	47.28	47.28	42.83
14	नगालैंड	2009-10	4.895	4.89	1.24
		2010-11	0	0.07	1.76
		2011-12	3.64	3.64	0
15	ओड़िसा	2009-10	386.04	341.38	255.66
		2010-11	513.3	507.94	201.33
		2011-12	773.83	772.9	335.64
16	पंजाब	2009-10	50.48	50.48	23.05
		2010-11	49.51	49.5	16.95
		2011-12	58.52	58.52	11.63
17	राजस्थान	2009-10	130.45	130.46	149.51
		2010-11	156.2	156.24	79.09
		2012-13	311.9	311.93	84.53
18	उत्तर प्रदेश	2009-10	1,055.69	1,746.17	840.94
		2010-11	1,199.60	1,199.59	148.84
		2012-13	1,283.63	1,306.11	51.92
19	उत्तराखण्ड	2010-11	34.94	34.94	20.52

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.16
लेखों की लेखापरीक्षा में विलम्ब
(पैराग्राफ 4.15 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	सी.ए. द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा की तिथि	महीनों में विलम्ब	क्या पहली किश्त जारी की गई	क्या दूसरी किश्त जारी की गई (जारी करने की तिथि)
1	गुजरात	2010-11	05.2.2013	16	हॉ	हॉ(01.03.2011)
		2011-12	25.6.2013	9	हॉ	हॉ(19.03.2012)
		2012-13	28.1.2014	4	हॉ	नहीं
2	हरियाणा	2011-12	27.6.2013	9	हॉ	नहीं
3	हिमाचल प्रदेश	2011-12	18.3.2013	6	हॉ	नहीं
		2012-13	04.3.2014	5	हॉ	नहीं
4	जम्मू एवं कश्मीर	2011-12	23.2.2013	5	हॉ	नहीं
		2012-13	09.3.2014	5	हॉ	नहीं
5	झारखण्ड	2010-11	08.2.2012	4	हॉ	हॉ(25.02.2011)
		2011-12	14.12.2012	3	हॉ	हॉ(07.03.2012)
6	कर्नाटक	2011-12	15.3.2013	6	हॉ	हॉ(02.03.2012)
		2012-13	22.1.2014	4	हॉ	हॉ(28.03.2012)
7	महाराष्ट्र	2010-11	21.02.2012	5	हॉ	हॉ(09.02.2011)
		2011-12	27.03.2014	18	हॉ	नहीं
		2012-13	27.03.2014	6	हॉ	नहीं
9	मणिपुर	2010-11	31.7.2012	10	हॉ	नहीं
		2011-12	26.12.2012	3	हॉ	हॉ(29.03.2012)
		2012-13	31.1.2014	4	हॉ	हॉ(26.03.2013)
10	नागालैंड	2010-11	05.3.2012	5	हॉ	हॉ(28.02.2011)
		2011-12	01.11.2012	1	हॉ	नहीं
		2012-13	04.12.2013	3	हॉ	हॉ(26.03.2013)
11	ओडिशा	2011-12	09.3.2013	5	हॉ	हॉ(20.12.2010)
12	राजस्थान	2010-11	26.2.2012	5	हॉ	हॉ(25.03.2011)
		2011-12	05.3.2013	6	हॉ	हॉ(28.03.2012)

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध- 4.17
लेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियों का अप्रस्तुतीकरण
(पैराग्राफ 4.16 के संबंध में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्या लेखापरीक्षकों का अवलोकन प्राप्त हुआ (हॉ/नहीं)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	बिहार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	छत्तीसगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3	गुजरात	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4	हरियाणा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	हिमाचल प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6	जम्मू एवं कश्मीर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	झारखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8	कर्नाटक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9	केरल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	मध्य प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	महाराष्ट्र	नहीं	नहीं	हॉ	नहीं	नहीं
12	मणिपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
13	मेघालय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
14	नागालैंड	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	हॉ
15	ओडिशा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	पंजाब	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	राजस्थान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
18	उत्तर प्रदेश	नहीं	नहीं	हॉ	हॉ	नहीं
19	उत्तराखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-5.1
सू.शि.सं. निधियों का विचलन
(पैराग्राफ-5.2.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	अभिकरण	फाईल सं.	विवरण	दिनांक	राशि (₹ में)
1.	भा.प.वि.नि. (एस.ए.सी.ओ.एस.ए.एन.)	डी-11011/77/2007-डी.डबल्यू एस-II	एस.ए.सी.ओ.एस.ए.एन. के प्रतिनिधियों के लिए पास की आपूर्ति	06.2009	80,899
2.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस.)	डी-11011/84/2008-डी.डबल्यू एस-II	नि.ग्रा.पु.विजेताओं के साथ प्रेस वार्ता का कार्यक्रम प्रबंधक	23.06.2009	4,36,288
3.	डाक विभाग	डबल्यू-11037/22/2008 /के.ग्रा.स्वा.का	पोस्टर अनुवाद एवं कला कार्य के डिजायनिंग के लिए	10.07.2009	6,600
4.	विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र	डबल्यू-11037/22/2008/ के.ग्रा.स्वा.का	जल प्रबंधन एवं सतत विकास पर फिल्म की खरीद	10.07.2009	21,280
5.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस)	डबल्यू-11046/01/2009-के.ग्रा.स्वा.का-पी.टी	आई.सी.डबल्यू जी बैठक का कार्यक्रम प्रबंधक	24.08.2009	2,34,85(
6.	स.नि.(इस्टेट्स)	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी.	नि.ग्रा.पु. के लिए विज्ञान भवन की बुकिंग	14.09.2009	98,250
7.	वि.द.प्र.नि.	डबल्यू-11045/17/2009/के.ग्रा.स्वा. का	नि.ग्र.पु. कार्यक्रम के लिए सामाचार पत्रों में विज्ञापन	26.10.2009	60,00,000
8.	के.लो.नि.वि.	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी (पी.टी)	नि.ग्रा.पु. के लिए विज्ञान भवन में फूल की व्यवस्था	03.11.2009	58,040
9.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस.)	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी.	नि.ग्रा.पु. 2009 के लिए कार्यक्रम प्रबंधक	06.11.2009	12,50,000
10.	के.लो.नि.वि.	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी	नि.ग्रा.पु. 2009 के लिए अ.म.व्य. लाउंज की बुकिंग	12.11.2009	10,500
11.	संपर्क मिडिया प्लानर	डी-11011/25/2007-डी.डबल्यू एस.-II	दो विडियो फिल्मों के निर्माण हेतु	27.11.2009	5,94,220
12.	भा.रा.च.वि.नि.	डबल्यू-11045/17/2009/ के.ग्रा.स्वा.का	नि.ग्रा.पु. कार्यक्रम के लिए विज्ञापन की डिजाइनिंग	01.12.2009	15,000
13.	भा.रा.च.वि.नि.	डी-11011/50/2008-डी डबल्यू एस-II	12000 में मेटों के कुल खर्च का भाग बंदोबस्त	14.01.2010	92,71,440

क्र.सं.	अभिकरण	फाईल सं.	विवरण	दिनांक	राशि (₹ में)
14.	भा.रा.च.वि.नि.	डी-11011/50/2008-डी डबल्यू एस.-II	परिवहन खर्च	14.01.2010	7,64,359
15.	भा.रा.च.वि.नि.	डी-11011/50/2008-डी डबल्यू एस-II	12000 मोमेंटों के प्रति खर्च	14.01.2010	23,40,000
16.	भा.रा.च.वि.नि.	डबल्यू-11045/17/2009/के.ग्रा.स्वा.का	ग्रा.नि.पृ. कार्यक्रम के लिए विज्ञापन की डिजायनिंग पर सेवा कर	18.02.2010	1,545
17.	स्कॉलर प्रकाशन घर	डी-13011/23/2009-ए.जी.वी	6000 मोमेंटों के कुल खर्च का अंश भुगतान	04.03.2010	71,78,167
18.	भा.प.वि.नि.	डी-11011/85/2008-डी.डबल्यू एस-II	कार्यक्रम प्रबंधन	09.03.2010	82,420
19.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस)	डबल्यू-11046/01/2009-के.ग्रा.स्वा.का-पी.टी	कार्यक्रम प्रबंधन	30.03.2010	2,34,850
20.	के.लो.नि.वि	डी-16012/8/2009-ए.जी.वी	विज्ञान भवन में फोयर की बुकिंग	31.03.2010	3,400
21.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस)	जी-12023/3/2010-सा	सम्मेलन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन	20.10.2010	3,13,965
22.	भा.प.वि.नि	जी-12023/3/2010-सा	सम्मेलन के लिए खान-पान प्रभारें	08.11.2010	1,20,592
23.	भा.प.वि.नि	जी-12023/3/2010-सा	कार्यक्रम प्रबंधन	16.12.2010	89,306
24.	महेश्वरी ट्रेड एवं कंसल्टेंसी	जी-12023/3/2010-सा	सम्मेलन के लिए वाहनों को किराया पर लेना	16.12.2010	9,201
25.	वि.इ.प्र.नि.	डबल्यू-11045/35/2011-के.ग्रा.स्वा.का	नि.ग्रा.पृ. कार्यक्रम के लिए सामाचार पत्रों में विज्ञापन	11.02.2011	60,00,000
26.	राष्ट्रीय कृषि बैंक	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	4,96,860
27.	प्रज्ञा अनुसंधान एवं संचार	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	5,47,050
28.	सामाजिक वि. एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	5,64,300
29.	मानव अधिकार सोसायटी	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	7,55,580
30.	सामाजिक सेवा सोसायटी	डबल्यू-11045/1/2010-के.ग्रा.स्वा.का	तीसरी किश्त	18.03.2011	5,83,417
31.	भा.रा.च.वि.नि.	डबल्यू-11045/35/2011-के.ग्रा.स्वा.का	नि.ग्रा.पु.कार्यक्रम के लिए विज्ञापनों की डिजायनिंग	19.05.2011	16,545

क्र.सं.	अभिकरण	फाईल सं.	विवरण	दिनांक	राशि (₹ में)
32.	स्कॉलर प्रकाशन घर	डी-13011/23/2009-ए.जी.वी	6000 मोमेटटों का शेष एवं अंतिम भुगतान	21.07.2011	10,88,761
33.	वि.इ.प्र.नि.	डबल्यू-11045/35/2011-कें.ग्रा.स्वा.का	नि.ग्रा.पु. कार्यक्रम के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन	16.08.2011	65,37,000
34.	वि.इ.प्र.नि.	डबल्यू-11045/53/2011-कें.ग्रा.स्वा.का	दिल्ली से राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में रंगीन विज्ञापन	04.01.2012	65,00,000
35.	भा.प.वि.नि (ए.आर.एम.एस)	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. 2010 कार्यक्रम प्रबंधन	18.01.2012	8,45,784
36.	भा.प.वि.नि (ए.आर.एम.एस)	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. 2011 कार्यक्रम प्रबंधन	05.03.2012	7,60,000
37.	कें.लो.नि.वि.	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. के लिए विज्ञान भवन कि बुकिंग	09.03.2012	1,47,000
38.	कें.लो.नि.वि.	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. के लिए विज्ञान भवन में फूलों की व्यवस्था।	09.03.2012	57,435
39.	भा.प.वि.नि.	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. के लिए अग्रिम खान-पान प्रभारें	--.03.2012	1,60,338
40.	पृथ्वी स्टेशन	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. 2011 के लिए मोमेंटों की आपूर्ति	24.03.2012	96,000
41.	भा.प.वि.नि.	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. के लिन खान-पान प्रभारें	24.03.2012	4,03,596
42.	34 सर्वेक्षण अभिकरण	डबल्यू-11045/42/2010-के.ग्रा.स्वा.का	सर्वेक्षण प्रभारें	30.03.2012	64,17,000
43.	माहेश्वरी ट्रेड एवं कंसल्टेंसी	जी-12023/7/2011-सा.	नि.ग्रा.पु. 2011 के लिए वाहनों की आपूर्ति	08.05.2012	44,936
44.	वि.इ.प्र.नि.	डबल्यू-11045/9/2012-के.ग्रा.स्वा.का	निविदा पूछताछ का विज्ञापन	30.05.2012	1,00,000
45.	भा.प.वि.नि. (ए.आर.एम.एस)	जी-12023/7/2012-सा.	नि.ग्रा.पु. 2011-12 के संबंध में समस्त गतिविधियाँ	21.07.2012	5,53,939
46.	एल.ए. कुशन	जी-12023/7/2011-सा.	राष्ट्रीय परामर्श हेतु मध्याह्न भोजन आदि	26.12.2012	2,89,897
47.	एक्सिस कम्यूनिकेशन	जी-12023/7/2011-सा.	राष्ट्रीय परामर्श हेतु तार्किक व्यवस्था	02.01.2013	2,19,777
48.	स्कोप कॉम्पलेक्स	जी-12023/7/2011-सा.	राष्ट्रीय परामर्श हेतु बुकिंग	08.01.2013	8,989

क्र.सं.	अभिकरण	फाईल सं.	विवरण	दिनांक	राशि (₹ में)
49.	माहेश्वरी ट्रेड एवं कंसल्टेंसी	जी-12023/7/2011-सा.	राष्ट्रीय परामर्श के लिए वाहनों को किराये पर लेना	07.03.2013	18,132
	कुल:				**6,24,27,508**

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-5.2
राज्य स्तर पर सू.शि.सं. निधियों के उपयोग में अनियमितताएं
(पैराग्राफ-5.2.2 के संदर्भ में)

राज्य	अभ्युक्ति	₹ करोड में
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश, रा.ज.स्व.मि. ने ₹ 170 प्रत्येक पर फलैक्स वाल हैगिंग की आपूर्ति हेतु नामांकन आधार पर मैसर्स सेटविन, हैदराबाद का चयन (2012) किया। यह पाया गया था कि रा.ज.स्व.मि. ने बाद में खुली निविदा प्रणाली के आधार पर ₹ 124 प्रति वाल हैंगिग, जो नामांकन आधार पर चयनित अभिकरण के साथ सहमत दर से 46 कम थी, पर फ्लैक्स वाल हैंगिग की आपूर्ति हेतु मैसर्स विश्व साई एड का चयन किया था। इस प्रकार, एक नमूना जांच किए गए जिले (चित्तूर) में मैसर्स सेटविन से प्राप्त ₹ 116698 हैगिंगो पर परिहार्य व्यय को ₹ 0.54 करोड़ परिकलित किया जाना था।	0.54
असम	चार नमूना जांच किए गए जिलों अर्थात् नौगांव, तीसूखियां, नवबारी तथा गोलपाड़ा में ₹ 1.07 करोड की लागत पर सितंबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान लगाए गए 177 होर्डिंगो को जिला प्रशासन द्वारा 'लोक सभा चुनाव-2014 हेतु आचार संहिता' के लागू होने के कारण हटा दिया गया था तथा भण्डार में व्यर्थ पड़े (अगस्त 2014) थे।	1.07
	इसके अतिरिक्त, रा.ज.स्व.मि. ने एक नीजी टी.वी. चैनल के माध्यम से 18,000 सैकेंड़ो को शामिल करके 62 दिनों हेतु 19 नवम्बर 2013 से 18 जनवरी 2014 के दौरान विभिन्न सू.शि.सं. कार्यों पर पांच विज्ञापन फिल्मों के निर्माण एंव प्रसारण के प्रति दिसंबर 2013 से जनवरी 2014 के दौरान ₹ 0.39 करोड का व्यय किया था जो कि स्वच्छता पर विस्तृत जागरूकता सृजित करने हेतु पर्याप्त नहीं था। इसके स्थान पर, रा.ज.स्व.मि. 'दूरदर्शन', जिसका अधिक विस्तृत दर्शक आधार है, सहित अन्य टी.वी. चैनलों के साथ बातचीत करके पूरे वर्ष इसके प्रसारण की योजना कर सकता था।	0.39
बिहार	भोजपुर, दरभंगा, गया, नवादा तथा पटना के पांच नमूना जांच किए गए जिलों में ₹ 0.21 करोड़ की लागत पर 5285 वाल राईटिंग से 1667 स्थानों का आवरण किया गया था। चूंकि 17 लेखो को कुछ स्थानों पर दीवार पर लिखा गया था। इसलिए वह सामाज के सभी वर्गों तक पहुचने हेतु सू.शि.सं. का उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके थे।	0.21
छत्तीसगढ़	₹ 0.48 करोड का व्यय 2010-14 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले ग्राम में सेवाओं की मांग का मूल्यांकन करने हेतु ग्राम सूरज अभियान, राज्य सरकार की एक पहल, के कार्यों पर किया गया था। वाहनों को किराए पर लेने, खान-पान सामाग्रियों के प्रापण तथा टेंट सामग्री को किराए पर लेने पर व्यय की गई इस राशि को अनियमित रूप से योजना के सू.शि.सं. को प्रभारित किया गया था।	0.48
गुजरात	जि.ग्रा.वि.अ, वलसाड ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना 10 ग्रा.प. के लिए ठोस व्यर्थ के प्रबंधन हेतु ₹ 16,200 प्रति इकाई की दर पर 15 तिपाहिया तथा ₹ 823 प्रति इकाई की दर पर 225 स्थिर कूड़े दानों की खरीद	0.04

	की साईकिलों तथा ₹4.28 लाख के व्यय को सू.शि.सं. संघटक के अंतर्गत अनियमित रूप से दर्ज किया गया था (मार्च 2011)।	
हिमाचल प्रदेश	जि.ग्रा.वि.अ., नाहन ने सू.शि.सं. संघटक से घड़ियों, बैगों, टोपी आदि की खरीद पर ₹5.50 लाख का व्यय किया। यह बताया (जून 2014) गया था कि मदों की खरीद पचांयती राज संस्थानो, गै.स.सं. आदि के प्रायोजन के लिए की गई थी।	0.06
जम्मू एंव कश्मीर	2009-14 के दौरान पुस्तकों शीर्षक शहरी सरकार, शहर तथा स्वच्छता की खरीद पर किए गए ₹0.25 लाख (मार्च 2014) के व्यय को सू.शि.सं. के अंतर्गत दर्ज किया गया था जबकि पुस्तकों की खरीद सू.शि.सं. कार्यों के क्षेत्र से बाहर की गई थी।	0.03
मध्य प्रदेश	सू.शि.सं. निधियों के ₹0.13 करोड़ का जि.ज.स्व.मि. शहडोल द्वारा ग्रा.ज.स्व.स. कार्यवृत पंजिका, मॉनीटरिंग पंजिका, माप पुस्तिका, मूल्याकंन रिपोर्ट के फार्म तथा समापन प्रमाणपत्रों के मुद्रण पर व्यय किया गया था।	0.13
राजस्थान	रा.ज.स्व.मि. द्वारा 2013-14 के दौरान निर्मल ग्राम पंचायत के भौतिक सत्यापन तथा, जल स्वच्छता, सफाई (धुलाई) अनुसमर्थन सर्वेक्षण पर खर्च किए गए ₹2.63 लाख को जि.ज.स्व.स. चुरू में सू.शि.सं. को डेबिट किया गया था, जबकि यह प्रशासनिक व्यय से संबधित था।	0.03
तमिलनाडु	प्रारम्भ में यूनिसेफ को अंतरिम तथा सू.शि.सं. व्यय के रूप में दर्शाए गए ₹3.50 करोड़ की योजना निधि को बाद में योजना खाते में वापस कर दिया गया था।	3.50
उत्तर प्रदेश	सं.झ.वि.ई. ने उपयुक्त प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना जिला पंचायत उद्योगों को आदेश देकर नुक्कड़ नाटक, सू.शि.सं. सामग्री, ग्राम प्रेरकों एंव विभागीय कार्यकताओं को प्रक्षिक्षण आदि पर ₹0.70 करोड का व्यय किया। इसी प्रकार, तीन जिलों (पीलीभीत, सीतापुर तथा कुशीनगर) ने रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड। लोहे की शीट/निर्देश बोर्ड की आपूर्ति/संस्थापना हेतु जिला पंचायत उद्योगों को ₹0.48 करोड़ की लागत का आदेश दिया तथा पांच नमूना जांच किए गए जिलों ने तीन अभिकरणों को नुक्कड नाटकों हेतु खुली निविदा प्रमाणित किए बिना ₹0.62 करोड़ अदा किए।	1.80
	₹0.48 लाख की सू.शि.सं. निधि का तीन हैंडीकैम की खरीद हेतु अपवर्तन किया गया था। विधानसभा आम चुनाव-2012 के उद्देश्य हेतु मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ को प्रदत्त तीन में से दो हैंडीकैम को वापस नहीं किया गया था जून 2014)। इसके अतिरिक्त, ₹2.32 लाख का राज्य सरकार द्वारा जिला प्रतापगढ़ के जिलाधीश तथा मुख्य विकास अधिकारी को प्रदान किए गए वाहनों तथा जिलाधीश के कैम्प कार्यालय में लगाए गए जेनरेटर हेतु डीजल/पेट्रोल की खरीद हेतु अपवर्तन किया गया था।	0.07
पश्चिम बंगाल	2012-13 के दौरान सू.शि.सं. के उद्देश्य हेतु पूर्व मिदनापूर जिले की सवाजपूत ग्रा.पं. का आंवटित ₹5.00 लाख का ट्यूबवेलों की संस्थापना हेतु उपयोग किया गया था।	0.05
	कुल	**8.40**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अनुबंध-5.3
वर्ष 2013-2014 के लिए सू.शि.सं. की उपलब्धि
(पैराग्राफ-5.3 के संदर्भ में)

(₹ लाख मे)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रवेश किए गए जिलों की संख्या	सू.शि.सं. की गतिविधियाँ			
			प्रस्तावित गतिविधियों की संख्या	उपलब्धि प्राप्त गतिविधियों की संख्या	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक किया गया व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	12	91,216	440	2,480.96	230.21
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	1,798	2	322.28	2.18
3.	असम	4	18,819	0	189. 80	0.00
4.	बिहार	38	3,31,537	4,177	9,815.21	134.27
5.	छत्तीसगढ़	16	1,02,474	19,174	1,706.42	283.22
6.	दा. एवं ना. हवेली	0	0	0	0.00	0.00
7.	गोआ	0	0	0	0.00	0.00
8.	गुजरात	25	84,655	5,716	1,589.44	107.53
9.	हरियाणा	0	0	0	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	12	36,167	7,924	1,150.51	199.55
11.	जम्मू एवं कश्मीर	20	22,436	0	1,971.95	0.00
12.	झारखंड	24	1,46,004	41,305	3,378.56	642.85
13.	कर्नाटक	25	1,51,800	4,338	3,688.25	104.11
14.	केरल	1	0	0	85.47	0.00
15.	मध्य प्रदेश	50	3,64,521	6,369	20,630.43	309.86
16.	महाराष्ट्र	33	1,14,972	45,960	5,185.70	1,313.67
17.	मणिपुर	1	70	2	9.53	0.42
18.	मेघालय	7	8,780	0	365.00	0.00
19.	मिजोरम	8	559	0	77.25	0.00
20.	नागालैण्ड	11	166	0	163.85	0.00
21.	ओडिशा	30	9,95,650	27,518	2,324.51	178.63
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0.00	0.00
23.	पंजाब	20	5,780	0	115.00	0.00
24.	राजस्थान	32	145,888	11,371	5,236.16	199.25
25.	सिक्किम	0	0	0	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	29	2,75,878	74,355	6,089.18	171.57
27.	त्रिपुरा	4	41,996	1,665	593.00	25.51
28.	उत्तर प्रदेश	67	3,50,771	144	12,851.39	3.40
29.	उत्तराखंड	13	15,12,217	11,73,835	232.78	149.20
30.	पश्चिम बंगाल	19	6,11,788	2,87,239	7,009.79	1,161.90
	कुल :-	**517**	**54,15,942**	**17,11,534**	**87,262.42**	**5,217.33**

[स्रोत:- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-5.4
उपयोगिता का राज्यवार इसी तरह सू.शं.स. की उपलब्धता
(पैराग्राफ-5.3 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	उपलब्ध निधि	व्यय की गई राशि
1.	**आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)**	82.08	32.12
2.	बिहार	149.47	22.11*
3.	छत्तीसगढ़	47.67	16.86
4.	जम्मू एवं कश्मीर	NA	1.41*
5.	मध्य प्रदेश	1.35	2.77*
6.	मिजोरम	1.60	0.67*
7.	ओडिसा	47.31	10.66*
8.	पंजाब	36.20 11.27	1.22 NIL*
9.	राजस्थान	15.83	5.41*
10.	तमिलनाडु	47.61	2.62
11.	त्रिपुरा	12.72	2.28
12.	उत्तर प्रदेश	71.19	21.05*
13.	उत्तराखंड	40.86	1.90
14.	महाराष्ट्र	178.50	68.38

*केवल जाँच किये गये जिलों के सापेक्ष आँकड़े

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आँकड़ों का संकलन]

अनुबंध-6.1
अभिसरण के तहत उपलब्धि
(पैराग्राफ-6.3 के संदर्भ में)
2012-13

क्र.सं.	राज्य नाम	नि.भा.अ. जिलों की कुल संख्या	व्य.घ.शौ, ग.रे.नी				व्य.घ.शौ, ग.र.उ			
			नि.भा.अ.के तहत उपलब्धि (अनुमोदित)	मनरेगस के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	ई.अ.यो के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	(ई.अ.यो एवं मनरेगस) दोनों के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	नि.भा.अ. के तहत उपलब्धि (अनुमोदित)	मनेरगस के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	ई.अ.यो के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	(ई.अ.यो एवं मनरेगस) दोनों के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि
1	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	22	3,24,735	15,011	0	0	59,544	0	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	16	4,775	0	0	0	985	0	0	0
3	असम	26	1,77,008	0	0	0	96,232	0	0	0
4	बिहार	38	5,60,678	0	0	0	2,36,021	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	27	30,222	47	0	0	21,823	149	0	0
6	दा.एवं.ना. हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	25	34,927	317	313	0	1,37,050	1,366	0	0
9	हरियाणा	21	17,435	0	0	0	45,514	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	12	1,275	1	0	0	3,908	0	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	21	50,589	0	0	0	21,311	0	0	0
12	झारखंड	24	39,702	0	0	0	8,798	0	0	0
13	कर्नाटक	29	2,03,399	0	0	0	93,030	0	0	0
14	केरल	14	5,674	0	0	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	50	3,39,282	0	0	0	2,18,907	0	0	0
16	महाराष्ट्र	33	92,103	0	0	0	97,203	1,820	0	0
17	मणिपुर	9	32,208	0	0	0	11,709	0	0	0
18	मेघालय	7	11,955	0	0	0	2,451	0	0	0
19	मिजोरम	8	4,655	0	0	0	312	0	0	0
20	नागालैंण्ड	11	18,630	0	0	0	3519	0	0	0
21	ओड़िशा	30	85,870	0	0	0	32448	0	0	0
22	पुदुचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	20	43,101	0	0	0	14,320	0	0	0
24	राजस्थान	32	81,700	0	0	0	1,71,100	0	0	0
25	सिक्किम	4	0	0	0	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	29	2,43,966	0	0	0	80,250	0	0	0
27	त्रिपुरा	8	4,569	0	0	0	2,466	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	75	45,359	6,958	0	2293	89,514	2,009	0	0
29	उत्तराखंड़	13	37,554	16	359	0	60,261	0	0	0
30	प. बंगाल	19	4,28,448	87	33	0	1,30,667	0	0	0
कुल :-		**627**	**29,19,819**	**22,437**	**705**	**2293**	**16,39,343**	**5,344**	**0**	**0**

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-6.2
अभिसरण के तहत उपलब्धि
(पैराग्राफ-6.3 के संदर्भ में)
2013-14

क्र.सं.	राज्य नाम	नि.आ. अ जिलों की कुल संख्या	व्य.घ.शौ, ग.रे.नी				व्य.घ.शौ, ग.र.उ			
			नि.आ.अ.के तहत उपलब्धि (अनुमोदित)	मनरेगस के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	ई.अ.यो के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	(ई.अ.यो एवं मनरेगस) दोनों के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	नि.आ.अ.के तहत उपलब्धि (अनुमोदित)	मनरेगस के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	ई.अ.यो के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि	(ई.अ.यो एवं मनरेगस) दोनों के साथ अभिसरण के तहत उपलब्धि
1	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	22	3,13,802	1,22,113	6,076	0	5,601	0	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	16	13,789	0	0	0	644	0	0	0
3	असम	26	1,24,408	0	369	0	36,194	0	0	0
4	बिहार	38	98,456	424	310	1,545	63,190	152	0	0
5	छत्तीसगढ़	27	38,088	3,334	0	0	29,369	6,485	0	0
6	दा.एवं.ना. हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	25	25,767	8,439	897	0	1,29,501	20,794	2	0
9	हरियाणा	21	46,316	1,111	5,418	0	70,110	3,461	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	12	2,462	0	0	0	6,708	0	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	21	50,493	0	0	0	20,391	0	0	0
12	झारखंड	24	43,327	3,974	0	47	33,491	7,287	0	0
13	कर्नाटक	29	3,64,045	1,616	0	0	1,41,652	10,358	0	0
14	केरल	14	39,167	0	0	0	434	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	50	2,79,845	11,348	0	0	2,35,738	3,152	0	0
16	महाराष्ट्र	33	1,98,271	21,675	9,208	0	3,60,771	34,530	0	0
17	मणिपुर	9	24,444	0	0	0	10,998	0	0	0
18	मेघालय	7	22,488	0	3	0	6,524	0	0	0
19	मिजोरम	8	3,940	0	0	0	584	0	0	0
20	नागालैण्ड	11	20,102	0	0	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	30	24,784	3,003	0	0	8,975	2,363	0	0
22	पुदुचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	20	1,597	0	0	0	2,315	0	0	0
24	राजस्थान	32	1,02,905	4,781	510	1,098	1,63,292	25,081	0	0
25	सिक्किम	4	3,389	0	0	0	54	0	0	0
26	तमिलनाडु	29	1,60,747	4,051	0	3,108	1,52,655	7,206	0	245
27	त्रिपुरा	8	5,365	2,164	0	0	712	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	75	2,13,312	37,569	3,025	6,871	5,75,780	81,982	0	40
29	उत्तराखंड	13	25,899	302	1,368	0	65,185	140	0	0
30	पश्चिम बंगाल	19	3,06,363	60,723	1,394	2,064	3,01,855	69,994	0	0
कुल :-		627	25,53,571	2,86,627	28,578	14,733	24,22,723	2,72,985	2	285

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-6.3
राज्य स्तर पर अभिसरण
(पैराग्राफ-6.3 के संदर्भ में)

राज्य	अवलोकन
आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सम्मिलित)	2013-14 के दौरान म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में की गयी भुगतान के संबंध में रा.ज.स्व.मि. का बैंक विवरण यह उद्घाटित करता है कि एकल खिड़की व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया ₹4.27 करोड़, बैंक खातों के गैर आस्तित्व/विभिन्न नाम के साथ खातों के गैर अस्तित्व/विभिन्न खाते के कारण वापस लौट गया। जिला स्तर पर, छः जॉच परीक्षित जिलों के दो (अदिलाबाद तथा करीमनगर) में अभिसरण पाया गया, जहॉ म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. अंतर्गत उपलब्ध ₹140.54 करोड़ में से, केवल 31.33 करोड़ व्य.घ.शौ. के निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। कोई भी विद्यालय शौचालय करीमनगर को छोड़कर जहॉ ₹2.10 करोड़ के खर्च पर 600 का निर्माण किया गया था किसी भी जिले में म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो के साथ अभिसरण के अंतर्गत नहीं बनाया गया। कोई भी आंगनबाड़ी शौचालय तथा ठो.त.व्य.प्र. कार्य किसी भी जॉच परीक्षित जिले में म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. के साथ अभिसरण के अंतर्गत हाथ में नहीं लिया गया। जि.ज.स्व.मि. विशाखापत्तनम ने सा.स्व.पं. के निर्माण के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण को वर्णित किया।
अरूणाचल प्रदेश	यद्यपि कार्यान्वयन अभिकरणों ने दावा किया कि नि.भा.अ. परियोजनाओं के प्रभावी योजना एवं कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण क्रियाविधि बनायी है, परंतु इसके समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अतिरिक्त, पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के अन्य योजनाओं के साथ कोई अभिसरण नहीं था।
असम	राज्य सरकार प्रति व्य.घ.शौ. ₹6000 की कीमत तथा बांस के अस्थायी अधिसंरचना तथा छत पर एक जी.सी.आई शीट से बने व्य.घ.शौ. के प्रारूप को अंतिम रूप दिये गये स्वीकृति (सितम्बर 2013) के समय म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन हेतु विचार नहीं किया। इसके कारण, अधिसंरचना ईंट की दीवार से नहीं पूर्ण हुआ तथा 2013-14 के दौरान ₹4.76 करोड़ (7931x 6000) के कुल व्यय से नलबारी जिले में निर्मित किए गए 7,931 व्य.घ.शौ. निम्नकोटी के साबित हुए। आगे, असम के पॉच नमूना जिलों में विषय विभाग के बीच सहयोग के अभाव के कारण इस अवधि के दौरान बने 1.61 लाख इं.आ.यो. घरों में योजना के अंतर्गत केवल 8222 व्य.घ.शौ. ही बन सके।
बिहार	जॉच परीक्षित जिलों के जि.ज.स्व.स. ने इं.आ.यो. के लिए 166 ब्ला.वि.अ. को ₹36.60 करोड़ का तथा म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. के अंतर्गत व्य.घ.शौ. के निर्माण के लिए 927 ग्रा.प. को ₹27.95 करोड़ का हस्तांतरण किया (दिसम्बर 2011 से मार्च 2014) लेकिन केवल तीन जांच-परीक्षित जिलों[1] ने म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. अभिसरण अंतर्गत 825 इकाईयों के लिए `0.38 करोड़ की उ.प्र. प्रस्तुत किया (अगस्त 2014)। इं.आ.यो. अभिसरण के अंतर्गत व्य.घ.शौ. के निर्माण के विषय में ब्ला.वि.अ. ने अगस्त 2014 तक सूचित नहीं किया।
छत्तीसगढ़	चार जांच परीक्षित जिलों में,म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. के साथ अभिसरण में 2012-14 के दौरान 29,674 शौचालयों को संस्वीकृति प्रदान की गयी। फिर भी, ₹13.36 करोड़ का नि.भ.अ. अंश ग्रा.ज.स्व.स. को अवमुक्त किया गया जबकि ग्रा.ज.स्व.जि.प. को ₹13.35 करोड़ का म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. अंश न तो अवमुक्त किया गया न ही नवम्बर 2014 तक म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. प्राधिकरण द्वारा अनुमत्त शौचालयों के निर्माण हेतु भुगतान किया गया था। यह आगे पाया गया कि जॉच परीक्षित ग्रां.प. में म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में हाथ में ली गयी कुल 2995 में से केवल 1181 शौचालय (49 प्रतिशत) ही वास्तव में पूर्ण हुए तथा शेष को म.गां.रा;ग्रा.रो.गां.यो. अंश के अभाव के कारण नवम्बर 2014 तक शुरू नहीं किया जा सका।

[1] नवादा- 401: ₹0.18 करोड़, दरभंगा-300: ₹0.14 करोड़ तथा गया -124: ₹0.06 करोड़

राज्य	अवलोकन
जम्मू एवं कश्मीर	पांच चयनित जिलों के 1045 ग्रा.प. में अभिसरण निम्न था जैसा कि 17378 इं.आ.यो घरों में केवल 305 व्य.घ.शौ. (2 प्रतिशत) का निर्माण हुआ था तथा शेष 17073 घरों में स्वच्छता सुविधाओं का कोई प्रावधान नही था।
झारखण्ड	प.मा.इ. ने 2012-13 तक प्राथमिक आधार पर इं.आ.यो. घरों के आच्छादन के लिए कोई विशेष लक्ष्य तय नहीं किया था। जि.ज.स्व.नि. द्वारा 2013-14 में आच्छादन के लिए 67,153 इ.आ.यो. घरों का एक लक्ष्य अंतिम रूप से तय किया गया था (मई 2013)। इसमें जॉच परीक्षित जिलों में 18,687 शौचालयों का लक्ष्य शामिल था। तय लक्ष्य के प्रति, छः जॉच परीक्षित जिलों में से चार[2] ने ही मार्च 2014 तक 14,130 शौचालयों (म.गां.रा.रो.गां.यो. अभिसरण अंतर्गत 9530 शौचालय सम्मिलित) का निर्माण हाथ में ले सका।
कर्नाटक	तीन जॉच परीक्षित जि.पं. ने इं.आ.यो. घरों जो बिना शौचालय के बने हुए, बिना कार्य स्थल के उचित निरीक्षण के तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु 2013-14 के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम लिमिटेड (रा.गां.ग्रा.आ.नि.लि.) को ₹2.55 करोड़ की कुल राशि अवमुक्त की। आगे,रा.गां.ग्रा.आ.नि.लि. ने कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लक्ष्यित पूर्ण इ.आ.यो. घरों एवं लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी सहायता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया। जांच परीक्षित जि.पं./ग्रा.पं. में से किसी ने भी पू.स्व.अ./नि.भा.अ. अंतर्गत सृजित सुविधाएँ या तो निर्माण के लिए या अनुरक्षण के लिए अन्य स्रोतों जैसे सां.स्था.क्षे.वि.यो, वि.स.क्षे.वि.यो., म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. तथा राज्य/ग्रा.पं. निधियों से निधियों की सामंजस्यता एवं अभिसरण द्वारा अन्य घटकों जैसे आंगनबाड़ी शौचालयों/विद्यालयों शौचालयों/ठो.त.व्य.प्र. का कार्यान्वयन करने का प्रयास नहीं किया।
केरल	नि.भा.अ. का इं.आ.यो. के साथ अभिसरण था। फिर भी, नि.भा.अ. के साथ म.गां.रा;ग्रा.रो;गां.यो. के साथ कोई उपयोगी अभिसरण नहीं पाया गया।
महाराष्ट्र	207 चयनित ग्रा.पं; में,191 ग्रा.पं. में म.गां.रा.ग्रा.गां.यो. के साथ अभिसरण के द्वारा व्य.घ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था जबकि 158 ग्रा.पं. में, इं.आ.यो. घरों में व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु इं.आ.यो. के साथ पू.स्व.अ./नि.आ.अ. का अभिसरण नहीं हुआ था।
मणिपुर	दो नमूना जिलों में म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ कोई अभिसरण कार्यक्रम आरंभ नहीं किया गया था। आगे, इं.आ.यो. के साथ अभिसरण के संबंध में अभिलेख भी उपलब्ध नहीं था।
मेघालय	दो चयनित जिलों में से,म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में व्य.घ.शौ. के निर्माण कार्य पूर्वी खासी हिल्स जिले के केवल दो चयनित ब्लाकों में (मॉकिन्रियू तथा मिलियम) में आरंभ किया गया। आंगनबाड़ी शौचालय, विद्यालय शौचालय तथा ठो.त.व्य.प्र. कार्य का निर्माण आरंभ नहीं किया गया तथा नि.भा.अ. के साथ म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरित करने के लिए अन्य स्रोतों जैसे सां.स्था.क्षे.वि.यो., वि.स.क्षे.वि.यो., म.गां.ग्रा.रो.गां.यो. इत्यादि से निधियों के सामंजस्य करने के लिए कोई पहल नहीं किया गया था।
मिजोरम	राज्य स्तर जल एवं स्वच्छता मिशन ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण क्रियाविधि विकिसित करने हेतु कोई संगठित प्रयास नहीं किया।
नागालैण्ड	राज्य में कार्यान्वित म.गां.रा;ग्रा.रो.गां.यो. या अन्य योजनओं के साथ पू.स्व.अ./नि.भा.अ. को कोई अभिसरण नहीं था।
ओडिशा	2009-14 के दौरान 21 नमूना ब्लाकों में से 17 में 17580 इं.आ.यो. घरों का निर्माण बिना शौचालय के किया गया था लेकिन ये घर व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु पू.स्व.अ./नि.भा.अ. अंतर्गत अच्छादित नहीं थे क्योंकि जि.ज.स्व.मि. ने संबंधित जिलों के किसी भी ब्ला.वि.अ. को निष्पादन पर प्रोत्साहन राशि नहीं प्रदान की। आगे, म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में नि.भा.अ. के कार्यान्वयन हेतु ग्राम सशक्तिकरण कार्यक्रम (गा.स.का.) के राज्य कार्यक्रम में 49.31 लाख लाभार्थी (ग.रे.नि. `22.26 लाख,

[2] दुमका, गढ़वा, गुमला तथा रामगढ़

राज्य	अवलोकन
	ग.रे.उ. `27.00 लाख तथा आ.के. `0.05 लाख) चिन्हित किए गए थे, फिर भी 2013-14 के दौरान राज्य में म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में केवल 5366 व्य.घ.शौ. का निर्माण किया जा सका। 2013-14 के दौरान आठ जॉच परीक्षित जिलों में से दो में म.गा.रा.रो.गां.यो. के अभिसरण में नि.भा.अ. के अंतर्गत केवल 2,095 व्य.घ.शौ. निर्मित किए गए थे।
पंजाब	2012-14 के दौरान 7,814 इं.आ.यो. घर बिना शौचालय के बने थे जो पर्याप्त निधि रहने के बावजूद व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंतर्गत आच्छादित नहीं थे। आगे, म.गां.रा.गा.रो.गां.यो. के साथ कोई अभिसरण क्रियाविधि नहीं अपनायी गयी थी।
राजस्थान	2009-10 से 2013-14 के दौरान इं.आ.यो./अन्य राज्य आवसीय योजना के अंतर्गत आठ जिलों में 16 परीक्षित ब्लाकों में 26692 घरों को निर्मित किया गया था। लेकिन पू.स्व.अ. अंतर्गत केवल 6168 (23 प्रतिशत) घरों में शौचालय निर्मित किए गए थे।
तमिलनाडु	व्य.घ.शौ. को छोडकर म.गां.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में कोई अन्य योजना घटक कार्यान्वित नहीं किया गया था।
त्रिपुरा	बोक्सनगर ब्लाक में, 450 व्य.घ.शौ. का निर्माण म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. से ₹4,500 प्रति व्य.घ.शौ. के वित्तीय सहायता के साथ आरंभ किया गया था। म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. अंतर्गत कार्य के क्रियान्वयन के बजाय, ₹0.20 करोड़ की सम्पूर्ण राशि पू.स्व.अ. बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गयी थी तथा कार्य पू.स्व.अ. अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की गई थी, जो पूर्ण होनी अभी तक बाकी थी। मोहनपुर ब्लाक में, 2013-14 में 487 व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु, लाभार्थियों के बैंक खाते में ₹4500 के म.गां.रा.ग्रा.रो.यो. घटक का हस्तांतरण हुआ था। फिर भी, कार्य अगस्त 2014 तक पूर्ण नहीं हुआ था। 17,197 इं.आ.यो. घरों जो बिना शौचालय के निर्मित थे, योजना से कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराए गए थे। स.शि.अ. निधि का योगदान दक्षिण त्रिपुरा जिले में 590 विद्यालय शौचालयों के निर्माण में हुआ तथा पश्चिमी त्रिपुरा जिले में 890 विद्यालय शौचालयों का निर्माण सां.स्था.क्षे.वि.यो. तथा 13वें वित्त आयोग के साथ अभिसरण में हुआ था। पश्चिमी त्रिपुरा जिले में, म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण में 310 आंगनबाड़ी शौचालयों का निर्माण शुरू हुआ था।
उत्तर प्रदेश	सात जिलों में, म.गां.रा.ग्रा.यो. के साथ अभिसरण में संस्वीकृत 0.60 लाख व्य.घ.शौ. में से, 0.35 लाख व्य.घ.शौ. (64 प्रतिशत) अभिसरण में विलंब के कारण अपूर्ण रहे। संस्थागत शौचालयों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने तथा ठो.त.व्य.प्र. तथा सामुदायिक योगदान को पूरा करने के लिए भी अन्य स्रोतों जैसे सां.स्था.क्षे.वि.यो., वि.स्था.क्षे.वि.यो., राज्य/ग्रा.पं. निधि से निधियों की सामंजस्यता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।
उत्तराखण्ड	उ.सि. नगर को छोड़कर चयनित जिलों में लाभार्थियों को जिन्होंने म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. निधि से व्य.घ.शौ. का निर्माण कराया था को प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया गया था।
पश्चिम बंगाल	पांच चयनित जिलों में से किसी में भी योजना के अंतर्गत कोई भी निधि इं.आ.यो. लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गई थी। जहॉ तक म.गां.रा.ग्रा.रो.गां.यो. के साथ अभिसरण का संबंध है कुल गतिविधियॉ मुर्शिदाबाद तथा वर्धमान जि.पं. द्वारा सूचित की गई थी। फिर भी, पूर्वा, मेदिनीपुर, जलपाईगुरी तथा उत्तर दीनाजपुर जि.पं. में अभिसरण का कोई सबूत नहीं था आगे पांच चयनित जिलों में संस्थागत शौचालयों के अतिरिक्त व्यय तथा ठो.त.व्य. को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों जैसे सा.स्था.क्षे.वि.यो., वि.स्था.क्षे.वि.यो. तथा राज्य/ग्रा.पं. निधि में से निधियों का उपयोग किया गया था। पू.स्व.अ./नि.भा.अ. अंतर्गत सृजित सुविधाओं को अनुक्षरण या सा.स्व.पं. के निर्माण के लिए सामुदायिक अंशदान को दर्शाने के लिए अभिलेख में कुछ नहीं था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़े संकलित किए गए]

अनुबंध-7.1

(पैराग्राफ-7.3 के संदर्भ में)

अ. मंत्रालय और वास्तविक आँकड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये ग.रे.नी.-व्य.घ.शौ (लक्ष्य/उपलब्धि) के आँकडों में अंतर

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि	मंत्रालय के आँकड़ें	वास्तविक आँकड़ा
1.	अरूणाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	29201	33941
		2010-11	लक्ष्य	41464	51266
		2010-11	उपलब्धि	14346	13412
		2012-13	लक्ष्य	31014	12345
2.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	64915	51644
		2010-11	लक्ष्य	30266	31472
		2011-12	लक्ष्य	1990	3975
		2013-14	लक्ष्य	2	17500
3.	जम्मू एवं कश्मीर	2009-10	लक्ष्य	157536	157554
		2009-10	उपलब्धि	48672	49636
		2010-11	लक्ष्य	211845	212581
		2010-11	उपलब्धि	30038	35880
		2011-12	लक्ष्य	77700	80000
		2011-12	उपलब्धि	60639	51352
		2012-13	उपलब्धि	50589	50125
		2013-14	लक्ष्य	128163	144471
		2013-14	उपलब्धि	50493	62730
4.	कर्नाटक	2009-10	लक्ष्य	638181	600949
		2010-11	लक्ष्य	887105	831150
		2011-12	लक्ष्य	456285	644244
		2011-12	उपलब्धि	197070	191070
		2012-13	लक्ष्य	280799	284641
		2013-14	लक्ष्य	217187	304927
5.	मणिपुर	2010-11	लक्ष्य	68551	63846
		2013-14	लक्ष्य	5034	44000
		2013-14	उपलब्धि	24444	17616
6.	ओड़िशा	2009-10	लक्ष्य	957781	916892
		2009-10	उपलब्धि	285318	262112
		2010-11	लक्ष्य	1291111	1218299
		2010-11	उपलब्धि	396500	407550
		2013-14	उपलब्धि	24784	18886
7.	पंजाब	2009-10	लक्ष्य	0	116050
8.	त्रिपुरा	2010-11	लक्ष्य	31068	25819
		2013-14	लक्ष्य	4685	5028

ब. मंत्रालय और वास्तविक आँकड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये ग.रे.उ.-व्य.घ.शौ (लक्ष्य/उपलब्धि) के आँकड़ों में अंतर

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि	मंत्रालय के आँकड़े	वास्तविक आँकड़ा
1.	अरूणाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	1156	10256
		2010-11	लक्ष्य	6489	7357
		2010-11	उपलब्धि	5433	3270
		2012-13	लक्ष्य	4339	1048
2.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	155933	95183
		2010-11	लक्ष्य	40283	59080
		2011-12	लक्ष्य	5300	11257
		2013-14	लक्ष्य	120	98000
3.	जम्मू एवं कश्मीर	2012-13	उपलब्धि	21311	18194
		2013-14	लक्ष्य	81544	94844
		2013-14	उपलब्धि	20391	27312
4.	कर्नाटक	2009-10	लक्ष्य	828152	877720
		2010-11	लक्ष्य	911659	989102
		2011-12	लक्ष्य	399098	640146
		2012-13	लक्ष्य	274162	272417
		2013-14	लक्ष्य	217359	182360
5.	मणिपुर	2010-11	लक्ष्य	19517	23517
		2013-14	लक्ष्य	700	16000
		2013-14	उपलब्धि	10998	8984
6.	ओड़िशा	2009-10	लक्ष्य	613423	660094
		2009-10	उपलब्धि	253759	214442
		2010-11	लक्ष्य	1066034	1030708
		2010-11	उपलब्धि	456803	479039
		2013-14	लक्ष्य	343218	343216
		2013-14	उपलब्धि	8975	5947
7.	पंजाब	2009-10	लक्ष्य	0	86623
		2009-10	उपलब्धि	120663	37397
8.	त्रिपुरा	2010-11	लक्ष्य	45500	32173
		2013-14	लक्ष्य	9695	12161

स. मंत्रालय और वास्तविक आँकड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये स्कूल शौचालय (लक्ष्य/उपलब्धि) के आँकड़ों में अंतर

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि	मंत्रालय के आँकड़ा	वास्तविक आँकड़ा
1.	अरूणाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	2092	510
		2010-11	लक्ष्य	201	401
		2010-11	उपलब्धि	335	111
2.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	8368	4242
		2010-11	लक्ष्य	7818	8271
		2011-12	लक्ष्य	1842	5598
		2013-14	लक्ष्य	1813	3500
3.	जम्मू एवं कश्मीर	2009-10	उपलब्धि	3540	3499
		2010-11	लक्ष्य	3201	9182
		2010-11	उपलब्धि	1480	1545
		2011-12	उपलब्धि	2682	2671
		2012-13	उपलब्धि	2011	1728
		2013-14	लक्ष्य	3051	3313
		2013-14	उपलब्धि	363	454
4.	कर्नाटक	2009-10	लक्ष्य	1276	740
		2010-11	लक्ष्य	1900	2102
		2011-12	लक्ष्य	1353	4890
		2012-13	लक्ष्य	2044	3573
		2013-14	लक्ष्य	323	2453
5.	मणिपुर	2010-11	लक्ष्य	1772	2064
6.	ओड़िशा	2009-10	लक्ष्य	20940	21143
		2009-10	उपलब्धि	14262	13727
		2010-11	लक्ष्य	6766	6488
		2010-11	उपलब्धि	3418	4414
		2012-13	उपलब्धि	1138	1043
7.	पंजाब	2009-10	लक्ष्य	0	2787
		2013-14	लक्ष्य	90	0
8.	त्रिपुरा	2010-11	लक्ष्य	1574	1495
		2013-14	लक्ष्य	704	131

द. मंत्रालय और वास्तविक आँकड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये आँगनबाड़ी शौचालयों के आँकडों में अंतर

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	लक्ष्य/उपलब्धि	मंत्रालय के आँकड़े	वास्तविक आँकड़ा
1.	अरूणाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	787	722
		2010-11	लक्ष्य	515	303
		2010-11	उपलब्धि	331	201
2.	जम्मू एवं कश्मीर	2009-10	उपलब्धि	29	24
		2010-11	लक्ष्य	850	868
		2010-11	उपलब्धि	42	40
		2011-12	उपलब्धि	97	79
		2012-13	उपलब्धि	76	78
		2013-14	लक्ष्य	204	222
		2013-14	उपलब्धि	4	52
3.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	लक्ष्य	3901	2625
		2010-11	लक्ष्य	6377	6498
		2011-12	लक्ष्य	2151	5690
		2013-14	लक्ष्य	456	700
4.	कर्नाटक	2009-10	लक्ष्य	2140	616
		2010-11	लक्ष्य	2794	154
		2011-12	लक्ष्य	3831	4331
		2012-13	लक्ष्य	2514	3658
		2013-14	लक्ष्य	713	3495
5.	मणिपुर	2010-11	लक्ष्य	577	1006
6.	ओड़िशा	2009-10	लक्ष्य	11419	11298
		2009-10	उपलब्धि	4866	4694
		2010-11	लक्ष्य	5657	6110
		2010-11	उपलब्धि	1459	1558
		2011-12	लक्ष्य	3138	3138
		2011-12	उपलब्धि	3320	3320
		2012-13	लक्ष्य	2141	2141
		2012-13	उपलब्धि	956	942
		2013-14	लक्ष्य	1840	1840
		2013-14	उपलब्धि	45	28
7.	पंजाब	2013-14	लक्ष्य	1383	6566
		2013-14	उपलब्धि	162	21
8.	त्रिपुरा	2010-11	लक्ष्य	792	507
		2012-13	लक्ष्य	27	0
		2013-14	लक्ष्य	25	0

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

अनुबंध-7.2
राज्य/जिला स्तर पर निरीक्षण
(पैराग्राफ-7.9.1 में संदर्भित)

राज्य	अभियुक्ति
आँध्र प्रदेश (तेलंगाना सम्मिलित)	श्रीकाकुलम में निरीक्षण किया गया लेकिन चित्तूर, करीमनगर तथा विशाखापत्तनम के मामले में कोई क्षेत्र निरीक्षण का संचालन नहीं किया गया था। अदिलाबाद और खम्माम के संबंध में स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
जम्मू तथा कश्मीर	2009-14 के दौरान निरीक्षण नहीं किया गया था। फिर भी, बड़गाम जिले ने 2009-14 के दौरान चार निरीक्षण किया था, परन्तु अभी तक इन निरीक्षणों का प्रतिवेदन या तो उपलब्ध नहीं था या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
मेघालय	निरीक्षण की सूची तैयार नहीं थी लिहाजा ऐसे निरीक्षणों को यदा-कदा, अव्यवस्थित तथा तदर्थ तरीके से किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे निरीक्षणों का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।
मिजोरम	यह दावा किया गया था कि नियमित क्षेत्र निरीक्षण भिन्न-भिन्न राज्य एंव राज्य स्तर अधिकारियों द्वारा संपन्न हुए थे लेकिन राज्य/राज्य स्तर अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गयी निरीक्षण प्रतिवेदनों/टिप्पणियों की कोई भी प्रतिलिपि, यदि कोई थी, लेखापरीक्षा को नहीं दिखाई जा सकी थी।
पंजाब	योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन लागत निम्न होने के कारण, वांछित व्य.घ.शौ, का निर्माण नहीं किया जा सका, लेकिन जहाँ कहीं भी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी शौचालएँ बनाई गई थीं विभाग के संबंधित राज्य अधिकारी द्वारा अनिवार्य निरीक्षणें की गई थीं। फिर भी, इससे संबंधित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
उत्तर प्रदेश	वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया गया था। जिला पंचायती राज अधिकारी (जि.पं.रा.अ) तथा जिला परियोजना समन्वयक (जि.प.स.) ने 2009-14 के दौरान गाँवों में चल रहे योजना का संयुक्त निरीक्षण किया था तथा पू.स्व.अ./नि.भा.अ. को सम्मिलित करते हुए सभी योजनाओं पर निरीक्षण प्रतिवेदनों को तैयार किया था। निरीक्षण प्रतिवेदनों में व्य.घ.शौ. की गुणवत्ता के मामले में निर्माण में कमी परिलक्षित हुआ। आरोग्यकर शौचालयों के गैर/अनुचित उपयोग के मामले भी पाये गये थे। अधिकांश मामलों में, निर्माण सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। फिर भी, निरीक्षण प्रतिवदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
उत्तराखंड	चार नमूना जिलों में से, केवल जि.का.प्र.ई. उ. सिंह नगर ने अप्रैल 2012 तक निरीक्षणें की। तथापि, अन्य नमूना राज्यों में से किसी में ऐसी कोई निरीक्षण नहीं की गयी थी। यह भी देखा गया था कि अप्रैल 2012 में प.मा.ई से निर्देश मिलने के बाद, उ.सिहं नगर एंव अलमोड़ा जिलों में क्षेत्र स्तर पर निरीक्षणें की गई थीं। तथापि, ऐसी कोई सूचना या अभिलेख अन्य दो जिलों देहरादून तथा

	पौड़ी में उपलब्ध नहीं थी।
पश्चिम बंगाल	राज्य में लगातार निरीक्षण किया जा रहा था। तथापि, केवल नि.ग्रा.पु. निरीक्षण प्रतिवेदनें ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा ग्रा.वि.मं. को प्रस्तुत की गई थी। मुर्शिदाबाद जिला में, पांच चयनित प.स. के प.स. स्तर के अधिकारियों ने 2012-13 से तथा बाद के शौचालयों के निर्माण का निरीक्षण किया।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़ा संकलित]

अनुबंध-7.3
स्वच्छता दिवस
(पैराग्राफ-7.9.4 में संदर्भित)

राज्य	अभ्युक्ति
महाराष्ट्र	207 चयनित ग्रा.प. में, 2009-14 की अवधि के दौरान 8,727 के विरूद्ध केवल 1,635 स्वच्छता दिवस मनाया गया। इसके अतिरिक्त, 871 स्वच्छता दिवस के सबंध में कार्यवाहियों का अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया।
नागालैण्ड	स्वच्छता दिवस वर्ष में एक से चार गुना तक मनाया गया लेकिन गाँवों द्वारा दिशा-निर्देश में परिकल्पित मानकों का पालन नहीं किया गया।
राजस्थान	2011-12 के दौरान 147 जाँच-परीक्षित ग्रा.पं. में से रानीवारा के छः ग्रा.प. (रानीवारा कलां, बंघार, जलेरा खुर्द, अजोदर, कागमाला तथा दहीपुर) ने केवल एक स्वच्छता दिवस मनाया तथा शेष ग्रा.प. में यह नहीं मनाया गया।
तमिलनाडु	थिरूवन्नमलई जिलें में 860 ग्राम पंचायतों में से केवल 40 में एक वर्ष में छः महीनों के लिए स्वच्छता दिवस देखा गया (2009-10 से 2013-14).

ग्राम स्वच्छता सभा

राज्य	अभियुक्ति
आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सम्मिलित)	श्रीकाकुलम राज्य में छोड़कर (कमी के बावजूद), अदिलाबाद करीमनगर, खम्माम, चित्तुर तथा विशाखापत्तनम में से किसी अन्य ग्रा.पं. में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ग्रा.स्व.स. संचालित नहीं की गयी।
महाराष्ट्र	107 चयनित ग्रां.प. में (207 में से), 2009-14 अवधि के दौरान नियत की गयी 1,070 के विरूद्ध 214 ग्रा.स्व.स. बुलायी गयी।
मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स में, प्रत्येक गाँव में ग्रा.स्व.स. के स्थान पर ग्रा.ज.स्व.स. थी तथा यह पू.स्व.अ. योजना तथा स्वच्छता एंव अन्य सम्बंधित गतिविधियों के लिए नियमित बैठक करती थीं। फिर भी, ब्लॉक/राज्य को कोई लिखित कार्यवृत प्रस्तुत नहीं की गयी।
राजस्थान	147 जाँच-परीक्षित ग्रां.प. में से केवल चार ग्रा.प. बंधार, जलेरा खुर्द, दहीपुर (2011-12 के दौरान) तथा रानीवारा कलां (2011-14) में ग्रा.स्व.स. बुलायी गयी। ग्रा.स्व.स. अन्य किसी जाँच-परीक्षित ग्रा.प. में नहीं बुलायी गयी।
तमिलनाडु	40 ग्राम पंचाययों द्वारा भी ग्राम स्वच्छता सभा बुलायी गयी, यघपि इस कार्य के लिए अभिलेख अनुरक्षित नहीं की गयी।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आंकड़े संकलित की गई]

अनुबंध-7.4
विभागीय परीवीक्षण
(पैराग्राफ-7.9.5 के संदर्भ में)

राज्य	अभियुक्ति
अरूणाचल प्रदेश	ब्लॉक/पं.रा.सं. स्तर के अधिकारियों ने प्रत्येक ग्रा.पं. में प्रगति की समीक्षा नहीं की थी। राज्य पंचायत के मु.का.अ./जि.ज.स्व.सम. के सचिवों ने ब्लॉक अधिकारियों के साथ योजना के प्रगति की समीक्षा नहीं की थी।
जम्मू एंव कश्मीर	ब्लॉक पं.रा.सं. तथा विभाग के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने 2009-14 के दौरान बड़गाम को छोड़कर जहाँ प्रत्येक वर्ष के दौरान एक बैठक होती थी, कार्यों के प्रगति समीक्षा नहीं की। ब्लॉक अधिकारियों के साथ मासिक आधार पर राज्य पंचायत अधिकारियों द्वारा ब्लॉकों में परियोजना के प्रगति की ऐसी समीक्षा के संचालन के संबंध में अभिलेखो को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया।
झारखंड़	जिम्मेवार निकायों द्वारा किसी भी स्तर पर सावधिक बैठकें नहीं की गयी थीं। जाँच परीक्षित जि.ज.स्व.मि./जि.ज.स्व.स. की समीक्षा बैठक सामान्यत: लक्ष्यो एंव उपलब्धियों की चर्चा करने तथा संबंधित सरकारी अधिकारियों को कार्यान्वयन की गति तेज करने का निर्देश देने तक सीमित थी। समान स्थिति राज्य पर की गयी समीक्षा बैठकों में भी पायी गयी।
कर्नाटक	129 जाँच-परीक्षित ग्रा.प. में से किसी में भी पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के कार्यान्वयन की समीक्षा तालुक /ब्लॉक स्तर के अधिकारियों या राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा 2009-14 अवधि के दौरान नहीं की गयी। राज्य स्तर पर, राज्य में ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी-सचिव को राज्य अधिकारियों के साथ पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के प्रगति की समीक्षा करनी थी। ऐसी कोई भी समीक्षा राज्य स्तर पर संचालित नहीं की गयी।
ओडिशा	ब्लॉक प.रा.सं. तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने 2009-14 के दौरान ब्लॉकों के किसी भी ग्रा.प.में प्रगति की समीक्षा नहीं की। ब्लॉक विकास अधिकारीगण 2009-14 के दौरान राज्य पंचायतों के मु.का.अ. द्वारा ब्लॉक अधिकारियों के साथ की गयी मासिक समीक्षा में कार्यवाहियों को प्रस्तुत करने में असफल रहें। आगे, 2009-14 के दौरान, न तो ब्लॉक अधिकारियों के साथ स.स. द्वारा पू.स्व.अ./नि.भा.अ. के प्रगति की समीक्षा से संबंधित अभिलेख और न ही सदस्य सचिवों, जि.ज.स्व.मि. द्वारा प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये।
उत्तर प्रदेश	व्य.घ.शौ. के अंतर्गत पूर्व स्थिति में लौटे मामलों को चिन्हित नहीं किया गया तथा पू.स्व.अ. के अंतर्गत सामुदाय को खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई।
उत्तराखंड	किसी स्तर पर न नि.भा.अ. परियोजनाओं के परीविक्षण के लिए क्रियाविधि विकसीत की गयी और न दिशा-निर्देशों के अनुसार परीविक्षण किया गया। यह पाया गया कि राज्य स्तर पर अनिवार्य 20 समीक्षाओं में से केवल एक विडीयो कांफ्रेंस तथा एक बैठक (10 प्रतिशत) संचालित की गयी।

पश्चिम बंगाल	ग्रा.प. स्तर पर स्वच्छता कार्य के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रणाली नहीं थे। अत: पाँच चयनित राज्यों में ऐसी कोई समीक्षा प.स.स्तर पर नहीं की गयी। जि.प. कार्य एंव स्वच्छता के कार्यान्वयन तथा प्रगति के प्रति समीक्षा करने के लिए अधिकृत या ने भी ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार ने सूचित किया कि राज्य अधिकारियों के प्रगति की समीक्षा मासिक आधार पर आयुक्त द्वारा तथा त्रैमासिक आधार पर प्रभारी-सचिव द्वारा की जाती है। फिर भी, उन समीक्षाओं के संचालन की अवधि को दर्शाने वाला विवरण उपलब्ध नहीं था।

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से आकड़े संकलित]